


प्रायश्चित्त-विधान



पायश्चित्तकरणेन नन्ते ! लोके किं जणयइ ?
पायश्चित्तकरणेण पावकम्म-विमोहिं लणयइ,
निरइयारे यवि भवइ । सम्मं च ण पायश्चित्तं
पड्डिवज्जनागे मग्गं च मग्गफलं च विमंहेइ,
आयारं च आयारफलं च आरहंइ ॥

—भगवान् महावीर



—मुनि त्रिलोक

एवं नचभेषण पाणाइवाथादिने उ भ्रइयारो ।
निरवेइछाण मणेवि पच्छित्तिथरेसि उभएण ॥

—व्यवहार सूत्र उद्देश १० भाष्य गाथा १६५ ॥

जिन-कल्पी मन के अतिचारों का भी प्रायश्चित्त लेते हैं जब
कि स्थविर-कल्पी केवल वचन और काया के अतिचारों का ॥

★ ★ ★

प्रायश्चित्त की तीन श्रेणियाँ—

- (१) आत्म-ग्लानि ।
- (२) दूसरी बार पाप न करने का निश्चय ।
- (३) आत्म-शुद्धि ॥

—जुम्मेद

★ ★ ★

पाप की विशुद्धि के लिये शास्त्रोक्त-विधि अनुसार किया
गया अनुष्ठान प्रायश्चित्त कहलाता है ॥

आत्म-विशुद्धि-कारक- प्रायश्चित्त-विधान

लेखक

भारतीय वर्धमान श्रमण संघ के आचार्य पूज्य
श्री आत्माराम जी महाराज के पट्टशिष्य युग-
स्रष्टा स्वर्गवासी गुरुदेव श्री खजानचन्द्र जी
महाराज के सुशिष्य आत्मनिधि श्री
स्वामी त्रिलोकचन्द्र जी महाराज ।



प्रकाशक

वेदप्रकाश विजयकुमार जैन
नवांशहर द्वावा (पंजाब)

प्रकाशन-व्यय-दायक :—

गुप्तदानी महाशय ।

वीर सम्बत् २४८६ वि. २०१७

ई. १९६०

अथैल वीर जयन्ती

मुद्रकः—

श्री देवदत्त शास्त्री, विद्याभास्कर,
द्विप्रेरवरानन्द वैदिक शोध संस्थान प्रैस,
माउघाग्रम, होशिआरपुर ।

प्रास्ताविक कथन

सामाजिक-जीवन की गाड़ी को ठीक रूप से चलाने के लिये दो मार्ग हैं—आगार धर्म और अणगार धर्म—गृहस्थ धर्म और साधु धर्म—राजनीति और धर्म-नीति ।

जिस समय मनुष्य का सामाजिक रूप नहीं होता (युगल-समय होता है) तो उस समय न राजनीति होती है और न ही धर्मनीति । जब समाज में दोष बढ़ते हैं तो फिर सामाजिक-रूप होना प्रारम्भ हो जाता है । वर्ग की स्थापना होती है और उस का मुखिया 'कुलकर' कहलाता है । वह मुखिया दोषी को 'हकार' की दण्डनीति पर चलाता है । आगे जाकर और दोष बढ़ते हैं तो 'मकार' की दण्डनीति प्रवृत्त होती है, इस प्रकार दोषों के बढ़ते हुए क्रम से 'धक्कार' नीति, 'परिभाष' नीति, 'मण्डल-बन्ध'=नजर-बन्दी 'चारण'=कैद और 'छविच्छेद'=अंगच्छेद की नीतिएं प्रवृत्त होती हैं ।* ये राजनीति की नीतिएं हैं ।

राजनीति स्थापित होने पर धर्मनीति स्थापित होती है । यह भी एक सामाजिक रूप है परन्तु अणगार-धर्म पर चलने वाले साधकों का । इस सामाजिक संगठन की दस नीतिएं होती हैं । ये नीतिएं, दण्डनीतिएं नहीं, अपितु प्रायश्चित्त-नीतिएं हैं । दंड, बलात् लिया जाता है और प्रायश्चित्त, सहर्ष—स्वयं की इच्छापूर्वक लमझ कर ग्रहण किया जाता है, साधु-पुरुषों की नीतिएं जो हुई, यहां बलात्—दवाव देकर काम करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, हां ! यदि वह दोषी, दोष को

* सत्विहा दंडनीईं परणत्ता तं जहा—हकारे १, मकारे २, धिकारे ३, परिभासे ४, मंडलबंधे ५, चारण ६, छविच्छेदे ७ ॥ —ठायांग सूत्र ७।३२॥

(ख)

किसी प्रकार समझे ही नहीं और समझ कर उसका प्रायश्चित्त ग्रहण ही न करे तो उससे सम्बन्ध-विच्छेद, असहयोग (Non Co-operation) कर लिया जाता है और बस ।

प्रायश्चित्त नीति में सर्वप्रथम आलोचना होती है अर्थात् अपने किये हुए कार्यों को प्रकट करना और उस में लगे हुए दोषों को स्वीकार करना, इसके पश्चात् लगे दोषों को बुरा कहना (मिथ्यादुष्कृत देना), तदनन्तर उन्हें बुरा समझना (निन्दा) और उनसे धृणा करनी (गर्हा), तब उस पापकर्म से निवृत्त होना (वि-उद्घन), उसमें रहे अतिचारों की विशुद्धि करना (विशोधन), तथा आगे के लिये उस पाप-कर्म को न करने का अपने मन में दृढ-सङ्कल्प धारण करना और किये हुए पाप-कर्म का श्रद्धापूर्वक श्रुतानुसार यथार्थ प्रायश्चित्त ग्रहण करके उसे शीघ्रतया पूरा करना होता है ।*

यदि इस प्रकार विधि से प्रायश्चित्त किया गया है तब तो वह प्रायश्चित्त है, नहीं तो वह प्रायश्चित्त न होकर दण्ड ही कहलाएगा, जो कि देने अथवा लेने वाले साधु-जनों को, अण-गारो को समुचित नहीं । यदि ऐसा किया ही जाता है तो यह धर्म-नीति नहीं, यह तो अणगार-धर्म से गिरावट की राज-नीति बन गई क्योंकि दण्ड तो राजनीति में होता है धर्म-नीति में नहीं । धर्म-नीति में तो उपरोक्त विधि से प्रायश्चित्त होता है जोकि उसकी आत्मा को विशुद्ध बनाता है ॥

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१. प्रथम आलोचना प्रायश्चित्त ...	५
२. दूसरा प्रतिक्रमण (मिथ्यादुष्कृत) प्रायश्चित्त	७
३. तीसरा तदुभय प्रायश्चित्त ...	१०
४. चतुर्थ विवेक ,, ...	११
५. पञ्चवां व्युत्सर्ग ,, ...	१२
६. छद्वा तप ,, ...	१२
७. तप प्रायश्चित्त का कोष्ठक ...	१५
८. ज्ञानाचार के तप प्रायश्चित्त	१६
९. दर्शनाचार ,, ,, ,, ...	२०
१०. चारित्र्याचार के मूलगुणविषयक तप प्रायश्चित्त	२४
११. ,, ,, उत्तरगुणविषयक ,, ,,	३५
१२. सातवां छेद प्रायश्चित्त ...	४८
१३. उत्सर्ग-अपवाद की व्याख्या	५०
१४. अपवादों के प्रायश्चित्त ...	५८
१५. अपवादों के छेद प्रायश्चित्त	६०
१६. एककल्ल-विहारी के ,, ...	६४
१७. क्लेश करके जाने वाले का प्रायश्चित्त	६६
१८. आज्ञा न मानने पर छेद ,,	६७
१९. आचार्यपद सम्बन्धी ,, ,,	७१
२०. आचार्य की भूल का ,, ,,	७३
२१. चारित्र्य दोष से होने वाले अनुशासन-भङ्ग के छेद प्रायश्चित्त	७४

(घ)

२२. आठवा मूल प्रायश्चित्त	८२
२३. नवम अनवस्थाप्य ,,	८४
२४. दसवा पाराश्विक ,,	८६
२५. तालिका	९०
२६. चूलिका	९२
२७. विसम्भोगी के लक्षण	९५
२८. साधक जिन कारणों से आलोचना नहीं करता			९९
२९. उत्तम जीव जिन कारणों से आलोचना करता है			१०१
३०. परिशिष्ट—(१) पाञ्च व्यवहार	...		१०२
(२) तीन प्रकार से आत्मरक्षा			१०४
(३) पाञ्च कारण से गण छोड़ना			१०४
(४) सात कारणों से सगठन की सुदृढता	...		१०६
(५) बारह प्रकार के सम्भोग	...		१०७





संवर-विणिज्जराओ मोक्खस्स पहो, तवो पहो तासिं ।
तवसो य पहाणंगं पच्छित्तं, जं च नाणस्स ॥
सारो चरणं, तस्स वि नेव्वाणं, चरण-सोहणत्थं च ।
पच्छित्तं, तेण तयं नेयं मोक्खत्थिणाऽवस्सं ॥



रामोत्थुरां समणस्स भगवओ महावीरस्स

प्रायश्चित्त-विधान

एक पथिक, पथ में कितनी सावधानी से चले, कहीं-न-कहीं उसे कंकर कांटा आदि लग ही जाते हैं। इसी प्रकार एक साधना करने वाला साधक, कितनी सावधानी से साधना-पथ में अपने कदम बढ़ाए, उससे कभी-न-कभी कहीं भूल हो जाना स्वाभाविक है। भूल हो जाना तो साधारण बात है परन्तु उस भूल को स्वयं जान लेना अथवा किसी दूसरे द्वारा बताया जाने पर उसे समझ लेना और स्वीकार करके प्रायश्चित्त द्वारा उसे शुद्ध कर लेना एक महत्त्व-पूर्ण बात है।

कोई भी भूल हो, प्रायश्चित्त के बिना शुद्ध नहीं हो पाती। चाहे अपवाद-मार्ग का ही दोष क्यों न हो, उसका भी प्रायश्चित्त लेना होता है। यह माना कि अपवाद-मार्ग में जो दोष सेवन होता है उसमें राग-द्वेष की मात्रा अत्यल्प होती है परन्तु वीर्य-आचार के दोष तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे ही जाते हैं और असावधानी के दोषों की प्रबल सम्भावना वहां विद्यमान होती है, जिस कारण इन सब का उसे प्रायश्चित्त लेना अत्यावश्यक है।

उदाहरणतया चिकित्सा कराना अपवाद-मार्ग है परन्तु साहसी साधक रोग आने पर भी औषधोपचार नहीं कराता यह उत्सर्ग-मार्ग है—‘एवं खु तस्स सामण्णं जं न कुज्जा न कारवे’—उत्तराध्ययन सूत्र २।३३॥ पर साहस एवं धैर्य की कमी के कारण अपवाद-मार्ग में एक साधक सावधानी के

साथ यत्नापूर्वक चिकित्सा करवा सकता है ऐसा तभी तो हुआ जब कि उस में वीर्याचार की कमी हुई; तथा चिकित्सा कराते कही-न-कही असावधानी होना भी सम्भव है जिस में चारित्र्या-चार के दोष भी लग जाते हैं ।

नौका द्वारा नदी को पार करना, वर्षा में लघु-शङ्कादि की निवृत्ति के लिये जाना इत्यादि अपवादों में शक्ति-हीनता की तो कोई बात नहीं, परन्तु इन सब में असावधानी तो हो ही सकती है जो कि चारित्र्याचार के दोष है जिन का विउसग्ग नामक पाश्चवा प्रायश्चित्त लिया जाता है । जितनी असावधानी उतना उसका प्रायश्चित्त, एक साधक को लेना ही चाहिये । ज्ञानावलम्बन, दर्शनावलम्बन एवं चारित्र्यावलम्बन से भी अपवाद-मार्ग में दोष-सेवन हो जाते हैं अर्थात् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की अपनी एवं दूसरों की वृद्धि के लिये उन दोष-युक्त कार्यों को करना पड़ जाता है,^१ परन्तु ऐसा करने वाला साधक यदि अतिपरिणामक है अथवा अपरिणामक है तो वह कल्पिय-दोष का पात्र है और यदि साधक परिणामक है तो वह कल्पिय प्रायश्चित्त वाला माना जाता है जिस के लिये उसे आलोचना-मात्र करनी होती है जो कि प्रथम श्रेणी का प्रायश्चित्त है, परन्तु कल्पिय^२ कार्यों में भी किसी परिणामक से जो-जो असावधानियां हुई हों उनका प्रायश्चित्त उसे पृथक् रूप

१. जैसे कि साधु महाराज का व्याख्यान कराने के लिये जीव जन्तुओं में युक्त स्थान ठाक करवाना, दरी बिछाना, चान्दनी लगवाना इत्यादि चान्दनी का हिलना, हरियों के नीचे जीवों का दब जाना और साधु महाराज का वह व्याख्यान करना आदि कार्य ।

२. कल्पिय=कल्पनीय अर्थात् करने योग्य कार्य ।

से लेना होता है। किन्तु अतिपरिणामक के जो दप्पिय^१ दोष हैं उनका प्रायश्चित्त तो बहुत अधिक है और अपरिणामक को भी अधिक प्रायश्चित्त लेना होता है।

एक ही प्रकार के दोष-सेवन के पीछे भिन्न-भिन्न भावना के आधार पर उनका प्रायश्चित्त भी भिन्न-भिन्न होता है जैसे कि शरीर की धोआ-धाई की एक ही क्रिया है, परन्तु इस के पीछे भिन्न-भिन्न भावना होने पर अलग-अलग प्रायश्चित्त हैं। निशीथ सूत्र के तीसरे उद्देश्य में और चौथे उद्देश्य में इसके लिए लघु-मास का प्रायश्चित्त है, पन्दरहवें उद्देश्य के सूत्र १७वें और १०४ में लघु-चौमासी और छठ्ठे एवं सातवें उद्देश्य में गुरुचौमासी प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।^२

१. दर्प पूर्वक कार्य करने के जो दोष हैं।

२. निशीथ सूत्र ३। २०—

जे भिक्खू अप्पणो पाए सीओदग-वियडेण वा उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा, उच्छोलंतं वा पधोअंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठायं उग्घाइयं।

निशीथ सूत्र ४। ५—

जे भिक्खू अन्नमन्नस्स पाए सीओदग-वियडेण वा उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा, उच्छोलंतं वा पधोअंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठायं उग्घाइयं।

निशीथ सूत्र १५। १७—

प्रायश्चित्त के निर्णय करने में निम्न बातों का ध्यान रखना होता है—

(१) उत्सर्ग-मार्ग का दोष है अथवा अपवाद-मार्ग का ?

(२) अपवादमार्ग में अतिपरिणामक का दोष है अथवा परिणामक का ?

(३) परिणामक के दोष में भी कप्पिय दोष है अथवा दप्पिय दोष ?

(४) कप्पिय दोष भी कृतयोगी द्वारा सेवन हुआ है अथवा अकृतयोगी द्वारा ?

(५) कृतयोगी द्वारा भी कितनी असावधानी हुई है ?

सिय परिहारद्वारं उग्याहयं ।

निशीथ सूत्र १५ । १०४—

जे भिक्षू विभूमा-पडियाए अप्पणो पाए सीओदग-वियडेण वा उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा, उच्छोलंत वा पधोअंत वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आणज्जइ चाउम्मासिय परिहारद्वारं उग्याहयं ।

निशीथ सूत्र ६ । २८—

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुण पडियाए अप्पणो पाए सीओदग-वियडेण वा उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा, उच्छोलंतं वा पधोअंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आणज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्याहयं ।

निशीथ सूत्र ७ । १८—

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुण पडियाए अन्नमन्तस्स पाए सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा, उच्छोलंतं वा पधोअंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आणज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्याहयं ।

(६) सावधानी रखते हुए भी उस कृतयोगी की, अपवाद सेवन करने के पीछे क्या भावना काम करती है ?

इन बातों का विचार कर लेने पर तब कहीं जा कर प्रायश्चित्त का निर्णय हो पाता है ।*

अब सामान्य रूप से किस-किस दोष का क्या-क्या प्रायश्चित्त होता है इस प्रकार दस प्रायश्चित्तों का वर्णन क्रमशः किया जाता है—

पायच्छित्ते दसविहे पण्णत्ते तं जहा—

(१) आलोयणारिहे, (२) पडिक्कमणारिहे, (३) तदुभयारिहे, (४) विवेगारिहे, (५) विउसग्गारिहे, (६) तवारिहे, (७) छेयारिहे, (८) मूलारिहे, (९) अणवट्ठप्पारिहे, (१०) पारंचियारिहे ॥

—भगवती सूत्र २५।७।९॥

१. आलोचना—

करणिज्जा जे जोगा, तेसु उवउत्तस्स निरइयारस्स ।

छउमत्थस्स विसोही, जइणो आलोयणा भणिया ॥

(जीतकल्प सूत्र)

* गुरुमार्श्या पुरिसा तुल्लवराहे वि तेसि नाणत्तं ।
परिणामगाइया(३) वा इड्ढिमनिक्खंत(२) असहू(२) वा ॥
पुमं(३) बाल(३) थिरा(२) चैव कयजोग्गा(२) य सेयरा ।
अहवा सभावतो पुरिसा होंति दारुण(१) भद्दगा(२) ॥

—व्यवहार सूत्र उद्देश्य १० भाष्यगाथा १६७, १६८ ।

परिणामक द्वारा जो कल्प्य कार्य उपयोगपूर्वक निरतिचार-रूप से किए जाते हैं, छद्मस्थ होने के नाते सभावित अतिक्रम आदि की विशेष-शुद्धि के लिए साधक आलोचना करता है जो कि प्रथम प्रायश्चित्त है। जैसे कि—

१. भिक्षू य गणाश्चो अक्कम्म परपामंड-पडिमं उवमंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवमंपज्जित्ताणं विहरित्तए, नत्थिणं तस्स तप्पत्तियं केइ छेए वा परिहारे वा नन्नत्थ एगाए आत्तोयसाए ।

—व्यवहार सूत्र १।३२॥

जो साधु अपने गण सम्प्रदाय का त्याग कर अन्य धार्मिक सम्प्रदाय अङ्गीकार करके विचरे और पुनः पहली सम्प्रदाय में आना चाहे, तो उसे कोई दीक्षा-छेद व पारिवारिक तप का प्रायश्चित्त नहीं आता केवल एकमात्र उसे आलोचना करनी होती है। [क्योंकि उसने अपने समय में कोई दोष नहीं लगने दिया है।]

(२) निगमं च खं राशो वा त्रियाले वा दोहपिटो लूमेज्जा; इत्थो वा पुरिसस्स ओमग्जेज्जा, पुरिसो वा इत्थोए ओमग्जेज्जा, एवं से कपइ, एवं से चिट्ठइ, परिहारं च से ण पाडणइ—एस कपे थेर-कप्पियाणं; एवं से नो कपइ, एवं से नो चिट्ठइ, परिहारं च सो पाडणइ—एम कपे जिण-कप्पियाणं ।

—व्यवहार सूत्र ५।२१॥

साधु को रात्रि व सायं के समय किसी विष-धर सर्प ने काट खाया हो, उस समय उपचार जानने वाले किसी पुरुष का योग न मिले और स्त्री का मिलता हो, तो स्त्री के पास से उपचार करा लेवे, इसी प्रकार साधु को काटा जाने पर उसे उपचार जानने वाली स्त्री का योग न मिले और पुरुष का मिलता हो, तो वह साधु उस पुरुष से उपचार करा लेवे,

इस प्रकार करना उन्हें कल्पता है और इस प्रकार किया जाता है, उन्हें किसी प्रकार का पारिहारिक तप प्रायश्चित्त नहीं आता—यह स्थविर-कल्पियों की मर्यादा है। परन्तु जिन-कल्पी साधु को ऐसा करना नहीं कल्पता है और न वे ऐसा करते हैं, न करने पर उन्हें कोई पारिहारिक प्रायश्चित्त नहीं आता। (कल्प्य-प्रायश्चित्त, केवल आलोचना करनी होती है)

(३) भिक्षु य इच्छेज्जा गणं धारित्तण, नो से कप्पइ धेरे अणा-पुच्छित्ता गणं धारित्तण, कप्पइ से धेरे आपुच्छित्ता गणं धारित्तण। थेरा य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ गणं धारित्तण; थेरा य से नो वियरेज्जा एवं से नो कप्पइ गणं धारित्तण। जणं धेरेहिं अविइयणं गणं धारेइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा। जे ते साहम्मिया उट्टाप विहरंति, एत्थि एं तेसिं केई छेए वा परिहारे वा।

—व्यवहार सूत्र ३।२॥

किसी साधक के मन में कुछ साधुओं को साथ लेकर विचरने की इच्छा हुई, तो उसे स्थविर भगवान् से विना पूछे ऐसा करना नहीं कल्पता, उनसे पूछ कर करना कल्पता है। स्थविर भगवान् आज्ञा दे देवें तो साधुओं को साथ लेकर विचरण कर सकता है, यदि वे आज्ञा न देवें तो ऐसा करना नहीं कल्पता। जो साधक स्थविर भगवान् की आज्ञा विना साधुओं को साथ लेकर जितने दिन विचरे, उतने ही दिन का उसे दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है। परन्तु जो साधु उसके साथ विचरे हैं उन्हें कोई छेद व तप प्रायश्चित्त नहीं आता। (केवल आलोचना करनी होती है)

२. प्रतिक्रमण—

अध्विहे पडिक्कमणे परणत्ते तं जहा—उच्चार-पडिक्कमणे,

परिणामक द्वारा जो कर्त्तव्य कार्य उपयोगपूर्वक निरतिचार-रूप से किए जाते हैं, छद्मस्थ होने के नाते सभावित अतिक्रम आदि की विशेष-शुद्धि के लिए साधक आलोचना करता है जो कि प्रथम प्रायश्चित्त है। जैसे कि—

१. भिक्षु य गणाश्रो अन्नकम्म परपासंड-पडिमं उवसंपज्जिणाणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जिताणं विहरित्तणु; नत्थिणं तस्स तप्पत्तिर्यं केइ छेण वा परिहारे वा नन्त्थ एगाए आलोयणाए ।

—व्यवहार सूत्र १।१२॥

जो साधु अपने गण सम्प्रदाय का त्याग कर अन्य धार्मिक सम्प्रदाय अङ्गीकार करके विचरे और पुनः पहली सम्प्रदाय में आना चाहे, तो उसे कोई दीक्षा-छेद व पारिवारिक तप का प्रायश्चित्त नहीं आता केवल एकमात्र उसे आलोचना करनी होती है। [क्योंकि उसने अपने समय में कोई दोष नहीं लगने दिया है।]

(२) निगमं च णं राश्रो वा वियाले वा दीहपिट्ठो लूमेज्जा; इत्थी वा पुरिसस्स ओमज्जेज्जा, पुरिसो वा इत्थीणु ओमज्जेज्जा, एवं से कप्पइ, एवं से चिट्ठइ, परिहारं च से ण पाउणइ—एस कपे धेर-कप्पियाणं; एवं से नो कप्पइ, एवं से नो चिट्ठइ, परिहारं च णो पाउणइ—एम कपे जिण-कप्पियाणं ।

—व्यवहार सूत्र ५।२१॥

साधु को रात्रि व सायं के समय किसी विष-धर सर्प ने काट खाया हो, उस समय उपचार जानने वाले किसी पुरुष का योग न मिले और स्त्री का मिलता हो, तो स्त्री के पास से उपचार करा लेवे; इसी प्रकार साध्वी को काटा जाने पर उसे उपचार जानने वाली स्त्री का योग न मिले और पुरुष का मिलता हो, तो वह साध्वी उस पुरुष से उपचार करा लेवे,

इस प्रकार करना उन्हें कल्पता है और इस प्रकार किया जाता है, उन्हें किसी प्रकार का पारिहारिक तप प्रायश्चित्त नहीं आता—यह स्थविर-कल्पियों की मर्यादा है। परन्तु जिन-कल्पी साधु को ऐसा करना नहीं कल्पता है और न वे ऐसा करते हैं, न करने पर उन्हें कोई पारिहारिक प्रायश्चित्त नहीं आता। (कल्प्य-प्रायश्चित्त, केवल आलोचना करनी होती है)

(३) भिक्षू य इच्छेज्जा गणं धारित्तए, नो से कप्पइ थेरे अणा-पुच्छित्ता गणं धारित्तए, कप्पइ से थेरे आपुच्छित्ता गणं धारित्तए। थेरा य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ गणं धारित्तए; थेरा य से नो वियरेज्जा एवं से नो कप्पइ गणं धारित्तए। जरणं थेरेहिं अविइरणं गणं धारेइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा। जे ते साहम्मिया उट्टाए विहरंति, एत्थि गं तेसिं केई छेए वा परिहारे वा।
—व्यवहार सूत्र ३।२॥

किसी साधक के मन में कुछ साधुओं को साथ लेकर विचरने की इच्छा हुई, तो उसे स्थविर भगवान् से विना पूछे ऐसा करना नहीं कल्पता, उनसे पूछ कर करना कल्पता है। स्थविर भगवान् आज्ञा दे देवें तो साधुओं को साथ लेकर विचरण कर सकता है, यदि वे आज्ञा न देवें तो ऐसा करना नहीं कल्पता। जो साधक स्थविर भगवान् की आज्ञा विना साधुओं को साथ लेकर जितने दिन विचरे, उतने ही दिन का उसे दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है। परन्तु जो साधु उसके साथ विचरे हैं उन्हें कोई छेद व तप प्रायश्चित्त नहीं आता। (केवल आलोचना करनी होती है)

२. प्रतिक्रमण—

छ्विहे पडिक्कमणे परणत्ते तं जहा—उच्चार-पडिक्कमणे,

पासवण-पडिक्कमणे २, इत्तरिए ३, आवकहिए ४, जंकिंचि-
मिच्छा ५, सोमणंइए ६ ॥ (ठाणाग सूत्र ६।११६)

पंचविहे पडिक्कमणे पणणत्ते तं जहा—आसवदार-
पडिक्कमणे, मिच्छत्त-पडिक्कमणे, कसाय-पडिक्कमणे, जोग-
पडिक्कमणे, भाव-पडिक्कमणे ॥ —ठाणाग सूत्र ५।३।१२॥

गुती-समिइ-पमाए गुरुणो आसायणा विणय-भंगे ।
इच्छाईणमकरणे लहुस-गुसाऽदिन्न-मुच्छासु ॥
अविहीइ कास-जंभिय-खुय-वायासंक्किलिडुकम्मेसु ।
कन्दप्प—हास—विगहा—कसाय—विसयाणुसगेसु ॥
खलियस्स य सच्चत्थ वि हिंसमणावज्जथो जयन्तस्स ।
सहसाऽणभोगेण व मिच्छाकारो पडिक्कमणं ॥
आभोगेण वि तणुएसु नेह-भय-सोग-बाउसाईसु ।
कन्दप्प-हास-विमहाईएसु नेयं पडिक्कमणं ॥

(जीतकल्प सूत्र ॥)

प्रथम प्रायश्चित्त में तो कल्प्य कार्य जिस प्रकार किये गये
है उनका योग्य व्यक्ति के सम्मुख कथन करना होता है और
इस द्वितीय प्रायश्चित्त में दिन भर के कार्यों में जो असावधा-
नियाँ एव श्रुतियाँ रह गई हैं उनका मिथ्या-दुष्कृत दिया जाता
है। जैसे कि मन वचन और काया की गुण्णियों के पालन करने
में जो श्रुतियाँ रह गई हैं, ईर्या-समिति आदि पाश्च समितियों
के पालन में जो असावधानियाँ हुई हैं यथा वाते करते हुए

३. तदुभय—

संभम-भयाउरावड्-सहसाऽणाभोगऽणप्पवसओ वा ।
 सव्ववथाईयारे तदुभयमासंकिए चेव ॥
 दुच्चिन्तिय-दुब्भासिय-दुच्चेट्ठिय एवमाइयं बहुसो ।
 उवउत्तो वि न जाणइ जं देवसियाइ-अइयारं ॥
 सव्वेसु वि षीय-पए दंसण-नाण-चरणावराहेसु ।
 आउत्तस्स तदुभयं सहसक्काराइणा चेव ॥

इस तीसरे प्रायश्चित्त में, दोषों की आलोचना भी की जाती है और मिथ्यादुष्कृत भी दिया जाता है । यह जिन-जिन दोषों का होता है वे इस प्रकार हैं—

सम्भ्रान्तावस्था में, भयावस्था में, रोगावस्था में द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की आपद् अवस्था में, उत्तमुकतापूर्वक शीघ्रता से कार्य करने में, अनजान-पन में, कोई कार्य अपने वश के बाहिर हो जाने से उस समय ज्ञान, दर्शन, एवं चारित्र्य के मूलगुणरूप पाञ्च महाव्रतों तथा उत्तरगुण दश-विध प्रत्याख्यान पाञ्च समिति आदि में जो अतिचार लगते हैं अथवा अतिचार-विषयक आशंका होती है तो उस अवस्था में यह तीसरा प्रायश्चित्त किया जाता है ।

इसी प्रकार जो-जो दुश्चिन्तन किया हो, दुर्भाषा बोली हो, दुष्क्रिया का हो तथा उपयोग लगाने पर भी जो देवसी आदि अतिचार स्मृति में न आ रहे हों उन सब का 'तदुभय' प्रायश्चित्त होता है ।

व्यक्त अर्थात् गीतार्थ द्वारा अपवाद-मार्ग में आचरण करते, उपयोग रखते हुए भी ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र के हेतु जो अकस्मात् विराधना होती है तो उसका 'तदुभय' प्रायश्चित्त होता है ।'

४. विवेक—

पिण्डोवहि, सेज्जाई गहियं कडजोगिणोवउत्तेण ।
पच्छा नायमसुद्धं, सुद्धो विहिणा विगिञ्चन्तो ॥
कालाऽद्वाणाइच्छिय-अणुगयत्थमिय-गहियमसढो उ ।
कारण-गहिय-उव्वरियं भत्ताइ-विगिञ्चियं सुद्धो ॥

भोजन, वस्त्र आदि उपकरण एवं शय्यादि, कृतयोगी—
कृताम्यासी द्वारा उपयोगपूर्वक ग्रहण करने के पश्चात् अवज्ञात
हो कि यह गृहीत वस्तु सदोष है अशुद्ध है, तो विधिपूर्वक
उसका त्याग करना ही, शुद्धि है जो कि चतुर्थ प्रायश्चित्त है ।

इसी प्रकार प्रथम प्रहर में ली वस्तु चतुर्थ प्रहर में रह
जाने पर; मार्ग चलते पोने-पाञ्च-माइल से ऊपर चले जाने से
एवं शठता रहित हो कर सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात्
वस्तु के ग्रहण कर लेने पर पता चले कि अभी सूर्योदय नहीं
हुआ अथवा अस्त हो चुका है तो उस वस्तु को विधिपूर्वक त्याग
करने से शुद्धि होती है ।

रोगी के निमित्त, आचार्य महाराज के निमित्त, अल्पवयस्क
साधक के निमित्त, अभ्यागत प्राधूर्णक=अतिथि के निमित्त,
दुर्लभ्य वस्तु के सहसा ग्रहण कर लेने के कारण यदि
आवश्यकता से अधिक वस्तु ग्रहण कर ली गई हो तो वह

वस्तु किसी गृहस्थ आदि को नहीं दी जाती अपितु एकान्त स्थान पर विधि-पूर्वक परिष्ठापन की जाती है जो कि चतुर्थ प्रायश्चित्त है। (लाई हुई वस्तु विना काम में आए परिष्ठापन करने से आत्मा को धक्का-सा लगता है और वह आगे को फिर अधिक लाने से बचने का प्रयत्न करता है।)

५. व्युत्सर्ग—

गमणागमण-विहारे सुयम्भि सावज्ज-सुविणार्इसु ।

नावा-नइ-सन्तारे पायच्छित्तं विउस्सगो ॥

आने-जाने में, विहार करने में श्रुताभ्यास में, निद्रावस्था में सावद्यकारी स्वप्न आने पर, घुटनो से नीचे जल वाली नदी को काया द्वारा पार करने में तथा इससे अधिक गहरे पानी को नौका द्वारा पार करने आदि में जो अतना होती है, उसके प्रायश्चित्त में कायोत्सर्ग=ध्यान लगाया जाता है जो कि पञ्चम प्रायश्चित्त है।

६. तप—

उद्देसज्जकयण-सुयक्खन्धंगेसु कमसो पमाइस्स ।

कालाइक्कमणाइसु नाणायाराइयारेसु ॥

(एवं दर्शनाचारातिचारेषु चारिणाचारातिचारेषु च)

ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य में अतिक्रम, व्यतिक्रम और

१. तिविहे पायच्छित्ते परणत्ते तंजहा—णाण-पायच्छित्ते, दसण-पायच्छित्ते, चरित्त-पायच्छित्ते ॥
—ठाणाग सूत्र ३।४।१२॥

अतिचार^१ तक के तथा अपवाद के दोषों का प्रायश्चित्त-विधान 'तदुभय' नामक तीसरे प्रायश्चित्त तक है किन्तु विशेष प्रमाद^२ द्वारा ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र में जो अतिचार लगते हैं एवं अनाचार^३ होते हैं उन दोषों का यह 'तप' नामक छटा प्रायश्चित्त है। वे दोष चारित्र-विषयक चाहे मूलगुण-सम्बन्धी हैं अथवा उत्तरगुण-सम्बन्धी तथा च ज्ञान-विषयक हों अथवा दर्शन-विषयक, जिन में विशिष्ट-प्रमाद कारण है उन दोषों के लिये यह 'तप' प्रायश्चित्त लेना होता है।

इस तप-प्रायश्चित्त के मूल में दो भेद हैं—उग्घाइम अर्थात् लघु प्रायश्चित्त तथा अणुग्घाइम^४ अर्थात् गुरु प्रायश्चित्त; इन दोनों के मास तथा चौमास^५, दो-दो भेद हैं,

१. तिरहमइक्कमाणं आलोएजा, पडिक्कमेजा, सिंदेजा, गरहिजा जाव पडिवज्जेजा तं जहा—णाणाइक्कमस्स, दंसणाइक्कमस्स, चरित्ता-इक्कमस्स, एवं वइक्कमाणं, अइयाराणं, अणायाराणं ॥

२. निद्रा, विकथा, मद, विपय, कषाय ॥

३. अनाचार की अनेकों कोटियां हैं। सामान्य-प्रमाद से सेवित अनाचार का 'तदुभय' तीसरा प्रायश्चित्त, विशिष्ट प्रमाद द्वारा सेवित अनाचार का छटा 'तप' प्रायश्चित्त, कुछ जान-बूझ कर सेवन किये गए अनाचार का सातवां 'छेद' प्रायश्चित्त और सर्वथा जान-बूझ कर सेवन किये गए अनाचार का आठवां 'मूल' प्रायश्चित्त होता है।

४. पंच अणुग्घाइम पणत्ता तं जहा—इत्थकम्म करेमाणे, मेहुणं पडिसेवमाणे, राइ-भोयणं भुंजमाणे, सागारिय-पिंडं भुंजमाणे, राय-पिंडं भुंजमाणे ॥

—ठाणांग सूत्र ५१२२॥

५. चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी के शासन-काल में:

इस प्रकार चार भेद होते हैं—(१) लघुमास^१, (२) गुरुमास, (३) लघुचौमासी, (४) गुरुचौमासी^२ । इन चारों के फिर तीन-तीन भेद किए गए हैं—

(१) परवश-पने किसी म्लेच्छ अनार्य राजा आदि तथा देवता के दबाव से सेवन किए गए उपभोग रहित दोषो के प्रायश्चित्त ।

(२) स्वयं आतुरता से उपयोग सहित सेवन किए गए दोषो के प्रायश्चित्त ।

(३) जान-बूझ कर मोहनीय-कर्म के उदय से मूर्खाभाव-पूर्वक सेवन किए गए दोषो के प्रायश्चित्त ।

इन बारह प्रकार के तप-प्रायश्चित्तों के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तीन-तीन भेद कर देने पर कुल छत्तीस भेद बनते हैं ।

इन छत्तीस प्रकार के 'तप' प्रायश्चित्तों में कौन-सा तप और कितना तप होता है यह प्राचीन आचार्य देवों की धारणा-नुसार नीचे के कोष्ठक में दिया जाता है—

उत्कृष्ट तप प्रायश्चित्त छः मास का होता है, अतः छः मास के भी दो भेद गणना में आते हैं जैसे कि लघु-छमासी १६५ उपवास, गुरु-छमासी १८० उपवास ।

१. लघु-मास से भी छोटा तप-प्रायश्चित्त 'भिन्नमास' आया है जो कि २५ उपवास का होता है ।

२. पञ्चविधे आचार-पक्षे पण्ये तजहा—(१) मासिए उम्वाइए, (२) मासिए अणुम्वाइए, (३) चउमासिए उम्वाइए, (४) चउमासिए अणुम्वाइए, (५) आरोवणा ॥

तीन श्रेणियाँ		परशरपने उपयोग रहित			आतुरता से उपयोग सहित			मोहनीय कर्मोदय मूर्च्छाभाव से				
तीन २ कोटियाँ	जघन्य	मध्यम	उत्कृष्ट	जघन्य	मध्यम	उत्कृष्ट	जघन्य	मध्यम	उत्कृष्ट	जघन्य	मध्यम	उत्कृष्ट
लघु मास	४ एकासन	१५ एकासन	२७ एकासन	४ आयम्बिल	१५ आयम्बिल	२७ आयम्बिल	४ आयम्बिल	१५ उपवास	२७ उपवास	४ उपवास	१५ उपवास	२७ उपवास
गुरु मास	४ नीबी	१५ नाबी	३० नीबी	४ आयम्बिल	१५ आयम्बिल	३० आयम्बिल	४ उपवास	१५ उपवास	३० उपवास	४ उपवास	१५ उपवास	३० उपवास
लघु चौमासी	४ आय०	६० नीबी	१०८ उपवास	४ उपवास (धार विगय का त्याग)	४ बेले धार विगय का त्याग	१०८ उपवास धार विगय का त्याग	४ बेले पारने में आयम्बिल	४ तेले पारने में आयम्बिल	१०८ उपवास पारने में आयम्बिल	४ बेले पारने में आयम्बिल	४ तेले पारने में आयम्बिल	१०८ उपवास पारने में आयम्बिल
गुरु चौमासी	४ उपवास	४ बेले	१२० उपवास तथा ४ मास का छेद (१००)	४ बेले तथा ४ दिन का छेद	४ तेले तथा ६ दिन का छेद	१२० उपवास तथा ४ मास का छेद (१०८)	४ तेले पारने में आयम्बिल तथा ४० दिन का छेद	४ तेले पारने में आयम्बिल तथा ६० दिन का छेद	१२० उपवास पारने में आयम्बिल तथा मूल दीक्षा (१२०)	४ तेले पारने में आयम्बिल तथा ४० दिन का छेद	४ तेले पारने में आयम्बिल तथा ६० दिन का छेद	१२० उपवास पारने में आयम्बिल तथा मूल दीक्षा (१२०)

१. महाव्रतों की श्रावृत्ति करा कर १२० दिन का छेद देना ।

निद्रा, विकथा, मद, विषय और कषाय मे से किसी भी विशिष्ट प्रमाद के कारण ज्ञानाचार में लगे दोषों के प्रायश्चित्त इस प्रकार है—

१. जे भिस्सू चउहिं संभाएहिं मज्झायं करेइ करेन्तं वा साइज्जइ, तं जहा—पुच्चाए संभाए, पच्छिमाए संभाए, अवरण्हे, अइडरते, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मामियं परिहारद्दार्शं उग्घाइयं । —निशीथ सूत्र १६।८॥

प्रातःकाल की सन्ध्या के दो घड़ी के समय में, सायंकाल की सन्ध्या के दो घड़ी के समय में, दोपहर एव अर्द्धरात्रि के दो-दो घड़ी के समय में आगम-स्वाध्याय स्वय करने औरों से करवाने और करते हुआ को अच्छा समझने से लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

२. जे भिस्सू चउसु महा-पाडिवएसु सज्झायं करेइ करेन्तं वा साइज्जइ, तं जहा—सुगिम्हया पाडिवए, आसाढी पाडिवए, भइवय पाडिवए, कत्तिय पाडिवए; तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मामियं परिहारद्दार्शं उग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १६।१२॥

चैत्र शुक्ला पूर्णिमा और वैशाख कृष्णा १, आषाढ पूर्णिमा और श्रावण कृष्णा १, भाद्र पूर्णिमा और आश्विन कृष्णा १* और कार्तिक पूर्णिमा तथा मृगशर कृष्णा १ को आगम-स्वाध्याय स्वय करने औरों से करवाने एवं करते हुआ को अच्छा समझने से लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

३. जे भिस्सू अमज्झाइए सज्झायं करेइ करेन्तं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मामियं परिहारद्दार्शं उग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १६।१५॥

* इद पाडिवए ॥ आश्विन पूर्णिमा और कार्तिक कृष्णा १
—ठाणग सूत्र ४।२।१०॥

अकाल में गर्जना चमकना एवं चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण आदि अस्वाध्याय-काल में स्वाध्याय करने, करवाने एवं करने वाले को अच्छा समझने से लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

४. जे भिक्खू हेट्टिल्लाइं समोसरणाइं अवाएत्ता उवरिल्लाइं समोसरणाइं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्वाइयं ।
—निशीथ सूत्र १६।१७॥

प्रमाद के कारण शिष्यों को क्रमशः न पढ़ाने से और क्रमशः न पढ़ने वालों को अच्छा समझने से लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

५. जे भिक्खू नव-वंभचेराइं अवाएत्ता उवरिम-सुयं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्वाइयं ।
—निशीथ सूत्र १६।१८॥

आचाराङ्ग सूत्र पढ़ाए विना ठाणांग समवायांग आदि आगम पढ़ाने, पढ़ाने वाले को अच्छा समझने से लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

६. जे भिक्खू अवत्तं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ, जे भिक्खू अपत्तं वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ, जे भिक्खू पत्तं न वाएइ, न वाएंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्वाइयं ।
—निशीथ सूत्र १६।२१,२२॥

कषाय प्रमाद के कारण रागद्वेष के वशीभूत होकर अव्यक्त तथा अपात्र^१ को पढ़ाना और पात्र को न पढ़ाना और इसे अच्छा समझना तो उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

१. (क) चत्तारि अवायणिज्जा पण्णत्ता तंजहा—अविणीए, विगइ-पडिवद्धे, अविओसिय-पाहुडे, मायी ॥

—ठाणांग सूत्र ४।३।२७॥

७. जे भिक्षू दोरहं सरिम्गाणं एक्कं संचिक्खावेइ एक्कं न संचिक्खावेइ, एक्कं चाएइ, एक्कं न चाएइ, न वाणंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं उग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १६।२३॥

दोनों एक जैसे शिष्यों को रागद्वेष के वशीभूत होकर एक को शिक्षा देनी एक को न देनी, एक को पढाना, एक को न पढाना और इसे अच्छा समझना तो उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

८. जे भिक्षू आयरिय-उवग्भाएहिं अविदिन्नं गिरं आइयइ, अइयंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं उग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १६।२४॥

(ख) तिन्तिणिक-चलचित्त-गाणङ्गणिक-दुर्वलचारित्राऽऽचार्य-परिभाषि-वामावर्त्त-पिशुनाकृतसामाचारीक—गर्वित-प्रकीर्णक-निह्वविनः एकादशाऽपात्रभूताः शिष्या आदिमादृष्टभावोऽप्राप्तः, तरुणधर्मा पुनरव्यक्तः । अथैतेषा सूत्रार्थप्रदाने प्रायश्चित्तमाह—

अव्वत्ते अ अपत्ते लहुगा, लहुगा य हँति अप्पत्ते ।

लहुगा य दव्व-तित्तिणि, रस-तित्तिणि हँति चतुगुरुगा ॥

—वृहत्कल्प भाष्यगाथा ७८८॥

अव्यक्तः=तरुणधर्मा तस्य तथा “अपत्ते” त्ति अपात्राणामेकादशसंख्यकाना सूत्रार्थो यदि ददाति तदा चत्वारो लघुकाः । “लहुगा य हँति अप्पत्ते” त्ति अप्राप्तः—आद्यादृष्टभावस्तस्य ददाति चत्वारो लघवः । ‘रसतित्तिणिकस्य’ आहारतित्तिणिकस्य ददाति चत्वारो गुरुवः । उपदिश्यातित्तिणिकयोर्ददानस्य चलारो लघव इत्यनुक्तमपत्रावसातक्ष्यम, निशीथचूर्णावुकत्वात् ॥

मद एवं कषाय के वशीभूत होकर तथा प्रमाद के कारण आचार्य उपाध्याय महाराज से न पढ़कर स्वयं पढ़ना और इसे अच्छा समझना तो उसे लघुचौमसी प्रायश्चित्त आता है ।

९. जे भिक्खू अन्नउत्थियं वा गारत्थियं वा वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ, जे भिक्खू अन्नउत्थिएण वा गारत्थिएण वा पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १६।२५, २६॥

विकथा आदि प्रमाद के वश होकर अन्य-तीर्थी एवं गृहस्थ को पढ़ाना तथा उनसे पढ़ना एवं इसे अच्छा समझना तो उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

१०. जे भिक्खू पासत्थं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ; जे भिक्खू पासत्थेण पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ; जे भिक्खू ओसन्नं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ; जे भिक्खू ओसन्नेण पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ; जे भिक्खू कुसीलं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ; जे भिक्खू कुसीलेण पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ; जे भिक्खू नितियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ; जे भिक्खू नितियेण पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ; जे भिक्खू संसत्तं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ; जे भिक्खू संसत्तेण पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ॥

—निशीथ सूत्र १६।२७ से ३६ ॥*

निद्रा, विकथा तथा कषाय आदि प्रमाद के वश पार्श्वस्थ अवसन्न, कुशील, नित्यक एवं संसक्त को पढ़ाना तथा उन से पढ़ना और इसे अच्छा समझना तो उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

* यदि पार्श्वस्थादिभ्यः सूत्रमर्थं वा ददाति तदा चत्वारो लघवः, यथाच्छन्देभ्यः प्रददाति चत्वारो गुरवः ॥ —बृहत्कल्प भाष्य टीका ७५६॥

इत्यादि और भी जानाचार विषयक दोषों के प्रायश्चित्त समझ लेने चाहिये ।

अब दर्शनाचार-सम्बन्धी दोषों के प्रायश्चित्तों का वर्णन किया जाता है । इस प्रसङ्ग में इतना ध्यान रखना चाहिये कि केवल-प्ररूपित प्रवचन के किसी विषय में जिस किसी को शङ्का आई हो अथवा विपरीत श्रद्धान हुआ हो, तो उस की प्ररूपणा करने पर तो उसे छेद (पृष्ठ १५ पर दिये गए उत्कृष्ट गुरुचौभासी, जिस में मूल और छेद प्रायश्चित्त है) दिया जाता है । परन्तु केवल प्रमादवशात् हँसी मखौल तथा आवेश आदि में प्राकर जिन प्रवचन से विपरीत उथल-पुथल बातें करने से ये तप-प्रायश्चित्त देने को कहा है जैसे कि—

१. जे भिक्खू 'नत्थि संभोग-वत्तिया पक्किय' ति वयइ, वयंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मात्थियं परिहारट्ठायं उग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र ५।६३॥

जब कि सब ही साधु पाञ्च महाव्रत धारी है तो सब के साथ सारे सम्भोग रखने में कोई दोष नहीं—ऐसा कहने वाला एवं ऐसा कहने वाले को अच्छा समझने वाला साधक लघुमास के प्रायश्चित्त का अधिकारी है ।

२. जे भिक्खू उग्घाइयं अणुग्घाइयं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ, जे भिक्खू अणुग्घाइयं उग्घाइयं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मात्थियं परिहारट्ठायं अणुग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १०।१५, १६॥

१. सर्वज्ञ भगवान् तीर्थंकर देव के आसातनाकारी बहुत ध्यान बोलने से तो दसवा पापञ्चिक प्रायश्चित्त होता है और इसके स्थान पर अपवाद-रूप में आठवा मूल प्रायश्चित्त भी दे दिया जाता है ।

प्रमाद के कारण खोज किये विना अथवा रागद्वेष के वशी-भूत होकर लघु-प्रायश्चित्ती को गुरु-प्रायश्चित्ती और गुरु प्राय-श्चित्ती को लघु-प्रायश्चित्ती कहने वाले और इसे अच्छा समझने वाले साधक को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

३. जे भिक्खू अपज्जोसवणाए पज्जोसवेइ, पज्जोसवंतं वा साइज्जइ, जे भिक्खू पज्जोसवणाए न पज्जोसवेइ, न पज्जोसवंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १०।४२, ४३॥

प्रमाद के कारण अथवा आभिनिवेशिक पक्षपात के कारण अपर्युषण-काल में पर्युषण करना और पर्युषण-काल में पर्युषण न करने और इसे अच्छा समझने से गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

४. जे भिक्खू भदन्तं अन्नयरीए अच्चासायणाए अच्चासाएइ, अच्चासाएंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १०।४४॥

जो अपने रत्नाधिक पूज्य पुरुषों की कोई आसातना करता है एवं आसातना करने वाले को अच्छा समझता है तो उस साधक को गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

५. जे भिक्खू दिया-भोयणस्स वरणं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ, जे भिक्खू राइ-भोयणस्स वरणं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र ११।७२, ७३॥

हँसी-मखील एवं गुगल आदि में दिवा-भोजन को बुरा कहना और रात्रि-भोजन की प्रशंसा करना और ऐसा कहते

हुओ को अच्छा समझना तो उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

६. जे भिक्खू अहाच्छन्दं पसंसइ, पसंसंतं वा साइज्जइ, जे भिक्खू अहाच्छन्दं वंदइ, वंदंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं ।
—निशीथ सूत्र ११।८२, ८३॥

स्नेह में आकर, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर अथवा किसी की लिहाज में आकर अपच्छन्दे की प्रशंसा करनी और उसे वन्दना करनी एव इसे अच्छा समझना, तो उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

७. जे भिक्खू धम्मस्स अवरणं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ, जे भिक्खू अधम्मस्स वरणं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं ।
—निशीथ सूत्र ११।६, १०॥

किसी सिद्धान्त के मोह में आकर, हँसी-मखौल के भाव से धार्मिक विषयो का उपहास करना तथा अधार्मिक विषयो की प्रशंसा करना तथा इसे अच्छा समझना तो उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

८. जे भिक्खू अन्नउत्थियं वा गारत्थिय वा वाणइ, वाणंतं वा साइज्जइ, जे भिक्खू अन्नउत्थियेण वा गारत्थियेण वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ।
—निशीथ सूत्र १६।२५, २६॥

अन्यतीर्थिक तथा गृहस्थ को आगम पढा कर तथा इन से पढ कर प्रवचन की हीलना में निमित्त बनने वाले और इसे अच्छा समझने वाले साधक को लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

६. जे भिक्खू दुगुञ्छिय-कुलेसु असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गहंतं वा साइज्जइ; जे भिक्खू दुगुञ्छिय-कुलेसु वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कम्बलं वा, पायपुच्छणं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गहंतं वा साइज्जइ; जे भिक्खू दुगुञ्छियकुलेसु वसहिं पडिग्गाहेइ, पडिग्गहंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १६।२७, २८, २९॥

दुर्गञ्छनीय कुलों से आहार पानी, वस्त्र पात्र, तथा वसति-शय्या लेकर जिन-शासन की अवहेलना में निमित्त बनने वाले एवं इसे अच्छा समझने वाले साधक को लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ॥

१०. जे भिक्खू पडिग्गहं अणलं अथिरं अथुवं अधारणिज्जं धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १४।८॥

जो साधक टूटे-फूटे अस्थिर, न रखने योग्य पात्रों को रख कर जिन-शासन की अवहेलना कराता है और इसे अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

११. जे भिक्खू गिलाणं सोच्चा न गवेसइ, न गवेसंतं वा साइज्जइ; जे भिक्खू गिलाणं सोच्चा उम्मगं वा पडिपहं वा गच्छइ, गच्छंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र १०।३६, ३७॥

जो साधक, किसी वीमार रोगी का पता लग जाने पर, उसकी सेवा से पराङ्मुख होकर दूर टलता है, जिस से वह जिन-शासन की निन्दा का निमित्त बना एवं दूर टलते हुआ को अच्छा जाने, तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

इत्यादि अनेकों प्रकार के दर्शनाचार-विषयक दोषों के प्रायश्चित्त समझ लेने चाहियें ।

अब चारित्र्याचार के प्रायश्चित्तों का वर्णन किया जाता है ।

वियय, कषाय, निद्रा, मद और विकथा रूप प्रमाद के वशीभूत होकर चारित्र्याचार में जो दोष लगते हैं उनके दो भेद होते हैं, मूलगुण के दोष और उत्तरगुण के दोष । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह विषयक तथा रात्रि-भोजन-त्याग विषयक दोषों को मूलगुणों के दोष कहा जाता है और पाश्च समिति, तीन गुप्ति, आहार, विहार, एवं दशविध प्रत्याख्यान विषयक दोषों को उत्तरगुणों के दोष कहा जाता है । इन सब दोषों के प्रायश्चित्तों का वर्णन क्रमशः इस प्रकार है—

मूलगुणों के प्रायश्चित्त—

१. जे भिक्खू माउग्गामं मेहुण-वडियाणं विअवेइ, विअवनें वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्घाडयं ।

—निशोथ सूत्र ६।१॥

जो साधक किसी स्त्री को मैथुन भाव से कोई वचन कहता है और इस प्रकार के वचन कहने वाले को अशुभ विचारों में रस लेता है तो उसे गुरु-चौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाणं लेहं लिइइ, लेहं लेहावेइ; लेह-वडियाणं बहियाणं गच्छइ, गच्छंते वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्घाडयं ।

—निशोथ सूत्र ६।१२॥

जो साधक किसी स्त्री को मैथुन भाव से कोई पत्र लिखता है अथवा दूसरे से लिखवाता है और लिखने के लिए बाहिर एकान्त स्थान में जाता एवं ऐसा करने वाले के विचारों में रस लेता है तो उसे गुरु-चौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

३. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए कलहं कुज्जा, कलहं वूया, कलह-वडियाए गच्छइ, गच्छंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाइयं ।
—निशीथ सूत्र ६।१२॥

जो साधक माता के सदृश इन्द्रियों वाली किसी स्त्री से मैथुन के भाव से किसी के साथ क्लेश करता है, क्लेशकारी वचन बोलता है, क्लेश करने के लिए बस्ती को छोड़ बाहिर गमन करता है और ऐसा करने वाले के विचारों में रस लेता है तो उसे गुरु-चौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

४. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए अहयाइं कथाइं धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ; जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए धोव-रत्ताइं कथाइं धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाइयं ।
—निशीथ सूत्र ६।२०, २१॥

जो साधक मातृ-सदृश इन्द्रियों वाली किसी स्त्री के साथ मैथुन के भाव से अक्षत अविक्षत तथा धो-साफ करके वस्त्रों को धारण करता है एवं ऐसा करने वाले के विचारों में रस लेता है तो उसे गुरु-चौमासी का प्रायश्चित्त लेना होता है ।

५. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाइयं ।
—निशीथ सूत्र ६।२४॥

जो साधक मातृ-समान किसी स्त्री से मैथुन के भाव रख कर अपने पाँव मसले, साफ करे और ऐसा करने वाले को अच्छा समझे तो उसे गुरु-चौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

६. जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए खीरं वा, दहिं वा, नवणीयं वा, गुलं वा, खण्ड वा, मक्कर वा, मच्छण्डियं वा अन्नपरं वा पणीयं आहारं आहारेइ, आहारतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्वाइयं ।
—निशीथ सूत्र ६।७७।

जो साधक अपनी माता के समान किसी स्त्री के साथ मैथुन करने के भाव से दूध, दही, मक्खन, गुड़, खाण्ड, शक्कर, मिथ्री एव अन्य कोई प्रणीत आहार करता है, एव ऐसा करने वाले के विचारो मे रस लेता है तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

७. जे भिक्षु माउगामस्स मेहुण-पडियाए तेइच्छं आउट्टइ तेइच्छं आउट्टंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्वाइयं ।
—निशीथ सूत्र ७।७६।

जो साधक किसी स्त्री के साथ मैथुन के भाव से शरीर की चिकित्सा स्वयं करता है औरो से करवाता है और करते हुओं को अच्छा समझता है तो उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

८. जे भिक्षु माउगामस्स मेहुण-पडियाए मणुत्ताइं पोग्गलाइं उवकिरइ, उवकिरंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्वाइयं ।
—निशीथ सूत्र ७।८१।

जो साधक मैथुन भाव से सुगन्धित पुद्गलो को, शरीर पर वस्त्र पर अथवा स्थानक मे बिखेरता है एव इसे अच्छा समझता है तो उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ।

९. जे भिक्षु माउगामस्स मेहुण-पडियाए असणं वा पारुं वा ग्वाइमं वा साइमं वा देइ, दें वा साइज्जइ; पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्वाइयं ।

—निशीथ सूत्र ७।८५, ८६।

जो साधक मैथुन भाव से किसी को आहार पानी देता है, दिलवाता है और देने वाले के अशुभ विचारों में रस लेता है, इसी प्रकार मैथुन भाव से आहार पानी स्वयं ग्रहण करता है और इसे अच्छा समझता है तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

१०. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-पडियाए वथं वा पडिग्गहं वा कंवलं वा पायपुच्छणं वा देइ, देतं वा साइज्जइ; पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ।

—निशीथ सूत्र ७।८७, ८८।।

जो साधक मैथुन भाव से किसी को वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोच्छन देता है, दिलवाता है और इसे अच्छा समझता है, इसी प्रकार मैथुन भाव से स्वयं ग्रहण करता है तथा इसे अच्छा समझता है तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

११. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-पडियाए वाएइ, वाएंतं वा साइज्जइ; पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ।

—निशीथ सूत्र ७।८६, ६०।।

जो साधक किसी स्त्री से मैथुन के भाव से उसे पढ़ाता है अथवा उससे पढ़ता है और ऐसा करने वाले के विचारों में रसानुभूति रखता है तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

१२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-पडियाए अन्नयरेणं इंदिएणं आगारं करेइ, करंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ।

—निशीथ सूत्र ७।६१।।

जो साधक किसी स्त्री को अपनी किसी इन्द्रिय के आकार से अपने मैथुन के भाव जतलाता है और ऐसी हरकत करने

वालों को अच्छा समझता है तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

१३. निगन्धिं च ण गिलायमाणिं माया वा भगिणी वा धूया वा पलिस्सपुजा, त च निगंधे साइज्जेजा, मेहुणपडिमेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ।
—वृहत्कल्प सूत्र ४।६॥

कारण पड़ने पर कोई साधु किसी साध्वी की रुग्णावस्था में सेवा करता हुआ उसे माता बहिन व पुत्री समझ कर कर रहा है, परन्तु इस बीच उसका मन विकृत हो जाए अर्थात् मैथुन के भाव आ जाएँ तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

१४. निगंधं च यं गिलायमाणं पिशा वा भाया वा पुत्ते वा पलिस्सपुजा, त च निगंधी साइज्जेजा, मेहुणपडिमेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ।
—वृहत्कल्प सूत्र ४।१०॥

किसी कारण के आ पड़ने पर कोई साध्वी किसी साधु की रुग्णावस्था में सेवा कर रही है और अपने मन में पिता भाई व पुत्र की भावना लिये हुए है परन्तु बीच में यदि उसके मन में मैथुन के भाव आ जाएँ तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

१५. निगंधीए य राओ वा वियाले वा उचारं वा पामवण वा विनिञ्चमारीए वा विभोहेमारीए वा अन्नपरे पसुजाईए वा पक्खिजाईए वा अन्नपर-इन्दिपजाए तं परामुमेजा, त च निगंधी साइज्जेजा, हथकम्म-पडि-मेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ।

—वृहत्कल्प सूत्र ५।१३॥

कोई साध्वी, सार्य अथवा रात्रि में उच्चार-प्रश्रवण करने गई, किसी जीव-जन्तु अथवा काष्ठ आदि का उसके शरीर-

वयव-विशेष से स्पर्श हो जाने पर यदि वेद-मोह उदय हो जाए तथा इस स्पर्श की और इच्छा करे, और हस्त-कर्म के भाव आ जाएँ तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

१६. निगंथीण य रात्रो वा वियाले वा उच्चारं वा पासवणं वा विगिञ्चमाणीण वा विसोहेमाणीण वा अन्नयरे पसुजाईण वा पक्खिजाईण वा अन्नयरंसि सोयंसि श्रोगाहेजा, तं च निगंथी साइज्जेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं श्रणुग्वाइयं ।

—बृहत्कल्प सूत्र ५।१४॥

कोई साध्वी सायं अथवा रात्रि के समय उच्चार प्रश्रवण करने गई, किसी जीव-जन्तु अथवा काष्ठ आदि का योनिस्थान से स्पर्श हो जाने पर यदि वेद-मोह उदय हो जाए तथा ऐसे स्पर्श की और इच्छा वनी रहे, और उस साध्वी के मन में पुरुष से मैथुन के भाव आ जाएँ तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

१७. जे भिक्खू हत्थकम्मं करेइ, करंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू श्रंगादाणं कट्टेण वा कलिञ्चेण वा श्रंगुलियाण वा सलागाण वा संचालेइ, संचालंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू श्रंगादाणं संवाहेज्ज वा पलिमद्वेज्ज वा, संवाहंतं वा पलिमदंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू श्रंगादाणं सीओदग-विग्रडेण वा उस्सिणोदग-विग्रडेण वा उच्छोलेज्ज वा पयोण्ज वा, उच्छोलंतं वा पयोवंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू श्रंगादाणं निच्छल्लेइ, निच्छलंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू श्रंगादाणं अन्नयरंसि अचित्तंसि सोयंसि श्रणुपवेसेत्ता मुक्क-पोगाले निग्वायइ, निग्वायंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ मासियं परिहारट्टाणं श्रणुग्वाइयं । —निशोथ सूत्र १।१,२,३,६,७,९॥

१८. देवे य इत्थिरुवं विउच्चित्ता निगंथं पडिग्गाहेजा, तं च निगंथे साइज्जेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ते श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं

अणुघ्नाइय । देवे य पुरिसरूवं विउन्वित्ता निग्गथिं पडिग्गाहैज्जा, त च निग्गथी साइज्जेज्जा, मेहुणपडिमेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण अणुघ्नाइय । देवी य इन्धिरूव विउन्वित्ता निग्गथ पडिग्गाहैज्जा, त च निग्गथे साइज्जेज्जा, मेहुणपडिमेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण अणुघ्नाइय, देवी य पुरिसरूव विउन्वित्ता निग्गथीं पडिग्गाहैज्जा, त च निग्गथी साइज्जेज्जा, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण अणुघ्नाइय ।
—वृहत्कल्प सूत्र ५।१से४॥

१९. जे भिक्खू लहुसगं फस्स वयइ, वयंत वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाण उग्घाइयं । —निशीथ सूत्र २।१८॥

जो साधक जरा सी भी वाचनिक हिंसा स्वयं करता है दूसरे से करवाता है और करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ।

२०. जे भिक्खू लहुसगं सुमं वयइ, वयंत वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं । —निशीथ सूत्र २।१९॥

जो साधक थोड़ा सा भी मृपावाद स्वयं बोलता है दूसरे से बुलवाता है और इसे अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ।

२१. जे भिक्खू लहुसगं अदत्तं आइयइ, आइयंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—निशीथ सूत्र २।२०॥

जो साधक सूक्ष्म चोरी—विना आज्ञा किसी की वस्तु ग्रहण करता है, करवाता है और ग्रहण करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ।

२२. नो वप्पइ निग्गंथाण वा निग्गन्धीण वा वेरज्ज-विस्सइ-रज्जंमि सज्जं

गमणं सज्जं आगमणं सज्जं गमणागमणं करेइ करंतं वा साइज्जइ, से दुहओ वीइक्कममाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्वाइयं ।

—बृहत्कल्प सूत्र १।३८॥

जहाँ कोई राज्य-व्यवस्था न हो (अराजकता व्याप्त हो) जिस राज्य में गृह-युद्ध चल रहा हो, ऐसे देशों में कोई निश्चित अधिकारी न होने से साधु साध्वी को वहाँ आना-जाना नहीं कल्पता; यदि कोई साधक ऐसे देशों में आता-जाता है और इसे अच्छा समझता है तो वह साधु-पक्ष और गृहस्थ-पक्ष, दोनों पक्षों के दोषों का सेवन करता है और उसे गुरु-चौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

२३. भिक्खू य उग्गय-वित्तीए अणत्थमिय-संकप्पे संयडिए निव्विइ-गिच्छे असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेत्ता आहारमा-हारेमाणे अह पच्छा जाणेज्जा—अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा, से जं च मुहे, जं च पाणिसि, जं च पडिग्गहे, तं विगिच्चमाणे विसोहेमाणे नाइक्कमइ; तं अप्पणा भुज्जमाणे अन्नेसिं वा अणुप्पदेमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्वाइयं ।

—बृहत्कल्प सूत्र ५।६॥

साधु की प्रतिज्ञा होती है कि वह सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् आहार न करेगा । वह साधक, शरीर से सर्वथा समर्थ है, उसे सूर्योदय में अथवा सूर्यास्त में कोई सन्देह भी नहीं, किसी से आहार-पानी ग्रहण कर लिया, किन्तु आहार-पानी करते समय उस साधक के मन में (वादल धूल आदि के हट जाने से) यह निश्चय हुआ कि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ अथवा सूर्य अस्त हो चुका है । उस समय यदि वह साधक, जो मुख में आहार है वह बाहिर निकाल दे और जो हाथ में है उसे छोड़ दे और जो पात्र में है उसे परठ दे तो वह

अणुघादय । देवे य पुरिसरूवं विउन्विता निग्गंथं पडिग्गाहेजा, तं च निग्गथी साइज्जेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दणं अणुघादय । देवी य इत्थिरूव विउन्विता निग्गंथं पडिग्गाहेजा, तं च निग्गथे साइज्जेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दणं अणुघादय, देवी य पुरिसरूवं विउन्विता निग्गंथीं पडिग्गाहेजा, तं च निग्गथी साइज्जेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दणं अणुघादय ।
—वृहत्कल्प सूत्र ५।१से३॥

१६. जे भिक्खू लहुसगं फरस वयइ, वयंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्दण उग्घादयं ।
—निशोध सूत्र २।१८॥

जो साधक जरा सी भी वाचनिक हिंसा स्वयं करता है दूसरे से करवाता है और करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ।

२०. जे भिक्खू लहुसगं मुमं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्दण उग्घादयं ।
—निशोध सूत्र २।१९॥

जो साधक थोडा सा भी मृषावाद स्वयं बोलता है दूसरे से बुलवाता है और इसे अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ।

२१. जे भिक्खू लहुसगं अदत्तं आइयइ, आइयंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्दण उग्घादयं ।
—निशोध सूत्र २।२०॥

जो साधक सूक्ष्म चोरी—बिना आज्ञा किसी की वस्तु ग्रहण करता है, करवाता है और ग्रहण करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ।

२२. नो कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गान्घोणं वा वेरज्ज-विश्व-रज्जंसि सज्जं

गमणं सज्जं आगमणं सज्जं गमणागमणं करेइ करंतं वा साइज्जइ, से दुहओ
वीइक्कममाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—वृहत्कल्प सूत्र १।३८॥

जहाँ कोई राज्य-व्यवस्था न हो (अराजकता व्याप्त हो)
जिस राज्य में गृह-युद्ध चल रहा हो, ऐसे देशों में कोई निश्चित
अधिकारी न होने से साधु साध्वी को वहाँ आना-जाना
नहीं कल्पता; यदि कोई साधक ऐसे देशों में आता-जाता है
और इसे अच्छा समझता है तो वह साधु-पक्ष और गृहस्थ-पक्ष,
दोनों पक्षों के दोषों का सेवन करता है और उसे गुरु-चौमासी
का प्रायश्चित्त आता है ।

२३. भिक्षू य उगय-वित्तीए अणत्थमिय-संकप्पे संथडिए निव्विइ-
गिच्छे असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेत्ता आहारमा-
हारेमाणे अह पच्छा जाणेज्जा—अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा, से जं च
मुहे, जं च पाणिसि, जं च पडिग्गहे, तं विगिञ्चमाणे विसोहेमाणे नाइक्कमइ;
तं अप्पणा भुञ्जमाणे अन्नेसिं वा अणुप्पदेमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं
परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—वृहत्कल्प सूत्र ५।६॥

साधु की प्रतिज्ञा होती है कि वह सूर्योदय से पूर्व एवं
सूर्यास्त के पश्चात् आहार न करेगा । वह साधक, शरीर से
सर्वथा समर्थ है, उसे सूर्योदय में अथवा सूर्यास्त में कोई सन्देह
भी नहीं, किसी से आहार-पानी ग्रहण कर लिया, किन्तु
आहार-पानी करते समय उस साधक के मन में (बादल धूल
आदि के हट जाने से) यह निश्चय हुआ कि अभी सूर्य उदय
नहीं हुआ अथवा सूर्य अस्त हो चुका है । उस समय यदि वह
साधक, जो मुख में आहार है वह बाहिर निकाल दे और जो
हाथ में है उसे छोड़ दे और जो पात्र में है उसे परठ दे तो वह

साधक शासन-पति की आज्ञा का अतिक्रम नहीं करता अर्थात् उसे रात्रि-भोजन का कोई दोष नहीं लगता । यदि वह स्वयं उस आहार को करता है अथवा किसी अन्य को देता है तो उसे गुरु-चौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

२४. भिक्षु य उग्राय-विन्तीण् अणत्थमिय-संकप्पे सथडिए विइ-गिच्छासमावन्ने अमणं वा ४ पडिगाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अइ पच्छा जाणैजा—अणुगणु सूरिए अन्थमिए वा, से जं च मुहे, जं च पाणिमि, ज च पडिगहे, त विगिच्चमाणे विमोहेमाणे नाइक्कमइ; त अत्पणा भुञ्जमाणे अन्नेसि वा अणुपदेमाणे आघज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण अणुग्घाइय ।

—बृहत्कल्प सूत्र ५।४॥

भिक्षु का सकल्प है कि सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात् वह आहार न करेगा । साधक, शरीर से कष्ट सहन करने में समर्थ है परन्तु धूल आदि में व मेघाच्छन्न आकाश होने के कारण उसके मन में तद्विषयक सन्देह है, किसी अन्य से पूछा, उसके कहने पर विश्वास करके आहार ग्रहण कर लिया और उसे करने लगे, तब उस समय साधक को भेघ आदि के हट जाने से ज्ञात हुआ कि अभी तो सूर्योदय नहीं हुआ अथवा सूर्य अस्त हो चुका है । उस समय यदि वह साधक मुख में डाला आहार बाहिर निकाल दे, हाथ में लिया हुआ छोड़ दे और पात्र में पड़ा परठ दे, तो उस साधक को रात्रिभोजन का कोई दोष नहीं लगता । किन्तु यदि वह साधक उस समय आहार करता जाता है (कि दोष तो लग ही चुका, आहार कर ही लें) अथवा दूसरे किसी महाव्रती को देवे तो उसे गुरु-चौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

२५. भिक्षु य उग्रायविन्तीण् अणत्थमियसकप्पे असथडिए निव्विइगिच्छे अमणं वा ४ पडिगाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अइ पच्छा

जायेज्जा—अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा, से जं च मुहे, जं च पाणिसि, जं च पडिग्गहे, तं विगिच्चमारो विसोहेमारो नाइक्कमइ; तं अप्पणा भुंजमारो अन्नेसिं वा अणुप्पदेमारो आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्घाइयं ॥

—बृहत्कल्प सूत्र ५।८॥

सूर्योदय के पश्चात् एवं सूर्यास्त से पूर्व आहार करने की प्रतिज्ञा वाला साधक, रोग के कारण अथवा मार्ग चलने व सेवा करने आदि से शरीर से असमर्थ है परन्तु आहार लेते समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त विषयक मन में कोई सन्देह नहीं। आहार ले लिया। उसे करने लगे। आहार करते समय मन में निश्चय हुआ कि सूर्योदय नहीं हुआ अथवा सूर्यास्त हो चुका है। उस समय तत्काल यदि वह साधक मुँह में डाला आहार बाहिर निकाल दे, हाथ का आहार छोड़ दे और पात्र का यत्नपूर्वक परिष्ठापन करदे तो उसे रात्रिभोजन का कोई दोष नहीं लगता, उसे कोई प्रायश्चित्त नहीं आता किन्तु मन में सूर्योदय एवं सूर्यास्त विषयक निश्चय होने पर भी यदि वह साधक (दोष तो लग ही गया, आहार करना क्यों छोड़ा जाए इत्यादि विचारों से) आहार करता जाए अथवा स्वयं वह आहार न करके किसी दूसरे साधक को देवे तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२६. भिक्खू य उग्गयवित्तीए अणत्वमियसंकप्ये असंथडिए विइ-गिच्छासमावन्ते असणे वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमारो अह पच्छा जायेज्जा—अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा, से जं च मुहे, जं च पाणिसि, जं च पडिग्गहे तं विगिच्चमारो विसोहेमारो नाइक्कमइ; तं अप्पणा भुञ्जमारो अन्नेसिं वा अणुप्पदेमारो आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्घाइयं ॥

—बृहत्कल्प सूत्र ५।९॥

साधक शासन-पति की आज्ञा का अतिक्रम नहीं करता अर्थात् उसे रात्रि-भोजन का कोई दोष नहीं लगता । यदि वह स्वयं उस आहार को करता है अथवा किसी अन्य को देता है तो उसे गुरु-चौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

२४. भिक्षु य उग्राय-वित्तीण अण्णथमिय-संकप्पे सथडिए विइ-गिच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अइ पच्छा जाणेजा—अणुग्गए सूरिए अथमिए वा, से जं च मुडे, जं च पाणिसि, जं च पडिग्गहे, तं विगिच्चमाणे विन्धीहेमाणे नाइक्कमइ; तं अपणा भुज्जमाणे अन्नेसि वा अणुपदेमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारद्वारणं अणुग्वाइय ।

—बृहत्कल्प सूत्र ५।७।।

भिक्षु का सकल्प है कि सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात् वह आहार न करेगा । साधक, शरीर से कष्ट सहन करने में समर्थ है परन्तु धूल आदि से व भेषाच्छन्न आकाश होने के कारण उसके मन में तद्विषयक सन्देह है, किसी अन्य से पूछा, उसके कहने पर विश्वास करके आहार ग्रहण कर लिया और उसे करने लगे, तब उस समय साधक को भेष आदि के हट जाने से ज्ञात हुआ कि अभी तो सूर्योदय नहीं हुआ अथवा सूर्य अस्त हो चुका है । उस समय यदि वह साधक भुख में डाला आहार बाहिर निकाल दे, हाथ में लिया हुआ छोड़ दे और पात्र में पडा परठ दे, तो उस साधक को रात्रिभोजन का कोई दोष नहीं लगता । किन्तु यदि वह साधक उस समय आहार करता जाता है (कि दोष तो लग ही चुका, आहार कर ही लें) अथवा दूसरे किसी महाव्रती को देवे तो उसे गुरु-चौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

२५. भिक्षु य उग्राय-वित्तीण अण्णथमियसकप्पे - असथडिए निव्विइगिच्छे असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अइ पच्छा

जाणेज्जा—अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा, से जं च मुहे, जं च पाणिंसि, जं च पडिग्गहे, तं विगिञ्चमाणे विसोहेमाणे नाइक्कमइ; तं अप्पणा भुञ्जमाणे अन्नेसिं वा अणुप्पदेमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्घाइयं ॥

—बृहत्कल्प सूत्र ५।८॥

सूर्योदय के पश्चात् एवं सूर्यास्त से पूर्व आहार करने की प्रतिज्ञा वाला साधक, रोग के कारण अथवा मार्ग चलने व सेवा करने आदि से शरीर से असमर्थ है परन्तु आहार लेते समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त विषयक मन में कोई सन्देह नहीं। आहार ले लिया। उसे करने लगे। आहार करते समय मन में निश्चय हुआ कि सूर्योदय नहीं हुआ अथवा सूर्यास्त हो चुका है। उस समय तत्काल यदि वह साधक मुँह में डाला आहार बाहिर निकाल दे, हाथ का आहार छोड़ दे और पात्र का यत्नपूर्वक परिष्ठापन करदे तो उसे रात्रिभोजन का कोई दोष नहीं लगता, उसे कोई प्रायश्चित्त नहीं आता किन्तु मन में सूर्योदय एवं सूर्यास्त विषयक निश्चय होने पर भी यदि वह साधक (दोष तो लग ही गया, आहार करना क्यों छोड़ा जाए इत्यादि विचारों से) आहार करता जाए अथवा स्वयं वह आहार न करके किसी दूसरे साधक को देवे तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२६. भिक्खू य उगयवित्तीए अणत्थमियसंकपे असंथडिए विड्-गिच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अह पच्छा जाणेज्जा—अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा, से जं च मुहे, जं च पाणिंसि, जं च पडिग्गहे तं विगिञ्चमाणे विसोहेमाणे नाइक्कमइ; तं अप्पणा भुञ्जमाणे अन्नेसिं वा अणुप्पदेमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्घाइयं ॥

—बृहत्कल्प सूत्र ५।९॥

पूर्वोक्त प्रतिज्ञा वाला साधक रोग आदि के कारण असमर्थ है और प्रच्छन्नदिशा आदि के कारण सूर्योदयास्त के विषय में सशक भी है परन्तु किसी अन्य के कहने पर विश्वास करके यदि वह साधक आहार ग्रहण कर लेवे और उसे करने लगे। उस समय दिशा निर्मल हो जाने से उस साधक के मन में यह निश्चय हो जाए कि सूर्योदय नहीं हुआ अथवा सूर्यास्त हो चुका है तो वह साधक तत्काल मुह का भोजन बाहिर निकाल दे, हाथ का छोड़ दे और पात्र का परठ दे तो उसे रात्रिभोजन का कोई दोष नहीं लगता, किन्तु वह साधक यह समझ कर कि दोष तो लग ही गया अब क्यों न पूर्ण आहार कर लिया जाए अथवा लाई हुई वस्तु क्यों परठी जाए इत्यादि विचार करते हुए आहार करता ही रहे अथवा स्वयं न करके किसी अन्य साधक को आहार करने के लिए दे देवे, तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२७. इह खलु निगमस्स वा निगंधीए वा राशो वा वियाले वा सपाणे सभोयणे उग्गाले आगच्छेज्जा, त विगिञ्चमाणे विसोहेमाणे नाह्वकमट्ठं; त उगिलित्ता पच्चोगिलमाणे राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउग्गामसिय परिहारट्ठारणं अणुग्घाइय ॥ —बृहत्कल्प सूत्र ५।१०॥

किसी साधक को सूर्यास्त के पश्चात् उगाल आजाए तो वह बाहिर थूक दे तो कोई प्रायश्चित्त नहीं आता किन्तु यदि वह अन्दर ही निगमल जाए तो उसे रात्रिभोजन का दोष लगता है और उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२८. तएणं ते बहवे शिग्गथा य शिग्गंधीओ य समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए एयमट्ठं सौच्चा शिरम्म, समण भगवं महावीरं वंदइ नमसइ २ तस्स टाणस्स आलोयंति पडिक्कमंति जाव अहारिह पायच्छिद्यंतं तवोरुम्मं पडिक्कज्जति ॥ —दशश्रुतस्कन्ध सूत्र १०।५६॥

तव बहुत से साधु साध्वी, श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के मुखारविन्द से नियाणों का कुफल सुन कर भयभीत हुए, भगवान् को वन्दना नमस्कार की और राजा श्रेणिक और चेल्लणा रानी को देख कर जो निदान किया था उसकी आलोचना निन्दना की और प्रतिक्रमण किया, यावत् उसका यथोचित प्रायश्चित्त तपःकर्म अङ्गीकार किया ॥

इस प्रकार विशिष्ट विषय, कषाय, निद्रा, विकथा और मद रूप प्रमाद* के कारण मूलगुणविषयक चारित्र्याचार के दोषों के प्रायश्चित्त समझ लेने चाहियें और पाञ्च प्रकार के विशिष्ट प्रमाद के कारण उत्तरगुणसम्बन्धी चारित्र्याचार के प्रायश्चित्तों का वर्णन इस प्रकार है—

१. जे भिक्खू नितियं पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइंजइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ॥ —निशोथ सूत्र २।३३॥

जो साधक प्रमादी बन कर प्रतिदिन एक ही घर से आहार लेता है, संगवाता है और लाने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ॥

२. जे भिक्खू नितियं वासं वसइ, वसंतं वा साइंजइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ॥ —निशोथ सूत्र २।३७॥

जो साधक मास-कल्प व वर्षावास-कल्प का विना विशेष-कारण भंग करता हुआ एक ही स्थान रहता है दूसरे को इस प्रकार रहने की प्रेरणा करता है और रहते हुए को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ॥

* पाञ्च प्रकार के सामान्य प्रमाद के कारण दोषों का तो तीसरा 'तदुभय' प्रायश्चित्त होता है ॥

३. जे भिक्खु उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता तन्धेव आयमइ, आयमंत वा साइजइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइय ॥

—निशोध सूत्र ४१०६॥

जो साधक उच्चार-प्रथवण परिष्ठापन कर वहीं ही, मल के ऊपर, जल द्वारा शुद्धि करता है तथा करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ।

४. जे भिक्खु अपणो सघाडिं अन्नउत्थिएण वा गारत्थिएण वा सिक्खावेइ, सिक्खावत वा साइजइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइय ॥

—निशोध सूत्र ५११२॥

जो साधक अपनी चादर, अन्यतीर्थी से अथवा गृहस्थ से सिलवाता है और ऐसा करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ॥

५. जे भिक्खु वथं वा पडिग्गह वा, कबल वा, पायपुच्छणं वा अलें, धिरं, धुवं, धारणिज्जं, पल्लिच्छिदिय-पल्लिच्छिदिय, परिट्ठवेइ, परिट्ठवंतं वा साइजइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइय ॥

—निशोध सूत्र ५१६४॥

जो साधक काम देने योग्य स्थिर एवं टूट वस्त्र तथा पात्र आदि को तोड़-फाड़ कर परिष्ठापन करता है करवाता है एवं ऐसा करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ॥

६. जे भिक्खु रयहरणं उस्सोस-मूले ठ्वेइ, ठवंत वा साइजइ तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइय ॥

—निशोध सूत्र ५१७६॥

जो साधक लेटते समय रजोहरण को सिरहाना बनाता है

और ऐसा करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ॥

७. जे भिक्खू सागारियकुलं अजाणिय, अपुञ्चिय, अगवेसिय पुच्चामेव पिंडवाय-पडियाए अणुपविसइ, अणुपविसंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ॥ —निशीथ सूत्र २।४८॥

जो साधक शय्यातर का घर विना जाने विना पूछे विना पता किये पहले ही गोचरी को जाता है दूसरों को भेजता है और जाने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ।

८. (क) जे भिक्खू गिहंसि वा, गिहमुहंसि वा, गिहदुवारंसि वा, गिहपडिदुवारंसि वा, गिहेलुयंसि वा (घर की देहली), गिहंगणंसि वा, गिहवच्चंसि वा ।

मडग-गिहंसि वा, मडगच्छारियंसि वा, मडग-थुभियंसि वा, मडग-आसयंसि वा, मडग-लेणंसि वा मडग-थंडिलंसि वा, मडग-वच्चंसि वा ।

इङ्गाल-दाहंसि वा, खार-दाहंसि वा, गाय-दाहंसि वा, तुस-दाहंसि वा, ऊस-दाहंसि वा ।

आययणंसि वा, पंकंसि वा, पणगंसि वा ।

नवियासु वा गोल्लेहणियासु, नवियासु वा मट्टिया-खाणोसु, परिभुज्ज-माणियासु वा अपरिभुज्जमाणियासु वा ।

उंवर-वच्चंसि वा, नग्गोह-वच्चंसि वा, आसत्थ-वच्चंसि वा ।

इक्खु-वणंसि वा, साल्लि-वणंसि वा, कुसुम-वणंसि वा, कप्पास-वणंसि वा ।

मडाग-वच्चंसि वा, साग-वच्चंसि वा, मूलय-वच्चंसि वा, कोत्थुंबरि-वच्चंसि वा, खार-वच्चंसि वा, जीरिय-वच्चंसि वा, दमणग-वच्चंसि वा, मरुगवच्चंसि वा ।

अमोग-वर्णमि वा, सत्तिवर्ण-वर्णमि वा, चपग वर्णमि वा, चूय-
वर्णमि वा अन्नयरेसु वा तहपगारेसु पत्तोवएसु पुष्कोवएसु फलोवएसु
धोयोवएसु उच्चार पत्सवण परिट्ठवेइ परिट्ठन्नं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ
मासियं परिहारहाण उग्घाइय ॥ —निशीथ सूत्र ३।७०से७८॥

जो साधक निम्नलिखित अयोग्य स्थानों पर उच्चार
प्रश्रवण करता है और करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे
लघुमास का प्रायश्चित्त आता है । वे स्थान इस प्रकार हैं—

घर में, घर की डचोढी में, घर के बड़े द्वार में, घर के
अन्दर के द्वार में, घर की पोल में, घर के आगन में, घर के
दिशा-मात्र के स्थान में, श्मशान में, मृतक की जहा भस्म पड़ी
हो, मृतक का जहा स्तूप हो, जो मृतक के रखने का स्थान हो,
जहा मृतक की छत्री आदि बनाई हुई हो, श्मशान की पूरी
सीमा में और श्मशान की आस-पास की भूमि में ।

कोयले बनाने का स्थान, सज्जी आदि क्षार बनाने का
स्थान, बैल आदि पशु के डाम देने का स्थान, घास जलाने का
स्थान, खडी दूब का जला हुआ स्थान ।

थोड़े पानी के तालाब में, कीचड वाले स्थान में, काई
वाले स्थान में ।

ताजी हल चली हुई भूमि में; जिस में मिट्टी खोदी जाती
है ऐसी खदान में चाहे वहा पर किसी ने पहले उच्चार प्रश्रवण
किया हो अथवा नहीं किया हो ।

जहां गुल्लर के फल पड़े हो, बड़ के फल पड़े हों, पीपल
के फल पड़े हो ।

इक्षु का खेत, धान्य का खेत, कुसुम्भ का खेत, कपास का
खेत ।

मडाग वनस्पति का स्थान, मूलक वनस्पति का स्थान, कौस्तुम्भ वनस्पति का स्थान, शोरे वाला स्थान, जहाँ जीरो बोई हुई हो, दमनक वनस्पति का स्थान, मरोचन वनस्पति का स्थान ।

अशोक वृक्ष का वन, सप्तपर्ण वृक्ष का वन, चंपक वृक्ष का वन, आम्र वन और भी वृक्षों के वन जो पत्र सहित, फूल सहित, फल सहित और बीज सहित हों ॥

(ख) जे भिक्खू आगन्तारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावड्-कुलेसु वा परियावसहेसु वा ।

उज्जाणंसि वा उज्जाण-गिहंसि वा, उज्जाण-सालंसि वा; निज्जाणंसि वा, निज्जाण-गिहंसि वा, निज्जाण-सालंसि वा ।

अट्ठंसि वा, अट्ठालयंसि वा, चरियंसि वा, पागारंसि वा, दारंसि वा, गोपुरंसि वा ।

दगंसि वा, दग-भग्गंसि वा, दग-पहंसि वा, दग-मालंसि वा, दग-तीरंसि वा, दग-ट्ठाणंसि वा ।

सुन्न-गिहंसि वा, सुन्न-सालंसि वा; भिन्न-गिहंसि वा, भिन्न-सालंसि वा; कूडागारंसि वा, कोट्टागारंसि वा ।

तण-गिहंसि वा, तण-सालंसि वा; तुस-गिहंसि वा तुस-सालंसि वा; भुस-गिहंसि वा, भुस-सालंसि वा ।

जाण-सालंसि वा, जाण-गिहंसि वा; जुग्गसालंसि वा, जुग्ग-गिहंसि वा ।

पणिय-सालंसि वा, पणिय-गिहंसि वा; परिया-सालंसि वा, परिया-गिहंसि वा; कुविय-सालंसि वा, कुविय-गिहंसि वा ।

गोण-सालंसि वा, गोण-गिहंसि वा; महाकुल-गिहंसि वा, महाकुल-

सालसि वा उच्चार-पासवण परिद्वेड, परिद्ववंतं वा साइज्जइ, त सेवमाणे
आवज्जइ चाइमामिय परिहारद्वायं उग्घाइयं ॥

—निशोथ सूत्र १५।६६से७४॥

पथिकाश्रम (मुसाफिरखाना), वाटिका का घर (बगला),
गृहस्थ के रहने का मकान, तापसों का आश्रम ।

उद्यान, उद्यान का घर, उद्यान की पडसाल, लोगो के
निकलने का मार्ग, मार्ग का घर, मार्ग की पडसाल ।

कोट, कोट की अट्टारिका (प्रतिकोट), कोट की फिरनी,
कोट का दुर्ज, कोट की खिड़की, नगर का द्वार ।

पानी का स्थान, पानी लाने का मार्ग, नहर, दगमाल=
पानी का ऊंचा स्थान, पानी का किनारा, पानी के लिये बनाया
गया स्थान ।

शून्य गृह, शून्य शाला, फूटा घर, फूटी शाला, कूटाकार
(पर्वत-शिखर के आकार वाला घर), धान्य आदि का कौठार ।

घास का घर (भोपडी), घास की शाला (विशाल स्थान);
तुस का घर, तुस की शाला; भूसे का घर, भूसे की शाला ।

(रथ) यान शाला, यानगृह, (छकडा) शकटशाला,
शकटगृह ।

किरयाने की दुकान, किरयाने के माल भरने का घर;
लोहशाला, लोह-गृह, कवाड़-शाला, कवाड़-गृह ।

बैलो की शाला, बैलो का घर; बड़े लोगों के घर, बड़े
लोगों की बैठक ।

इन स्थानों में जो साधक उच्चार प्रश्रवण परिष्ठा-
पन करता है और करते हुए अन्य साधकों को अच्छा समझता
है तो उसे लघुचीमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

६. जे भिक्खू रत्तो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं दुवारिय-भत्तं वा, पसु-भत्तं वा, भयग-भत्तं वा, बल-भत्तं वा, कयग-भत्तं वा, हय-भत्तं वा, गय-भत्तं वा, कन्तार-भत्तं वा, दुट्ठिभक्ख-भत्तं वा, दमग-भत्तं वा, गिलाण-भत्तं वा, बहलिया-भत्तं वा, पाहुण-भत्तं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गहंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ॥

—निशीथ सूत्र ६।६॥

क्षत्रिय राजा के अभिषेक के उत्सव पर बनाए गए भोजन के द्वारपाल के भाग में से, पशु जानवसों के भाग में से, नौकरों के भाग में से, देवता के निमित्त बलिदान के भाग में से, घर के दास दासियों के भाग में से, अश्व भाग, गज भाग, अटवी वालों के भोजन में से, दुर्भिक्ष के निमित्त बनाए गए भोजन में से, भिक्खारियों के लिए बनाए गए भोजन में से, रोगियों के लिए बनाए गए भोजन में से, वर्षा कराने के निमित्त दिए जाने वाले भोजन में से, और पाहुणे के भोजन में से जो साधक ग्रहण करता है और ग्रहण करने वालों को अच्छा समझता है तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

१०. जे भिक्खू बहिया-जत्ता-संपट्टियाणं, बहिया-जत्ता-पडिणियत्ताणं; नइ-जत्ता-संपट्टियाणं, नइ-जत्ता-पडिणियत्ताणं; गिरि-जत्ता-संपट्टियाणं, गिरि-जत्ता-पडिणियत्ताणं श्रसणं वा, पाणं वा, खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गहंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ॥

—निशीथ सूत्र ६।१२से१७॥

जो साधक, नदी-यात्रा, पर्वत-यात्रा तथा वर-यात्रा आदि अन्य यात्रा को जाते अथवा यात्रा से लौटते हुएों से आहार पानी ग्रहण करता है और ग्रहण करने वालों को अच्छा समझता है तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

११. जे भिक्षू परं बीभावेइ, बीभावंतं वा साइज्जइ; जे भिक्षू परं विग्हावेइ, विग्हावंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ, चाउम्मासिय परिहारद्वाणं उग्घाइयं ॥ — निशीथ सूत्र ११।६४, ६७॥

जो साधक दूसरो को भय दिलाता है एवं उन्हें विस्मय में डालता है और इसे अच्छा समझता है तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

१२. जे भिक्षू गिहि-मत्ते भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारद्वाणं उग्घाइयं ॥ — निशीथ सूत्र १२।१०॥

जो साधक गृहस्थ के पात्र में आहार करता है और करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

१३. जे भिक्षू अन्नउत्थिण्णं वा गारत्थिण्णं वा उवाहिं वहावेइ, वहावंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मानियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ॥ — निशीथ सूत्र १३।४०॥

जो साधक अन्यतीर्थी तथा गृहस्थ को अपना सामान उठवाता है और उठवाने वालो को अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

१४. जे भिक्षू महानईओ उट्ठिद्वाओ गणियाओ वज्जियाओ अतो-मासस्स दुक्खुत्तो वा निक्खुत्तो वा उत्तरइ वा संतरइ वा, उत्तरंतं वा संतरंतं वा साइज्जइ, तं जहा—गंगा, जउणा, सरऊ, एरावई, मही, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मानियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ॥

— निशीथ सूत्र १४।४१॥

जो साधक एक मास के अन्दर दो बार बड़ी नदियों में उतरे एवं उन्हे पार करे और ऐसा करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

१५. जे भिक्खू अद्दाए अप्पाणं देहइ, देहंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दाणं उग्घाइयं ॥ —निशीथ सूत्र १३।२१॥

जो साधक शीशे में अपना मुख देखता है और इसे अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ।

१६. जे भिक्खू विज्जापिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ; जे भिक्खू मंत-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दाणं उग्घाइयं ॥ —निशीथ सूत्र १३।७०, ७१॥

जो साधक विद्या सिखा कर तथा मन्त्र बतकर आहार ग्रहण करता है और ग्रहण करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

१७. जे भिक्खू विवरणं पडिग्गहं वरणमंतं करेइ, करंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दाणं उग्घाइयं ॥

—निशीथ सूत्र १४।११॥

जो साधक अपने पात्रों को रंग-विरंगे बनाता है, बनवाता है एवं ऐसा करने वालों को अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

१८. जे भिक्खू अन्नउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइम वा देइ, देंतं वा साइज्जइ; वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुच्छणं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दाणं उग्घाइयं ॥

—निशीथ सूत्र १५।७५, ७६॥

जो साधक अन्यतीर्थी तथा गृहस्थ को आहार पानी, वस्त्र पात्र, कम्बल एवं रजोहरणी देता है अन्य साधु से दिलवाता है और देने वाले साधु को अच्छा समझता है तो उसे लघु-चौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

१९. जे भिक्षव् विभूसा-पडिघाए कथं वा, पडिगहं वा, कंयल वा, पायपुच्छणं वा अन्नयरं वा उवगरण-जायं धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं उग्याइय ॥

—निशीथ सूत्र १५।१५३॥

जो साधक विभूषा के लिये वस्त्र पात्र आदि कोई उपकरण रखता है और रखने वाले साधु को अच्छा समझता है तो उसे लघुचीमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२०. जे भिक्षव् अन्नउत्थिण्ण वा गारत्थिण्ण वा अप्पणो पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ; संबाहेज्ज वा पलिमहेज्ज वा, संबाहंतं वा पलिमदतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं उग्याइय ॥

—निशीथ सूत्र १५।१३, १४॥

जो साधक अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ से अपने पाँव साफ करवाता है तथा उन से दबवाता है और ऐसा करवाने वाले अन्य साधको को अच्छा समझता है तो उसे लघुचीमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२१. जे भिक्षव् अन्नउत्थिण्ण वा गारत्थिण्ण वा अप्पणो कायंसि गंडं वा अरइयं वा असियं वा भगंदलं वा अन्नयरेणं तिकप्पेयं सत्थजाणं आच्छिदेज्ज वा विच्छिदेज्ज वा, आच्छिदिता विच्छिदिता पूय वासोखियं वा नीहरेज्ज वा विमोहेज्ज वा, नीहरिता विसोहेता सीओदग-विषडेण वा उस्सिणोदग-विषडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोण्ण वा, उच्छोलिता पधोइत्ता अन्नयरेणं आल्लेवण-जाणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपिता विलिपिता तेस्सेण वा, घण्ण वा, वमाण्ण वा, नवणीण्ण वा, अन्नभङ्गोज्ज वा मक्खेज्ज वा, अन्नभङ्गित्ता मक्खित्ता अन्नयरेण धूवण-जाणं धूवेज्ज वा पधूवेज्ज वा, एवं करंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं उग्याइयं ॥

—निशीथ सूत्र १५।३६॥

जो साधक, अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ से अपने शरीर में उत्पन्न गुम्बड़, मेद, फुन्सी, मस्सा=हर्ष, भगंदर, (मोतिया-विन्दु) आदि को किसी तीक्ष्ण शस्त्र से एक वार छेदावे अथवा वारम्बार छेदावे, एक वार अथवा वारम्बार छिदवा कर उस की पीप रक्तादि निकलवा कर विशुद्ध करावे, विशुद्ध कराकर सचित्त अथवा अचित्त जल द्वारा एक वार धुलवाए अथवा वारम्बार धुलवाए, फिर मल्लम लगवाए, वारम्बार लगवाए, किसी द्रव्य से अभ्यङ्गन मर्दन करवाए, और उसे एक वार धूप दिलवाए अथवा वारम्बार धूप दिलवाए, इस प्रकार जो कोई साधक करवाता है और उसे अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२२. जे भिक्खू जायणा-वत्थं वा निमंतणा-वत्थं वा अजाणिय अपुच्छिय अगवेसिय पडिग्गाहेइ, पडिग्गहंतं वा साइज्जइ तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं । से य वत्थे चउण्हं अन्नयरे सिया, तं जहा—निच्च-नियंसणिए, मज्जाणिए, छणुसत्रिए, राय-दुवारिए ॥

—निशीथ सूत्र १५।६६॥

जो साधक, स्वयं की याचना के वस्त्र अथवा पर की निमन्त्रणा के वस्त्र को विना जाने विना पूछे विना खोज किये कि यह वस्त्र गृहस्थ के सदैव धारण करने का तो नहीं, स्नान के लिये धारण करने का तो नहीं, किसी विशेष अवसर पर या उत्सव के समय पहनने का और राज दरवार में जाते धारण करने का तो नहीं—यूहीं ग्रहण करता है और ग्रहण करते हुए को अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ॥

२३. जे भिक्खू अज्जउत्थीहिं वा गारत्थीहिं वा आवेढिय-परिवेढिय भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ॥

—निशीथ सूत्र १६।३७॥

१६. जे भिक्षू विभूसा-पडियाए वथं वा, पडिमाहं वा, कंबल वा, पायपुच्छण वा अन्नयरं वा उचगरण-जाय धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दणं उग्घाइयं ॥

—निशीथ सूत्र १५।१५३॥

जो साधक विभूषा के लिये वस्त्र पात्र आदि कोई उपकरण रखता है और रखने वाले साधु को अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२०. जे भिक्षू अन्नउत्थिण्ण वा गारत्थिण्ण वा अप्पणो पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा साइज्जइ, संबाहेज्ज वा पलिमहेज्ज वा, संबाहंतं वा पलिमहंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दणं उग्घाइयं ॥

—निशीथ सूत्र १५।१३, १४॥

जो साधक अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ से अपने पाँव साफ करवाता है तथा उन से दबवाता है और ऐसा करवाने वाले अन्य साधको को अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२१. जे भिक्षू अन्नउत्थिण्ण वा गारत्थिण्ण वा अप्पणो कायसि मंडं वा अरइयं वा अमियं वा भगंदलं वा अन्नयरेणं तिवसेणं सत्थजाणं आच्छिदेज्ज वा विच्छिदेज्ज वा, आच्छिदित्ता विच्छिदित्ता पूयं वा सोणियं वा नीहरेज्ज वा विमोहेज्ज वा, नीहरित्ता विमोहेत्ता संश्रोदग-वियडेण वा उस्सियोदग-विशडेण वा उच्छोलोएज्ज वा पघोएज्ज वा, उच्छोलित्ता पघोइत्ता अन्नयरेणं आलेवण-जाणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा आलिपित्ता विलिपित्ता तेवलेण वा, घण्ण वा, वमाण्ण वा, नवणीण्ण वा, अट्ठभङ्गोएज्ज वा मक्खेज्ज वा, अन्नदित्ता मन्निवत्ता अन्नयरेण धूण-जाणं धूवेज्ज वा पधूवेज्ज वा, एवं करंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दणं उग्घाइयं ॥

—निशीथ सूत्र १५।३६॥

जो साधक, अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ से अपने शरीर में उत्पन्न गुम्बड़, मेद, फुन्सी, मस्सा=हर्ष, भगंदर, (मोतिया-विन्दु) आदि को किसी तीक्ष्ण शस्त्र से एक वार छेदावे अथवा वारम्बार छेदावे, एक वार अथवा वारम्बार छिदवा कर उस की पीप रक्तादि निकलवा कर विगुद्ध करावे, विगुद्ध कराकर सचित्त अथवा अचित्त जल द्वारा एक वार धुलवाए अथवा वारम्बार धुलवाए, फिर मल्लम लगवाए, वारम्बार लगवाए, किसी द्रव्य से अभ्यङ्गन मर्दन करवाए, और उसे एक वार धूप दिलवाए अथवा वारम्बार धूप दिलवाए, इस प्रकार जो कोई साधक करवाता है और उसे अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२२. जे भिक्खू जायणा-वत्थं वा निमंतणा-वत्थं वा अजाणिय अपुच्छिय अगवेसिय पडिग्गाहेइ, पडिग्गहंतं वा साइज्जइ तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । से य वत्थे चउग्गहं अन्नयरे सिया, तं जहा—निच्च-नियंसणिए, मज्जणिए, छणुसविए, राय-दुवारिए ॥

—निशीथ सूत्र १५।६६॥

जो साधक, स्वयं की याचना के वस्त्र अथवा पर की निमन्त्रणा के वस्त्र को विना जाने विना पूछे विना खोज किये कि यह वस्त्र गृहस्थ के सदैव धारण करने का तो नहीं, स्नान के लिये धारण करने का तो नहीं, किसी विशेष अवसर पर या उत्सव के समय पहनने का और राज दरबार में जाते धारण करने का तो नहीं—यूहीं ग्रहण करता है और ग्रहण करते हुए को अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ॥

२३. जे भिक्खू अन्नउत्थोहिं वा गारत्थोहिं वा आवेढिय-परिवेढिय भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ॥

—निशीथ सूत्र १६।३७॥

जो साधक प्रमाद में पड़ा रह कर, आस-पास अन्यतीर्थी एवं गृहस्थो के आने-जाने के स्थान में आहार-पानी करता है और ऐसे स्थान पर आहार-पानी करने वाले को अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२४. जे भिक्षु अरण्यं वा पाण्यं वा खाड्यं वा साड्यं वा असिगुमिण्यं पडिग्गाहेइ, पडिग्गहंतं वा साड्यइ, तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ॥
—निर्णय सूत्र १७।१३१॥

जो साधक, अत्युष्ण से भी अधिक गरमागरम आहार-पानी ग्रहण करता है, और इसे अच्छा समझता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२५. जे भिक्षु सागरिय-पिंडं गिरहइ, गिरहंतं वा साड्यइ, तं सेवमाणे आवज्जइ मायियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ॥
—निर्णय सूत्र २।३६॥

जो साधक शय्यातर का आहार ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने को कहता है या इसे अच्छा समझता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है ॥

२६. नो कणइ निग्गथाणं वा निग्गथीणं वा सागरिय-पिंडं वहिया नीहडं अस्सट्ठं संसट्ठं करेत्तं । जे खलु निग्गथे वा निग्गथी वा सागरियपिंडं वहिया नीहडं अस्सट्ठं संसट्ठं करेइ करेत्तं वा साड्यइ, से दुहसो वीइक्कम-माणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं ॥

—बृहत्कल्प सूत्र २।१८॥

शय्यातर के घर के आहार में से बाहिर निकाला हुआ अन्न जो कि अभी तक दूसरे के अधिकार में नहीं हुआ और उसके आहार में नहीं मिला लिया गया, तो वह शय्यातर के आहार का अन्न साधु-साध्वी को ग्रहण करना नहीं कल्पता ॥

जो साधु-साध्वी उसे ग्रहण करने के लिये उस अंश को सम्मिश्रण करावे, और साधु-साध्वी को देने के निमित्त सम्मिश्रण करने वाले को अच्छा समझे (साधु-साध्वी सम्मिश्रण किये गए आहार को ग्रहण करे) तो वह तीर्थकर देव और मालिक दोनों की आज्ञा का उल्लङ्घन करता है और उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥

२७. नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गंथीण वा, असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा साइमं वा पढमाए पोस्सीए पडिग्गाहेत्ता पच्छिमं पोहसि उवाइणावेत्तए । से य आहच्च उवाइणाविए सिया, तं नो अप्पणा भुंजेजा नो अन्नेसिं अणुप्पदेजा; एगंते बहुफासुए थंडिले पडिलेहिन्ता पमजित्ता परिट्ठवेयच्चे सिया । तं अप्पणा भुंजमाणे, अन्नेसिं वा अणुप्पदेमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ॥ —बृहत्कल्प सूत्र ४.११॥

साधक, प्रथम प्रहर का लिया हुआ आहार चतुर्थ प्रहर में न रखे, यदि रह जाए तो उसे न स्वयं खाए और न किसी अन्य साधक को खाने के लिये देवे अपितु एकान्त प्रासुक स्थान को देख कर साफ करके यत्नपूर्वक उस आहार को परठ देवे । यदि वह साधक उस आहार को स्वयं करता है अथवा अन्य को देता है तो उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ॥

२८. नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गंथीण वा, असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, परं अद्धजोयणमेराए उवाइणावेत्तए । से य आहच्च उवाइणाविए सिया, तं नो अप्पणा भुंजेजा नो अन्नेसिं अणुप्पदेजा; एगंते बहुफासुए थंडिले पडिलेहिन्ता पमजित्ता परिट्ठवेयच्चे सिया । तं अप्पणा भुंजमाणे, अन्नेसिं वा अणुप्पदेमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ॥ —बृहत्कल्प सूत्र ४.१२॥

साधक, आहार-पानी को अर्द्धयोजन (पोने पाश्च माइल) से

आगे न ले जाए । यदि ले जाया गया हो तो उसे न स्वयं खाए और न अन्य को खाने के लिये देवे अपितु एकान्त प्रामुक्त निर्दोष स्थान में यत्नपूर्वक परठ देवे । जो साधक उस आहार को स्वयं करता है अथवा अन्य को खाने के लिये देता है तो उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है ॥

इसी प्रकार अनेको उत्तरगुणों के प्रायश्चित्त समझ लेते चाहिये । ये चारित्र-विषयक दोषों के प्रायश्चित्त हैं ।

ये विशिष्ट प्रमाद के कारण ज्ञान दर्शन एवं चारित्र में लगे दोषों के प्रायश्चित्त कथन किये गए हैं ।

जिस छेद प्रायश्चित्ती को छेद प्रायश्चित्त में श्रद्धा नहीं, य. जिसे अपनी पर्याप्त दीक्षापर्याय का गर्व है—‘छेद प्रायश्चित्त हो जाने पर भी मैं किसी से छोटा नहीं होऊंगा’ तथा किसी आचार्य आदि को छेद प्रायश्चित्त आने पर अन्य साधकों में उन की लघुता होती हो तो, इन सब को छेद के स्थान पर तप प्रायश्चित्त दिया जाता है । यह ‘तप’ नामक छट्ठे प्रायश्चित्त का वर्णन है ॥

७. छेद—

यः परमासक्षमकोऽन्यो वा विकृष्टतपःकरणसमर्थस्तपसा गर्वितो भवति यथा किं ममानेन प्रभूतेनापि तपसा क्रियत इति, तपःकरणसमर्थो वा ग्लानाऽसहबालवृद्धादिः, तथा-विधतपःश्रद्धानरहितो वा, निष्कारणतोऽपवादरुचिर्वा भवति तस्य छेदः प्रायश्चित्तं, अहोरात्र-पञ्चक-दशकादिक्रमेण पर्याय-च्छेदः क्रियत इति भावः ॥

छेद प्रायश्चित्त के अधिकारी निम्न व्यक्ति होते हैं—

(१) जो साधक अधिकाधिक तप करने में समर्थ है और जिसे तपस्या करने का अभिमान है कि तेले चूले की क्या बात है यह तो मैं बातों २ में किये देता हूँ—ऐसे व्यक्ति को 'तप' प्रायश्चित्त के स्थान पर 'छेद' प्रायश्चित्त दिया जाता है।

(२) जो साधक तपस्या करने में सर्वथा असमर्थ है तो उसे भी तप प्रायश्चित्त के स्थान पर 'छेद' प्रायश्चित्त दिया जाता है।

(३) रोगी व्यक्ति को 'तप' प्रायश्चित्त न देकर 'छेद' प्रायश्चित्त दिया जाता है।

(४) अल्प-व्यसक को भी 'तप' प्रायश्चित्त न देकर 'छेद' प्रायश्चित्त दिया जाता है।

(५) वृद्धावस्था के साधक को तप-प्रायश्चित्त के स्थान पर छेद-प्रायश्चित्त दिया जाता है।

(६) जिसे तप-प्रायश्चित्त की शुद्धि में श्रद्धा नहीं उसे भी तप-प्रायश्चित्त न देकर, छेद-प्रायश्चित्त दिया जाता है।

(७) जो साधक, विना कारण अपवाद-मार्ग का सेवन करता है, उसे यह छेद प्रायश्चित्त दिया जाता है।*

तात्पर्य यह है कि ऊपरोक्त पहले छ प्रकार के प्रायश्चित्तियों को तो तप-प्रायश्चित्त ही आता था परन्तु मानसिक एवं शारीरिक

* मूल प्रायश्चित्त से कुछ न्यून दोष वाले को भी छेद प्रायश्चित्त दे दिया जाता है। वैसे पृष्ठ १५ पर तीसरी श्रेणी के उत्कृष्ट तप-प्रायश्चित्त में भी छेद प्रायश्चित्त है परन्तु वह केवल १२० दिन तक का है, इस से अधिक छेद ऊपरोक्तानुसार समझना चाहिये।

अवस्था की अशक्तता के कारण उसे तप प्रायश्चित्त न देकर छेद-प्रायश्चित्त दिया गया, ये बदल के प्रायश्चित्त हुए। किसी प्रायश्चित्त का बदल न होकर छेद प्रायश्चित्त उसे आता है जो बिना कारण अपवाद-मार्ग का आसेवन करता है ॥

उत्सर्ग-मार्ग और अपवाद-मार्ग का क्या वास्तविक स्वरूप है? और इस के किस प्रकार प्रायश्चित्त होते हैं? ये सब बातें इस प्रकार जाननी चाहियें—

उत्सर्ग का अर्थ है—‘उत्सृज्य विशेष-प्रसङ्गान् यः सामान्य-नियमः स उत्सर्गः।’ हीनतर तथा उच्चतर विशेषप्रसङ्गों को छोड़कर जो सामान्य विधि होती है उसे उत्सर्ग-मार्ग कहते हैं और जो असामान्य अवस्था में आचरण किया जाए उसे अपवाद-मार्ग कहते हैं।

उच्चतर विशेषप्रसङ्गों के अपवाद—

(१) वेश्या के सानिध्य में वास नहीं करना * यह उत्सर्ग-मार्ग है, किन्तु स्थूलभद्र जी महाराज ने वेश्या के घर आतुर्मास किया। उन की आत्मा विशेष बलवान थी इस लिये यह अपवाद-रूप था।

(२) कोई साधक सहसा बारहवीं पडिमा धारण नहीं करता यह सामान्य नियम उत्सर्ग-विधि है परन्तु श्री गजसुकुमार जी महाराज ने दीक्षा लेते ही बारहवीं पडिमा का वाहन किया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। उन में विशिष्ट आत्मशक्ति होने के कारण यह अपवाद-विधि थी।

* न चरेज्ज वेस-सामते, वंभचेखसाणुए ।

वंभयारिस्स दंतस्स, शेज्जा तथ विसोत्तिआ ॥

—दशवैकालिक सूत्र ५।१।६॥

(३) अनार्य क्षेत्र में विहार नहीं करना यह उत्सर्ग-मार्ग है परन्तु विशेष साधन के लिये अनार्य क्षेत्र में विहार किया भी जाता है जो कि अपवाद-रूप है ।^१

(४) नदी के तीर पर प्रासुक जल भी नहीं पिया जाता; क्योंकि कच्चे पानी की आशंका का व्यवहार हो जाता है ।^२

(५) ज्येष्ठ श्रावण की तीव्र उष्णता में रात्रि को गिरने वाली ओस भस्म हो जाती है परन्तु महाव्रती साधक बारह ही महीने रात्रि को छाया से बाहिर जाते समय अपने शरीर को ढाँपता है ॥

हीनतर प्रसङ्गों के अपवाद^३—

(१) साधक सचित्त जल का संघट्टन नहीं करता यह उत्सर्ग-मार्ग है परन्तु अन्य मार्ग न होने पर घुटनों से नीचे

१. कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पुरत्थिमेणं जाव अंगमग-
हाओ एत्तए, दक्खिणेणं जाव कोसम्भीओ एत्तए, पच्चत्थिमेणं जाव
थूण-विसयाओ एत्तए, उत्तरेणं जाव कुणाल-विसयाओ एत्तए । एयावयाव
कप्पइ, एयावयाव आरिए खेत्ते; नो से कप्पइ एत्तो वाहिं । तेण परं,
जत्थ नाण-दंसण-चरित्ताई उस्सप्पंति ॥ —वृहत्कल्प सूत्र १।५१॥

२. नो कप्पइ गिग्गंथाण वा निग्गंथीण वा दग-तीरंसि चिट्ठित्तए
वा, निसीइत्तए वा, तुयट्ठित्तए वा, निद्दाइत्तए वा, पयलाइत्तए वा,
असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा आहारमाहारेत्तए, उच्चारं वा,
पासवणं वा, खेलं वा, सिंघाणं वा परिट्ठेत्तए, सज्झायं वा करेत्तए,
भाणं वा भाइत्तए, काउसग्गं वा, ठायं वा ठाइत्तए ॥

—वृहत्कल्प सूत्र १।१६॥

३. उद्यतः सर्गः=विहारः उत्सर्गः । तस्य उत्सर्गस्य प्रतिपत्नोऽपवादः ।
स च द्रव्यक्षेत्रकालभावानुसारेण ज्ञानदर्शनचारित्र्यावलम्बनेन भवति ॥

पानी में से यत्नपूर्वक चल कर और अधिक गहरे पानी को नौका द्वारा पार किया जाता है, यह अपवाद-रूप है ।

(२) वर्षा पड़ते साधक छाया से बाहिर नहीं निकलता यह उत्सर्ग-मार्ग है परन्तु लघु-शङ्कादि की निवृत्ति के लिये जाना पड़ जाता है जो कि अपवाद-रूप है ।

(३) आहार देते समय गृहस्थ छ काया में से किसी की यदि विराधना करे तो आहार नहीं लिया जाता और वह घर उस दिन के लिये असूभता माना जाता है यह उत्सर्ग-नियम है, किन्तु आज-कल आहार देता हुआ गृहस्थ यदि उधाड़े मुख बोलता है तो वह वायुकाय के जीवों की विराधना करता है परन्तु वह घर असूभता नहीं माना जाता यह अपवाद-रूप है ।*

(४) गोचरी के लिये छत पर चलते छत हिलती है और छत पर सचित्त जल वनस्पति आदि भी हिलती है, किन्तु इसका दोष नहीं माना जाता । यह अशक्य-परिहार-रूप अपवाद है ।

(५) साधु महाराज को देने के विचार से कोई वस्तु एकान्त में सुरक्षितरूप से रख देना और साधु महाराज को बहराना यह 'स्थापना' दोष है, परन्तु आज-कल बरतनों के धोवन का प्रासुक जल इस प्रकार स्थापन किया हुआ लिया जाता है—यह अपवादरूप मान लिया गया है ।

(६) चिकित्सा न करना यह उत्सर्गमार्ग है परन्तु प्रासुक चिकित्सा कर लेना यह अपवादमार्ग है ।

(७) साधक नग्न पाद से विहार करते हैं परन्तु पक्की

* जिस नियम का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुरूप किसी से भी पालन नहीं होता हो तो उसे अशक्य-परिहार मान कर अपवाद कौटि में ले लिया जाता है ॥

तारकोल की सड़क पर पादतल घिस जाने और रक्त निकल आने की सम्भावना होने पर, पाँव को कपड़ा बांध कर चलना अपवाद-रूप है ।

(८) वृद्धत्व एवं रोगादि के कारण साधु महाराज का यष्टि-धारण करना यह अपवादरूप है परन्तु सादारूप में—रंग-विरंगी यष्टि न रखे ।

(९) चातुर्मास-काल में साधक-जन विहार नहीं करते यह उत्सर्ग नियम है परन्तु दस कारणों से विहार किया जा सकता है ।^१

(१०) साधु महाराज अन्तःपुर में नहीं जाते परन्तु अपवादरूप में पाञ्च कारणों से जा सकते हैं ।^२

१. शो कप्पइ णिग्गंथाणं वा णिग्गंथीणं वा पढम-पाउसंसि गामाणु-गामं दूइज्जित्तए; पंचहिं ठारोहिं कप्पइ तंजहा—भयंसि वा १, दुब्भिक्खंसि वा २, पव्वाहेज्जवणं कोई ३, उदयोघंसि एजमाणंसि ४, महता वा अणारिए-हिं वासावासं पज्जोसवित्ताणं ५ । शो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा गामाणुगामं दूइज्जित्तए; पंचहिं ठारोहिं कप्पइ तं जहा—णाणहयाए ६, दंसणहयाए ७, चरित्तहयाए ८, आयरिय उवज्झाए वा से वीसुंभेज्जा ९, आयरिय-उवज्झायारणं वा वहिया वेयावच्चकरणयाए १० ॥

—ठाणांग सूत्र ५।२।१॥

२. पंचहिं ठारोहिं समणे निग्गंथे रायंतेउरमणुपविसमारो नाइक्कमः सं जहा—एगरे सिया सव्वओ समंता गुत्ते गुत्तदुवारे वहवे समण-माहरण शो संचाएइ भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा तेऽ विणवणहयाए रायंतेउरमणुपविसेज्जा १, पाडिहारिए वा पीढ-फलग-सेज्ज संथारगं पच्चप्पिएणमारो रायंतेउरमणुपविसेज्जा २, हयस्स वा, गयस्स वा, दुद्धस्स आगच्छुमाणस्स भीए रायंतेउरमणुपविसेज्जा ३, परो वा :

(११) जिस उपाश्रय में रात्रि-भर ज्योति जलती रहे उस उपाश्रय में साधक नहीं ठहरा करते परन्तु अन्य स्थान उपलब्ध न होने पर एक दो रात्रि पर्यन्त उस स्थान में ठहरा जा सकता है।^१

(१२) साधक गृहस्थ के रहने के भूकान में अल्पकाल भी न ठहरे परन्तु वृद्धत्व, रोग और तपस्या के कारण ठहर सकता है।^२

(१३) साधक गोचरी को जाते समय लघुशङ्कादि से युक्त न हो, यदि रास्ते में बाधा हो ही जाए तो स्थान के स्वामी की आज्ञा लेकर प्रासुक स्थान देख कर निवृत्त हो सकता है।^३

सइसा वा बलसा वा वाहाए गहाय रायंतेउरमणुपविसेज्जा ४, बहिया वणे
आरामगयं वा उज्जाणगयं वा रायंतेउरज्जो सव्वओसमंता सपरि-
विश्वित्ताणं निविसेज्जा ५, इच्चेहि पचहिं ठाणेहिं समणे निग्गथे
रायंतेउरमणुपविसमाणे नाइक्कमइ ॥

—ठाणग सूत्र ५।२।१॥

१. उवस्मयस्स अंतोवगडाए सव्वराइए जोई भियाएज्जा, नो कप्पइ
निग्गंथाण वा णिग्गधीय वा अहालन्दमवि वत्थए । दुरत्था य उवस्सयं
पडिलेइमाणे नो लभेज्जा, एव से कप्पइ एगाराय वा दुराय वा वत्थए ॥

—वृद्धकल्प सूत्र २।६।॥

२. तिण्णमज्जदरागस्स, निस्सिजा जस्स कप्पइ ।

जराए अभिभूअस्स, वाहिअस्म तवस्सिणो ॥

—दशवैकालिक सूत्र ६।६०॥

३. मोअरग्गविट्ठो अ, वच्चमुत्तं न धारए ।

ओमासं फामुअं नचा, अणुत्तविय वोसिरे ॥

—दशवैकालिक सूत्र ५।१।१६॥

(१४) महाव्रती साधक भिक्षा ला कर अपने उपाश्रय में चुकाते हैं परन्तु कोई वृद्ध, रोगी और तपस्वी शरद् आदि ऋतु में, स्थान के स्वामी की आज्ञा लेकर वहीं भी चुका सकता है।^१

(१५) साधक लोग एक वार भिक्षा लाकर उसी समय दूसरी वार नहीं जाया करते, परन्तु लाए गए आहार द्वारा निर्वाह न होने पर यदि किसी से क्षुधा सहन नहीं होती हो तो दूसरी वार भी जा सकता है।^२

(१६) अन्य मार्ग न होने पर विषम-मार्ग से चलते यदि पाँव फिसल जाए तो टहनी आदि का अवलम्बन ले सकता है।^३

१. सिया अ गोअरगगत्रो, इच्छिजा परिभुत्तुअं ।

कुद्वगं भित्तिमूलं वा, पडिलेहित्ताण फासुअं ॥

—दशवैकालिक सूत्र ५।१।८२॥

२. (क) सेजा निसीहियाए, समावन्नो अ गोअरे ।

अयावयद्वा भुच्चाणं, जइ तेणं न संथरे ॥

तत्रो कारणसमुपण्णे, भत्तपाणं, गवेसए ।

विहिणा पुव्वउत्तेणं, इमेणं उत्तरेण य ॥

—दशवैकालिक सूत्र ५।२।२, ३॥

(ख) निगंथीए य गाहावइ-कुलं पिंडवायपडियाए अणुप्पविट्ठाए अन्नयरे पुलागभत्ते पडिग्गाहिए सिया । सा य संथरेज्जा, एवं से कप्पइ तेण एव भत्तद्वेणं पज्जोसवेत्तए; सा य नो संथरे, एवं से कप्पइ दोच्चं पि गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खिमित्तए वा पविसित्तए वा ॥

—वृहत्कल्प सूत्र ५।५४॥

३. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा

(१७) प्रथम प्रहर में लाई गई वस्तु चतुर्थ प्रहर में सेवन नहीं की जाती परन्तु रोग अवस्था में औषध आदि ले ली जाती है ।*

(१८) एक कल्प-काल से अधिक समय तक एक स्थान पर साधक नहीं ठहरा करते परन्तु अपवाद रूप में वृद्धावस्था, रुग्णावस्था तथा तपस्यादि के कारण कल्प से अधिक समय के लिये ठहरा भी जाता है ।

से वष्पाणि वा, फलिहाणि वा, पागाराणि वा, तोरणाणि वा, अगलाणि वा अगला-पासगाणि वा, गड्ढाओ वा, दरीओ वा, सति परक्कमे सजयामेय परक्कमेज्जा णो उज्जुय गच्छेज्जा केवली बूया "आयाणमेय" से तथ परक्कममाणे पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा, से तथ पयलेमाणे पवडेमाणे रुक्खाणि वा, गुच्छाणि वा, गुम्माणि वा, लयाओ वा, वल्लीओ वा, तणाणि वा, गहणाणि वा, हरियाणि वा, अवलविय २ उत्तरेज्जा, जे तथ पाडिपहिया उवागच्छंति, ते पाखी जाएज्जा तओ संजयामेव अवलविय २ उत्तरेज्जा तओ गामाणुगाम दूहजेज्जा ॥

—आचाराङ्ग सूत्र १२।२।१४॥

यह अल्पदोष, महादोषों को दूर करने के लिये है । जैसे कि वहल से गिर कर कहीं गिरते परिणामों में काल करके वह साधक दुर्गति में न चला जावे और यदि काल भी न करे तो गिरने से त्रस-जीवों की हिंसा हो तथा उस की अपनी हड्डी पसली टूट जाए तत्पश्चात् दवाई वृद्धी एवं अप्रेशन आदि में महा आरम्भ समारम्भ हो इत्यादि महादोषों से बचने के लिये यह अल्पदोषसेवन का वर्णन है ॥

* नो क्वापद निग्गाथाय वा निग्गाधीर्यं वा पारियासियत्स आहारत्स जाव तयपमाणमेत्तमवि भूदप्पमाणमेत्तमवि विदुप्पमाणमेत्तमवि आहारमाहारेत्तए, नन्नत्थ आगाटेहिं रोगायकेहि ॥

—वृद्धकल्प सूत्र ५।४६॥

(१९) नवमें तथा दशवें प्रायश्चित्त वाले को गृहस्थी बना कर नई दीक्षा दी जाती है किन्तु विशेषावस्था में गण की प्रतीति के लिये बिना गृहस्थी बनाए भी नई दीक्षा देकर नवमां तथा दशवां प्रायश्चित्त दे दिया जाता है ।^१

(२०) साम्भोगिक होने पर भी साधु साध्वी एक दूसरे से चौदह प्रकार की वैयावृत्य नहीं करवा सकते, किन्तु कोई वैयावृत्य करने वाला न हो तो करवा भी सकते हैं ।^२

इस प्रकार व्यवहार सूत्र २।६से१७ में रोग के कारण, बृहत्कल्प सूत्र ४।१८से२० में धर्मविनय का लाभ और व्यवहार सूत्र ८।११ में शय्या की दुर्लभता तथा बृहत्कल्प ४।२६

१. अणवदृष्टं भिक्षुं अग्निहिभूयं नो कप्पइ तस्स गणा-
वच्छेइयस्स उवट्ठावित्तए । अणवदृष्टं भिक्षुं गिहिभूयं कप्पइ तस्स
गणावच्छेइयस्स उवट्ठावित्तए ।

पारंचियं भिक्षुं अग्निहिभूयं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स
उवट्ठावित्तए । पारंचियं भिक्षुं गिहिभूयं कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स
उवट्ठावित्तए ।

अणवदृष्टं भिक्षुं अग्निहिभूयं वा गिहिभूयं वा कप्पइ तस्स गणा-
वच्छेइयस्स उवट्ठावित्तए, जहा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ।

पारंचियं भिक्षुं अग्निहिभूयं वा गिहिभूयं वा कप्पइ तस्स गणा-
वच्छेइयस्स उवट्ठावित्तए, जहा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ॥

—व्यवहार सूत्र २।१८से२३ ॥

२. जे निगंथा य निगंथीओ य संभोइया सिया, नो एहं कप्पइ
अन्नमन्नेणं वेयावच्चं कारवेत्तए । नत्थि याइ एहं केइ वेयावच्चकरे,
एवं ण्हं कप्पइ अन्नमन्नेणं वेयावच्चं कारवेत्तए ॥

मे परिहारी की निर्वलावस्था में उसे आहार देना आदि अनेकों अपवाद द्रव्य क्षेत्र काल और भावानुरूप समझ लेने चाहियें ॥

इन अपवादों के पाश्च प्रकार के प्रायश्चित्त इस प्रकार हैं—

(१) यदि शुद्धरूप से अपवाद का सेवन किया गया हो तो उसे केवल प्रथमाङ्क आलोचना प्रायश्चित्त होता है परन्तु उस साधक को जो परिणामी-गीतार्थ हो, कृतयोगी हो और उस ने वह अपवाद पूर्ण यत्ना से सेवन किया हो ।^१

(२) अपवाद-सेवन का मिथ्यादुष्कृत अर्थात् यह मेरे से भूल हुई द्वितीयाङ्क प्रतिक्रमण-प्रायश्चित्त होता है; यह उसे आता है जो परिणामी-गीतार्थ हो, कृतयोगी हो परन्तु अपवाद का पूर्ण यत्ना से सेवन न कर सका हो ।^२

(३) अपवाद का तृतीयाङ्क 'तदुभय' प्रायश्चित्त उसे

१. (क) भिक्षू य गणाश्रो श्रवक्कम्म पर-पासंड-पडिम उवसं-पजित्ताणां विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्च पि तमेव गणे उवसंपजित्ताणां विहरित्तए, नत्थि ए तस्स तत्पत्तिथं केइ छेए वा परिहारे वा नघत्थ एगाए आलोयणाए ॥

—व्यवहार सूत्र १।३२॥

(ख) निग्गयं च णं राश्रो वा वियाले वा दीह-पिट्ठो लूसेज्जा; इत्थी वा पुरिसस्स ओमज्जेज्जा, पुरिसो वा इत्थीए ओमज्जेज्जा। एव से कप्पइ, एव से चिट्ठइ, परिहारं च से न पाउणइ—एस कप्पे थेर-कप्पियाणं; एवं से नो चिट्ठइ, परिहारं च णो पाउणइ—एस कप्पे जिण-कप्पियाणं ॥

—व्यवहार सूत्र ५।२१॥

२. छ्थिहे पडिक्कमणे पणत्ते तं जहा—उच्चार-पडिक्कमणे, पाप्प वण-पडिक्कमणे, इत्तरिए, आवकहिए, जंकिचि-मिच्छा, सोमणइए ॥

—टायाग सूत्र ६।११६॥

आता है जो परिणामी-गीतार्थ हो, कृतयोगी हो परन्तु अपवाद का सेवन यत्ना से न कर सका हो ।^१

(४) अपवाद का छद्मा 'तप' प्रायश्चित्त उसे आता है जो परिणामी-गीतार्थ तो हो परन्तु जो कृतयोगी न हो और उसने यत्नारहित अपवाद का सेवन किया हो ।^२

(५) अपवाद-सेवन का सातवां 'छेद' प्रायश्चित्त उसे आता है जो न गीतार्थ है, न कृतयोगी है और न ही उसने यत्ना से अपवाद का सेवन किया है ।^३

इस प्रकार, ज्ञान दर्शन एवं चारित्र के लाभ विना तथा शारीरिक कारण विना, जिस में आत्म-विराधना होने की

१. (क) भिक्खू य अन्नयरं अकिच्च-द्वारं सेवित्ता इच्छेज्जा आलो-
एत्तए, जत्थेव अप्पणो आयरिय-उवज्झाए पासेज्जा, तस्सन्तियं आलोए-
ज्जा, पडिक्कमेज्जा, निंदेज्जा, गरहेज्जा विउट्ठेज्जा, विसोहेज्जा,
अकरणयाए अब्भुट्ठेज्जा अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा ॥

—व्यवहार सूत्र १।३४॥

(ख) सव्वेसु वि वीय-पए, दंसण-नाण-चरणावराहेसु ।

आउत्तस्स तदुभयं, सहसक्काराइणा चव ॥

—जीतकरूप सूत्र १५॥

२. निगंथिं च णं गिलायमाणिं माया वा भगिणी वा धूया वा
पलिस्सएज्जा, तं च निगंथे साइजेज्जा, मेहुणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ
चाउम्मासियं परिहारद्वारं अणुग्घाइयं ॥ —वृहत्कल्प सूत्र ४।६॥

३. भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म पासत्थ-विहारं विहरेज्जा से य
इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, अत्थि याइ त्थ-
सेसे, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स-
उवहाएज्जा ॥

—व्यवहार सूत्र १।२७॥

कोई आशका नहीं ऐसे निष्कारण जो अपवाद का सेवन करते हैं उन शिथिलाचारी अतिपरिणामी साधको को 'द्वेद' प्रायश्चित्त आता है जैसे कि—

१. उवस्सयस्म अंतोवगटाए मुरा-वियड-कुम्भे वा सोनीरय-वियड-कुम्भे वा उवनिक्खित्ते मिया, नां कप्पइ निग्गंधाण वा निग्गंधीण वा अहालंदमवि वत्थए । इत्थ्या य उवस्सय पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगराय व दुराय वा वत्थए, नो से कप्पइ पर एगरायाओ व दुरायाओ वा वत्थए । जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसेज्जा, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥

उवस्सयस्म अंतोवगडाए मीश्रोदग-वियडकुम्भे वा उस्सिणोदग-वियडकुम्भे वा उवनिक्खित्ते मिया, नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गंधीण वा अहालंदमवि वत्थए । इत्थ्या य उवस्सय पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगराय वा दुराय वा वत्थए, नो से कप्पइ पर एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए । जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसेज्जा, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥

—बृहत्कल्प सूत्र २।४, ५॥

किसी मकान में मुरा, सिरका एवं प्रासुक ठंडे तथा गरम जल के घड़े रखे हुए हों, साधु साध्वी उस मकान में अल्प-काल भी न ठहरे, यदि कहीं पर भी कोई अन्य मकान न मिले तो एक रात्रि अथवा दो रात्रि के लिये उसी मकान में ठहरा जा सकता है इस से अधिक नहीं, जो साधु साध्वी एक दो रात्री से अधिक ठहरता है तो उसे उतने ही दिन का दीक्षा-द्वेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

२. उवस्सयस्म अंतोवगडाए सब्वाइए जोई मियाएज्जा, नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गंधीण वा अहालंदमवि वत्थए । इत्थ्या य उवस्सय

पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए, नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए । जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसेज्जा, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥

उवस्सयस्स अंतोवगडाए सव्वराइए पईवे दिप्पेज्जा, नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहालदमवि वत्थए । हुरत्था य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए, नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए । जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसेज्जा, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥

—बृहत्कल्प सूत्र २।६, ७॥

जिस मकान में रात्रिभर अग्नि जलती रहे अथवा अग्नि-प्रदीप प्रकाश करता रहे तो साधु साध्वी उस मकान में अल्प समय के लिये भी न ठहरे, यदि कहीं पर भी अन्य मकान न मिले तो उसी मकान में एक रात्रि, (यदि थकान अधिक हुई हो तो) दो रात्रि तक ठहर सकते हैं, इस से अधिक रहना उन्हें नहीं कल्पता है । जो कोई साधु साध्वी इस से अधिक समय के लिये उस मकान में ठहरता है तो उसे उतने ही काल का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

३. ब्रह्मे पारिहारिया ब्रह्मे अपारिहारिया इच्छेज्जा एगयओ अभिन्न-सेज्जं वा अभिन्न-निसीहियं वा चेएत्तए । नो से कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता एगयओ अभिन्न-सेज्जं व अभिन्न निसीहियं वा चेएत्तए, कप्पइ एहं थेरे आपुच्छित्ता एगयओ अभिन्न-सेज्जं वा अभिन्न-निसीहियं वा चेएत्तए । थेरा य एहं से वियरेज्जा एव एहं कप्पइ एगयओ अभिन्न-सेज्जं वा अभिन्न-निसीहियं वा चेएत्तए, थेरा य एहं से नो वियरेज्जा, एव एहं नो कप्पइ एगयओ अभिन्न-

सेज्जं वा अभिन्न-निसीदियं वा चेएत्तए । जो खं थेरेहिं अविद्वरणे अभिन्न-सेज्जं वा अभिन्न-निसीदियं वा चेएइ, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र १।२१॥

बहुत से प्रायश्चित्त वाले साधक और बहुत से विना प्रायश्चित्त के साधक, किसी प्रकार की भिन्नता रहित, एक मकान में रहना और एक कमरे में आसन लगाना चाहे तो अपने स्थविर से पूछ कर एव आज्ञा मिल जाने पर ऐसा करना उन्हें कल्पता है । यदि स्थविर भगवन्त आज्ञा प्रदान न करे तो ऐसा करना नहीं कल्पता । जो साधक स्थविरों की आज्ञा विना जितने दिन तक किसी प्रकार की भिन्नता से रहित होकर उक्त प्रकार एक स्थान में रहे तो उन्हें उतने ही दिन का दीक्षाछेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

४. परिहारकपट्टिए भिक्खू बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा । थेरा य मे सरेज्जा कप्पइ से एगराइयाए पडिमाए जरणं जरणं दिसं अन्ने साहम्मिया विहरंति तणं तणं दिसं उवत्तिए । नो से कप्पइ तथ्य विहार-वत्तियं वत्थए, कप्पइ से तथ्य कारण-वत्तियं वत्थए । तंसि च णं कार-णंमि णिट्ठियंसि परो वण्ज्जा 'वसाहि अज्जो! एगरायं वा दुरायं वा' एव से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए; नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए । जं तथ्य परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वसइ, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र १।२२ ॥

परिहारकपट्टिए भिक्खू बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा । थेरा य नो सरेज्जा, कप्पइ से निव्विममाणस्य एगराइयाए पडिमाए... (२२) ... परिहारे वा ॥

परिहारकपट्टिए भिक्खू बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा । थेरा

यसे सरेज्जा वा नो वा सरेज्जा, कप्पइ से निच्चिसमाणस्स एगराइयाए पढिमाए..... (जहा २२).....परिहारे वा ॥

—न्यवहार सूत्र १।२३, २४॥

किसी आचार्य के पास कोई तप-प्रायश्चित्त वाला साधु है, किसी अन्य स्थान पर कोई स्थविर आदि रोग-ग्रस्त हों, किसी अन्य साधु के भेजने का अवसर न हो, आचार्य महाराज उस प्रायश्चित्ती को अपना तपोऽनुष्ठान बीच में छोड़ कर, उस रूग्ण साधु की सेवा करने के लिये जाने की आज्ञा दें, तब वह प्रायश्चित्ती, शक्ति हो तो तप करता हुआ और यदि शक्ति न हो तो अपना तपोऽनुष्ठान बीच में ही छोड़ कर, मार्ग में एक एक रात्रि ठहरने की प्रतिज्ञा धारण करके जा सकता है। जिस जिस दिशा में अपने स्वधर्मी रहते हों, उन उन दिशाओं को स्पर्शते हुए उसे जाना चाहिये। वहां स्वधर्मी होने पर भी एक रात्रि से अधिक न ठहरे। यदि उसे पीड़ा आदिका कारण होजावे तो अधिक भी ठहरा जा सकता है। कारण के निवृत्त हो जाने पर नहीं ठहरा जाता। फिर भी वहां रहने वाले साधु महाराज एक दो रात्रि और ठहरने के लिये कहें, तो एक दो रात्रि पर्यन्त ठहरा जा सकता है परन्तु इस से अधिक नहीं, जो साधु एक दो रात्रि से अधिक जितने दिन वहां ठहरे उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

ऊपरोक्त प्रकरण में प्रायश्चित्ती को आज्ञा देते हुए यदि आचार्य महाराज उसे अपना तप छोड़ना न कहें, तो वह अपना तप करता हुआ ही जाए। कारण के निवृत्त हो जाने पर और उन साधुओं के कहने पर एक दो रात्रि से अधिक न ठहरे, यदि ठहरे तो उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

सेज्जं वा अभिन्न-निमीहित्यं वा चेत्तए । जो रां धेरेहिं अविइयणे अभिन्न-सेज्जं वा अभिन्न-निमीहित्यं वा चेत्तए, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र १।२१॥

बहुत से प्रायश्चित्त वाले साधक और बहुत से विना प्रायश्चित्त के साधक, किसी प्रकार की भिन्नता रहित, एक मकान में रहना और एक कमरे में आसन लगाना चाहे तो अपने स्थविर से पूछ कर एव आज्ञा मिल जाने पर ऐसा करना उन्हें कल्पता है । यदि स्थविर भगवन्त आज्ञा प्रदान न करे तो ऐसा करना नहीं कल्पता । जो साधक स्थविरो की आज्ञा विना जितने दिन तक किसी प्रकार की भिन्नता से रहित होकर उक्त प्रकार एक स्थान में रहे तो उन्हें उतने ही दिन का दीक्षाच्छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

४. परिहारकपट्टिए भिक्खू बहिया धेराणं धेयावडियाए गच्छेज्जा । धेरा य मे मरेज्जा कपड्ढे से एगराइयाए पडिमाए जणणं जणणं दिसं अन्ने साहम्मिया विहरंति तण्णं तण्णं दिस उवल्लित्तए । नो से कपड्ढे तथ विहार-वत्तिय वत्थए, कपड्ढे से तथ कारण-वत्तियं वत्थए । तंसि च रां कार-रांसि सिट्ठियंसि परो वणज्जा 'वमाहि अज्जो! एगरायं वा दुरायं वा' एव से कपड्ढे एगरायं वा दुरायं वा वत्थए; नो से कपड्ढे परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए । जं तथ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वसइ, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र १।२२ ॥

यसे सरेज्जा वा नो वा सरेज्जा, कप्पइ से निच्चिसमाणस्स एगाराइयाए षडिमाए..... (जहा २२)परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र १।२३, २४॥

किसी आचार्य के पास कोई तप-प्रायश्चित्त वाला साधु है, किसी अन्य स्थान पर कोई स्थविर आदि रोग-ग्रस्त हों, किसी अन्य साधु के भेजने का अवसर न हो, आचार्य महाराज उस प्रायश्चित्ती को अपना तपोऽनुष्ठान बीच में छोड़ कर, उस लुण साधु की सेवा करने के लिये जाने की आज्ञा दें, तब वह प्रायश्चित्ती, शक्ति हो तो तप करता हुआ और यदि शक्ति न हो तो अपना तपोऽनुष्ठान बीच में ही छोड़ कर, मार्ग में एक एक रात्रि ठहरने की प्रतिज्ञा धारण करके जा सकता है। जिस जिस दिशा में अपने स्वधर्मी रहते हों, उन उन दिशाओं को स्पर्शते हुए उसे जाना चाहिये। वहां स्वधर्मी होने पर भी एक रात्रि से अधिक न ठहरे। यदि उसे पीड़ा आदि का कारण होजावे तो अधिक भी ठहरा जा सकता है। कारण के निवृत्त हो जाने पर नहीं ठहरा जाता। फिर भी वहां रहने वाले साधु महाराज एक दो रात्रि और ठहरने के लिये कहें, तो एक दो रात्रि पर्यन्त ठहरा जा सकता है परन्तु इस से अधिक नहीं, जो साधु एक दो रात्रि से अधिक जितने दिन वहां ठहरे उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

ऊपरोक्त प्रकरण में प्रायश्चित्ती को आज्ञा देते हुए यदि आचार्य महाराज उसे अपना तप छोड़ना न कहें, तो वह अपना तप करता हुआ ही जाए। कारण के निवृत्त हो जाने पर और उन साधुओं के कहने पर एक दो रात्रि से अधिक न ठहरे, यदि ठहरे तो उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

ऊपरोक्त प्रसङ्ग में आचार्य महाराज को पहले तो स्मरण था कि उसे अपना तपोऽनुष्ठान बीच में छोड़ कर सेवा करने के लिये जाने को कहना है परन्तु अपने ज्ञान-ध्यान एवं किसी से प्रश्नोत्तर के विचार में होने के कारण उसे आज्ञा देते समय 'अपना तप छोड़ कर' कहना भूल गये तब भी उस प्रायश्चित्ती को अपना तप करते हुए जाना चाहिये और बीच में एक दो रात्रि से उपरान्त न ठहरे। यदि ठहरे तो उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

५. जे भिक्खूय गणाओ अवक्कम्म एगल्ल-विहार-पडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य नो सयरेज्जा से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, पुण्णो आलोएज्जा, पुण्णो पडिक्कमेज्जा, पुण्णो छेय-परिहारस्स उवट्ठाएज्जा ॥
—व्यवहार सूत्र १।२४॥

गणावच्छेइए य.....(जहा २४).....उवट्ठाएज्जा । आयरिय-उवभाए य.....(जहा २४).....उवट्ठाएज्जा ।

—व्यवहार सूत्र १।२५, २६॥

ठाणाग सूत्र में कथन किये गए * आठ गुणों से युक्त कोई साधु गण को छोड़ कर एककल्ल-विहार की प्रतिज्ञा को धारण करके विचरण कर रहा हो, यदि वह अकेला अपने समय का निर्वाह न कर पा रहा हो और वह पुनः गण में सम्मिलित

* अट्ठीं ठाणेहिं संपन्ने अणगारे अरिइइ एगल्लविहारपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, तं जहा—(१) सड्ढि-पुरिसजाए, (२) सन्वे-पुरिसजाए, (३) मेहावी-पुरिसजाए, (४) बहुस्सुए-पुरिसजाए, (५) सत्तिम, (६) अप्पादिगरणे, (७) धिइमं, (८) वीरियसंपन्ने ॥

—ठाणाग सूत्र ८।१॥

होकर विचरण करना चाहता हो तो उसे सर्वप्रथम आलोचना करवानी चाहिये, सामान्यरूप से लगे दोषों का प्रतिक्रमण = मिथ्यादुष्कृत तथा उस के विशिष्ट दोषों का तप-प्रायश्चित्त एवं छेद-प्रायश्चित्त देकर उसे संयम में उपस्थापन करना चाहिये ॥

इसी प्रकार गणावच्छेदक एवं आचार्य उपाध्याय अपनी गणावच्छेदक आदि पदवी को छोड़ कर एककल्ल-विहार-प्रतिमा को धारण कर विचरण कर रहे हों और उन से संयम का निर्वाह न हो पा रहा हो और पुनः गच्छ में आना चाहते हों तो उन्हें उक्त प्रकार आलोचना, प्रतिक्रमण, तप एवं छेद प्रायश्चित्त देकर संयम में उपस्थापन करना चाहिये ॥

६. भिक्षू य गणात्रो अवक्कम्म पासत्थ-विहारं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, अत्थि या-इ त्थ सेसे, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवपट्टाएज्जा ॥

भिक्षू य गणात्रो अवक्कम्म अहाच्छंद-विहारं—कुसील-विहारं—ओसन्न-विहारं—संसत्त-विहारं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चंपि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, अत्थि या-इ त्थ सेसे, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवपट्टाएज्जा ॥

—व्यवहार सूत्र १२७से३१॥

कोई साधु गण को छोड़ कर एककल्ल-विहार-प्रतिमा का वाहन करते हुए पार्श्वस्थ-विहारी होजाए और वह पुनः गण में आकर विचरण करना चाहता हो, यदि उस में संयम-पालन के भाव अवशिष्ट हैं तो उसे सर्वप्रथम आलोचना करवानी चाहिये, सामान्य-दोषों का प्रतिक्रमण (मिथ्या-

दुष्कृत), विशिष्ट दोषों का तप प्रायश्चित्त तथा छेद प्रायश्चित्त देकर उसे समय में उपप्रस्थापन करे ॥

इसी प्रकार गण को छोड़ कर कोई साधु यथाच्छन्द-विहारी, कुशील-विहारी, अवसन्न-विहारी तथा ससक्त-विहारी हो जाए और वह पुनः गच्छ में आना चाहे, यदि उस में समय-पालन के भाव अवशिष्ट हो तो उसे आलोचना, प्रतिक्रमण, तप और दीक्षा-छेद के प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध करके संयम में उपप्रस्थापन करना चाहिये ॥

७. भिक्षु य अहिगरणं कट्टु, तं अहिगरणं अविभ्रोसवेत्ता, इच्छेजा अन्नं गण उवसंपञ्जित्ताणं विहरित्तए, कप्पइ तस्स पच्च-राइदियाइ छेयं कट्टु परिणिव्वाविय २ तमेव गणं पडिनिज्जाणयन्वे सिया, जहा व तस्स गणस्स पत्तिर्यं सिया ॥
—बृहत्कल्प सूत्र ५।५॥

कोई साधक क्लेश भगडा करके और उस क्लेश को उपशान्त किये बिना अन्य सघाटक में मिलना चाहे, तो उसे पाञ्च दिन के दीक्षा-छेद का प्रायश्चित्त देकर अपने पास रखना कल्पता है। इस प्रकार रख कर फिर उचितावसर पर कोमल वचनो द्वारा उसे समझा-बुझा कर वापिस उसी सघाटक में मिला देना चाहिये जहा से वह आया था जिससे गच्छ में प्रतीति बनी रहे ॥

८. से गामसि वा, नगरसि वा, निगमंसि वा, रायहाणिसि वा एगवगडाए, एगदुवाराए, एगनिज्जमणपवेनाए, नो कप्पइ बहूणं अगाइसुयाण एगग्रओ वथए । अत्थि या-इ श्हं केइ आया-पक्कप-धरे, नत्थि श्हं केइ छेए वा परिहारे वा; नत्थि या-इ श्हं केइ आया-पक्कप-धरे से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥

से गामंसि वा जात्र रायहासिंसि वा आभिनि-व्रगडाण, आभिनि दुवाराण,
आभिनि-निक्खमण-पवेसणाण, नो कप्पइ बहूणं अगड-सुयाणं एगयथो वत्थण ।
अत्थि या-इ एहं केइ आयार-पकप्प-धरे, नत्थि एहं केइ छेण वा परिहारे वा;
नत्थि या-इ एहं केइ आयार-पकप्प-धरे, जे जत्थियं रयणिं संवसइ, सच्चेसिं
तेसिं तप्पत्थियं छेण वा परिहारे वा ॥ —व्यवहार सूत्र ६।४,५॥

छोटे ग्राम में, नगर में, बड़े नगर में और राजधानी में
ऐसा मकान हो जिसका एक ही बड़ा कमरा हो, एक ही द्वार
हो और आने जाने का भी एक ही मार्ग हो, ऐसे स्थान में
बहुत से साधकों को, जो कि आचारांग, सूयगडांग, निशीथ
आदि सूत्रों के पढ़े हुए नहीं, एकत्र रहना नहीं कल्पता, यदि
उनमें कोई साधक, आचारांग निशीथ सूत्र का पढ़ा हुआ है
तो उसे कोई छेद व तपादि प्रायश्चित्त नहीं आता, किन्तु यदि
उनमें आचारांग निशीथ का पढ़ा हुआ कोई भी साधु नहीं
है तो जितने दिन रहे उतने दिन का उन सब को दीक्षा-छेद व
पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

इसी प्रकार बहुत कमरों, द्वारों और आने जाने के मार्गों
वाले स्थान में बहुत से बिना पढ़े साधक एकत्र रहें और उन
में कोई साधक आचारांग निशीथ का पढ़ा हुआ न हो, तो
उन सब को दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त
आता है ॥

६. भिक्खू य इच्छेज्जा गणं धारित्तए, नो से कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता
गणं धारित्तए, कप्पइ से थेरे अपुच्छित्ता गणं धारित्तए । थेरा य से
विथरेज्जा, एवं से कप्पइ गणं धारित्तए; थेरा य से नो विथरेज्जा एवं से नो
कप्पइ गणं धारित्तए । जण्णं थेरेहिं अविदिण्णं गणं धारेइ, से सन्तरा
छेशो वा परिहारो वा.....॥ —व्यवहार सूत्र ३।२॥

किसी साधक को, कुछ साधकों को साथ लेकर, सञ्जाटक-पति बन कर विचरण करने की इच्छा हुई हो तो स्थविर भगवान् के विना पूछे उसे ऐसा करना नहीं कल्पता, उन्हें पूछ कर, और वे गणधारण कर विचरण करने की उपयोग पूर्वक आज्ञा प्रदान कर दें, तो उसे गणधारण कर विचरण करना कल्पता है; यदि स्थविर भगवान् आज्ञा न दें, तो गणधारण कर विचरण करना नहीं कल्पता, यदि वह साधक स्थविरो की आज्ञा विना गणधारण करके विचरण करे तो उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद वा पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

१०. बहवे साहम्मिया इच्छेज्जा एगयओ अभिन्न-चारियं चारए, एओ ग्हं, कप्पइ धेरे अणापुच्छिता एगयओ अभिन्न-चारियं चारए, कप्पइ एह धेरे आपुच्छिता एगयओ अभिन्न-चारियं चारए । धेरा य से वियरेज्जा, एन ग्हं कप्पइ एगयओ अभिन्न-चारियं चारए, धेरा य से नो वियरेज्जा, एवं ग्हं नो कप्पइ एगयओ अभिन्न-चारियं चारए । जे तथ धेरेहिं अविइयणे एगयओ अभिन्न-चारियं चरंति, से सन्तरा छेपु वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र ४।११॥

बहुत से साधमिक साधक, अभिन्नरूप एकत्र होकर विचरण करना चाहें, तो उन्हें स्थविर भगवान् की आज्ञा लिये विना ऐसा करना नहीं कल्पता, हा, स्थविरो से पूछ कर और वे आज्ञा प्रदान कर दें, तो अभिन्नरूप से एकत्र होकर विचरण करना कल्पता है, यदि वे आज्ञा न दें तो नहीं कल्पता; जो साधक विना आज्ञा लिये अभिन्नरूप से एकत्र होकर जितने दिन विचरण करे तो उन्हें उतने ही दिन का दीक्षा-छेद वा पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

११. गामाणुगामं दूइज्जमाणो भिक्खु य जं पुरओ कट्ठु विहरइ, आइच्च विमुंभेज्जा, अथि या-इ तथ अन्ने केइ उवसंपज्जणारिहे, से उवसपज्जि-

यत्वे; नत्थि या-इ त्थ अन्ने केइ उपसंपज्जणारिहे, तस्स अप्पणो कप्पाए
असमत्थाए कप्पइ से एगाराइयाए पडिमाए जरणं जरणं दिसं अन्ने सा-
हम्मिया विहरंति तरणं तरणं दिसं उवलित्तए । नो से कप्पइ तत्थ विहार-
वत्तियं वत्थाए, कप्पइ से तत्थ कारण-वत्तियं वत्थाए । तंसि च णं कारणंसि
णिट्ठियंसि परो वएज्जा 'वसाहि अज्जो ! एगारायं वा दुरायं वा' एवं से कप्पइ
एगारायं वा दुरायं वा वत्थाए; नो से कप्पइ परं एगारायाओ वा दुरायाओ
वा वत्थाए । जे तत्थ परं एगारायाओ वा दुरायाओ वा वसइ, से सन्तरा छेए
वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र ४।११॥

वासावासं पज्जोसत्थिओ भिक्खू... (जहा ११) ... छेए वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र ४।१२॥

ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधक जिस को अगवानी
बना कर विचरण कर रहे थे, वे काल कर जाएं, तो उन
साधकों में कोई साधक अगवान बनाने योग्य हो तो उसे
अगवान बना कर विचरण करें, परन्तु उनमें कोई अगवान
बनाने के योग्य न हो [अथवा वे सब साधक मिल कर किसी
को अगवान न बना सके हों] तो जो साधक न मिला हो और
न अपने कल्प=आचार के पालन में समर्थ हो, तो जिस को वह
अपना अगवानी बनाना चाहता है उसके पास जाने के लिये
मार्ग में एक-एक रात्रि ठहरने की प्रतिज्ञा को धारण करके
जिस-जिस दिशा में उस के स्वधर्मी रहते हों उन क्षेत्रों को
स्पर्शते हुए उसे जाना चाहिये । विहार के निमित्त वहां
ठहरना नहीं कल्पता, हां—रोगादि कारण के निमित्त उसे ठहरना
कल्पता है [उसको स्वयं रोग हो जाए, अथवा थकावट हो तथा
वहां रहने वाले साधुओं को कोई कष्ट हो जाए जिसके
लिए उस का वहां ठहरना आवश्यक हो] इन कारणों के
निवृत्त हो जाने पर भी वहां रहने वाले साधु ऐसा कहें कि

हैं उसे ही यह पद दे दिया जाये। ऐसा कर देने के पश्चात् कोई ऐसी समस्या आ गई, जिसे वह नूतन, आचार्य न सुलभा सके और क्लेश उत्पन्न हो जाए तथा साधु उसे कहने लगे कि 'आप की दुष्ट पदवी है, आप को यह पद छोड़ देना चाहिये' तब वह [पद न छोड़े तो जितने दिन न छोड़े, उसे उतने ही दिन का छेद व तप प्रायश्चित्त आता है और यदि वह] उस पद को छोड़ देवे तो उसे कोई छेद व तप प्रायश्चित्त नहीं आता। किन्तु वे साधु नए आचार्य को पदवी छोड़ने के लिये तो न कहें, किन्तु उसे आचार्य-पद स्वीकार भी न करें, उसकी आज्ञा-प्रमाण विहरण न करें, तो जितने दिन उन्होंने नए आचार्य महाराज की आज्ञा-प्रमाण विहरण नहीं किया, उन सब को उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

आचार्य उपाध्याय तीव्र-कर्मोदय के कारण, समय छोड़ कर जा रहे हो और जाते हुए कह जाएं कि मेरे पश्चात् श्रमण को आचार्य पद देना.....शेष वर्णन ऊपरोक्तानुसार समझ लेना चाहिये ॥

१४ पवत्तिणी य गितायमाणी अन्नयरं वएज्जा 'मए एं अजा! कइ गयाए समाणीए अयं समुक्कसियव्वा'। सा य समुक्कसणारिहा, समुक्कसियव्वा; सा य नो समुक्कसणारिहा, नो समुक्कसियव्वा; नत्थि अइयं अजा काइ समुक्कसणारिहा, सा चेव समुक्कसियव्वा। तंमि च एं समुक्किट्ठं मि मा चएज्जा 'दुस्समुक्किट्ठं ते अज्जे! निक्खिवाहि' ताए एं निक्खिवमाणाए नत्थि केइ छेए वा परिहारे वा। जा साहम्मिणीया अहाकपेणं नो उट्ठाए विहात्थि, सव्वासि तासि तप्पत्तिय छेए वा परिहारे वा ॥ —व्यवहार सूत्र भा० १॥

पवत्तिणी य ओहायमाणी.....(जहा १३ श्वरं 'कालक्याए' स्थो 'ओहाधियाए').....छेए वा परिहारे वा ॥ —व्यवहार सूत्र भा० १॥

यन्त्रैः नत्थि या-इ त्थ अन्ने केइ उपसंपज्जणारिहे, तस्स अप्पणो कप्पाए
असमत्थाए कप्पइ से एगाराइयाए पडिमाए जरणं जयणं दिसं अन्ने सा-
हम्मिया विहरंति तरणं तरणं दिसं उवलित्तए । नो से कप्पइ तत्थ विहार-
वत्तियं वत्थए, कप्पइ से तत्थ कारण-वत्तियं वत्थए । तंसि च णं कारणंसि
णिट्ठियंसि परो वएज्जा 'वसाहि अज्जो ! एगारायं वा दुरायं वा' एवं से कप्पइ
एगारायं वा दुरायं वा वत्थए; नो से कप्पइ परं एगारायाओ वा दुरायाओ
वा वत्थए । जे तत्थ परं एगारायाओ वा दुरायाओ वा वसइ, से सन्तरा छेए
वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र ४।११॥

वासावासं पज्जोसविओ भिक्खू (जहा ११) छेए वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र ४।१२॥

ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधक जिस को अगवानी
वना कर विचरण कर रहे थे, वे काल कर जाएं, तो उन
साधकों में कोई साधक अगवान बनाने योग्य हो तो उसे
अगवान बना कर विचरण करें, परन्तु उनमें कोई अगवान
बनाने के योग्य न हो [अथवा वे सब साधक मिल कर किसी
को अगवान न बना सके हों] तो जो साधक न मिला हो और
न अपने कल्प=आचार के पालन में समर्थ हो, तो जिस को वह
अपना अगवानी बनाना चाहता है उसके पास जाने के लिये
मार्ग में एक-एक रात्रि ठहरने की प्रतिज्ञा को धारण करके
जिस-जिस दिशा में उस के स्वधर्मी रहते हों उन क्षेत्रों को
स्पर्शते हुए उसे जाना चाहिये । विहार के निमित्त वहां
ठहरना नहीं कल्पता, हां—रोगादि कारण के निमित्त उसे ठहरना
कल्पता है [उसको स्वयं रोग हो जाए, अथवा थकावट हो तथा
वहां रहने वाले साधुओं को कोई कष्ट हो जाए जिसके
लिए उस का वहां ठहरना आवश्यक हो] इन कारणों के
निवृत्त हो जाने पर भी वहां रहने वाले साधु ऐसा कहें कि

‘हे आर्य! एक-दो रात्रि और ठहरो’ तब भी एक या दो रात्रि और अधिक ठहरा जा सकता है किन्तु इस से उपरान्त नहीं, जो साधक इससे उपरान्त जितने दिन ठहरे उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

इसी प्रकार चातुर्मास काल में ठहरे साधकों का भ्रगवानी साधक काल-धर्म को प्राप्त हो जाए तो उसे भी उपरोक्तानुसार करना कल्पता है जो मार्ग में एक-दो रात्रि उपरान्त ठहरे तो उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

१२. गामाणुगामं दृङ्गमाणा निग्मथो य ज पुरश्चो काउं विहरइ सा
 आइच्च वीसुभेजा, अत्थि याइत्थ काइ अत्ता उवमंपज्जणारिहा, सा उव-
 मंपज्जियग्वा, नत्थि याइत्थ काइ अत्ता उवमंपज्जणारिहा, तीसे य अप्पणो
 कप्पाए अम्मत्थे, कप्पइ सा एगाराइयाए पडिमाए जस्स जस्सं दिसं अत्ताओ
 माहम्मिणीओ विहरंति तस्सं तस्सं दिस उवलित्तए । नो सा कप्पइ तत्थ
 विहारवत्थिं वत्थए, कप्पइ सा तत्थ कारणवत्थियं वत्थए । तंमि च ए
 कारणंसि णिट्ठियंसि परो वणज्जा ‘वमाहि थज्जे । एगाराय वा दुराय वा’ एवं
 सा कप्पइ एगाराय वा दुराय वा वत्थए; नो सा कप्पइ परं एगारायाओ वा
 दुरायाओ वा वत्थए । जा तत्थ परं एगारायाओ वा दुरायाओ वा वप्पइ, सा
 सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र ५।११।

वामाचानं पज्जोमविया निग्मथो... (जहा ११) छेए वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र ५।१२।

साधु के प्रकरण में जैसा अर्थ किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी साधु के रूप में समझ लेना चाहिये । विशेष इतना है कि ‘नो कप्पइ निग्मथीए एगणियाए होत्तए’—बृहत्कल्प सूत्र ५।१५॥ के अनुसार कल्पाचार में समर्थ होते हुए भी और

समर्थ न होने पर भी दूसरी जगह जाते एकाकी न जावे, कम-से-कम दो मिल कर और मार्ग में एक-एक रात्रि ठहरने की प्रतिज्ञा धारण करके जावें ॥

१३. आयरिय-उवज्भाए गिलायमाणे अन्नयरं वण्जा 'अज्जो ! मए णं कालगयंसि समाणंसि अयं समुक्कसियव्वे । से य समुक्कसणारिहे, समुक्कसियव्वे; से य नो समुक्कसणारिहे, नो समुक्कसियव्वे । अत्थि याइत्थ अन्ने केइ समुक्कसणारिहे, से समुक्कसियव्वे; नत्थि याइत्थ अन्ने केइ समुक्कसणारिहे, सो चेव समुक्कसियव्वे । तंसि च णं समुक्खिट्ठंसि परो वण्ज्जा 'दुस्समुक्खिट्ठं ते अज्जो ! निक्खिवाहि' तस्स णं णिक्खिवमाणस्स नत्थि केइ छेए वा परिहारे वा । जे साहम्मिया अहाकप्पेणं नो उट्ठाए विहरन्ति, सब्बेसिं तेसिं तप्पत्तिर्यं छेए वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र ४।१३॥

आयरिय-उवज्भाए ओहायमाणे.....(जहा १३ एवरं 'कालगयंसि' स्थाने 'ओहावियंसि').....छेए वा परिहारे वा ॥

—व्यवहार सूत्र ४।१४॥

आचार्य उपाध्याय महाराज रोग-ग्रस्त हों और उन्हें अपना आयुष्य समीप दिखाई दे रहा हो उस समय अन्य उपाध्याय तथा प्रवर्तक आदि को पास बुला कर वे कहें कि हे आर्यो ! मेरे काल कर जाने पर इस पद पर अमुक को समुत्कर्षित करना ऐसा कह कर वे काल कर जाएं । तत्पश्चात् वे उपाध्याय प्रवर्तक आदि उस की परीक्षा करें; यदि वह इस पद के योग्य हो तो सब मिल कर उसे वह पद प्रदान कर दें । किन्तु यदि वह इस पद के योग्य न हो तो उसे यह पद नहीं देना, गच्छ में कोई अन्य इस पद के योग्य दिखाई देता हो उसे यह पद प्रदान किया जावे । यदि अन्य कोई भी इस पद के योग्य दिखाई न दे तो जिसे आचार्य महाराज कह गए

है उसे ही यह पद दे दिया जावे। ऐसा कर देने के पश्चात् कोई ऐसी समस्या आ गई, जिसे वह नूतन आचार्य न सुलभा सके और क्लेश उत्पन्न हो जाए तथा साथु उसे कहने लगे कि 'आप की दुष्ट पदवी है, आप को यह पद छोड़ देना चाहिये' तब वह [पद न छोड़े तो जितने दिन न छोड़े, उसे उतने ही दिन का छेद व तप प्रायश्चित्त आता है और यदि वह] उस पद को छोड़ देवे तो उसे कोई छेद व तप प्रायश्चित्त नहीं आता। किन्तु वे साथ नए आचार्य को पदवी छोड़ने के लिये तो न कहें, किन्तु उसे आचार्य-पने स्वीकार भी न करें, उसकी आज्ञा-प्रमाण विहरण न करे, तो जितने दिन उन्होंने नए आचार्य महाराज को आज्ञा-प्रमाण विहरण नहीं किया, उन सब को उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

आचार्य उपाध्याय तीव्र-कर्मादिय के कारण, समय छोड़ कर जा रहे हो और जाते हुए कह जाए कि मेरे पश्चात् अमुक को आचार्य पद देना.....शेष वर्णन ऊपरोक्तानुसार समझ लेना चाहिये ॥

१४. पवत्तिषी य गितायमाणी अन्नयरे वपुजा 'मए शं अजा ! काल-गयाए समाणीए अयं समुक्कमियव्वा' । सा य समुक्कसणारिहा, समुक्क-सियव्वा, सा य नो समुक्कसणारिहा, नो समुक्कसियव्वा; नत्थि याहत्थ अजा काइ समुक्कसणारिहा, सा चेव समुक्कसियव्वा । तंति च शं समुक्किट्ठंति परा वपुजा 'दुस्समुक्किट्ठं ते अजे ! निक्खिवाहि' ताए शं निक्खिवमाणाए नत्थि वेइ छेए वा परिहारे वा । जा साहम्मिणीया अहाकपेणं नो उट्ठाए विहरन्ति, सम्वासि तासिं तप्पत्तिवं छेए वा परिहारे वा ॥ —व्यवहार सूत्र ५।१३॥

पवत्तिषी य ओहायमाणी'..... (जहा १३ श्वरं 'कालगयाए' स्थाने 'ओहावियाए')..... छेए वा परिहारे वा ॥ —व्यवहार सूत्र ५।१३॥

साधुओं के प्रकरण के अनुसार यहाँ साध्वियों के रूप में भी अर्थ समझ लेना चाहिये ॥

१५. (क) आयरिय-उवज्झाए सरमाणे परं चउराय-पंचरायाओ कप्पागं भिक्खुं नो उवट्ठावेइ । कप्पाए अत्थि याइत्थ से केइ माणणिज्जे कप्पाए, नत्थि से केइ छेए वा परिहारे वा; नत्थि याइत्थ से केइ माणणिज्जे कप्पाए, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥
—व्यवहार सूत्र ४।१५॥

आचार्य उपाध्याय महाराज का शिष्य, उट्टाण करने योग्य हो गया अर्थात् दीक्षा के पश्चात् सात दिन व्यतीत हो गये और वह शिष्य प्रतिक्रमण साधु-सामाचारी से भली-भाँति परिचित हो गया, परन्तु जानते हुए भी उसे उपस्थान नहीं करावे, छः जीव-निकाय सुना कर पांच महाव्रत और छट्ठा व्रत आरोपण नहीं करावे, सात दिन से ऊपर चार व पाश्च से भी अधिक दिन हो जावें तो आचार्य प्रायश्चित्त के अधिकारी हैं। कदाचित् उस शिष्य के पिता, उसके सेठ व राजा आदि की दीक्षा हो चुकी हो और प्रतिक्रमण आदि कुछ थोड़ा-सा शेष हो तो आचार्य को कोई प्रायश्चित्त नहीं आता क्योंकि उन्हें बड़ा बनाना उपयुक्त है, दस-पन्द्रह दिन तक ठहर सकते हैं किन्तु यदि कोई ऐसा माननीय दीक्षित व्यक्ति नहीं है तो आचार्य को, सात दिन से उपरान्त (पाश्च दिन छोड़ कर) जितने दिन हुए हों, उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥

(ख) आयरिय-उवज्झाए असरमाणे परं चउरायाओ कप्पागं... (जहा १५)... छेए वा परिहारे वा ॥
—व्यवहार सूत्र ४।१६॥

आचार्य उपाध्याय महाराज प्रमाद के वश शिष्य को सातवें दिन उपस्थान कराना भूल गए तथा सात से ऊपर चार दिन

से भी अधिक दिन व्यतीत हो गए और कोई माननीय दीक्षित शिष्य भी नहीं है तो आचार्य को सात दिन से उपरान्त (चार दिन छोड़ कर) जितने दिन हुए हो, उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व तप प्रायश्चित्त आता है ॥ [यदि चार दिन के अन्दर उपस्थान कराना याद आ जाए तो क्षन्तव्य]

(ग) आयरिय-उवग्भाणु सरमाणे वा, असरमाणे वा परं दसरायकप्पाओ कप्पाण भिक्खुं नो उवद्धानेइ । कप्पाण अत्थि याइत्थ से केइ माणणिज्जे कप्पाए, नत्थि से केइ छेए वा परिहारे वा; नत्थि याइत्थ से केइ माणणिज्जे कप्पाए, संवच्चरं तस्स तपत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा, उवग्भायत्तं वा, पवत्तित्तं वा, धेरत्तं वा, गणित्तं वा, गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।१७।

आचार्य उपाध्याय महाराज, स्मरण होने पर अथवा स्मरण न रहने पर उपस्थान न करावे और दस दिन से ऊपर हो जाए । यदि कोई माननीय पिता आदि दीक्षित व्यक्ति है तो आचार्य को कोई प्रायश्चित्त नहीं आता किन्तु कोई माननीय व्यक्ति नहीं, तो उस आचार्य को एक वर्ष तक आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावच्छेदक पद देना योग्य नहीं, उसे इन पदों के रूप में एक वर्ष तक अङ्गीकार करना किसी साधक को नहीं कल्पता ॥ [यदि दसवें दिन उपस्थान करा दिया जाए तो उपर्युक्त विधि से स्मरण होते पाँच दिन और स्मरण न होवे तो छ दिन का छेद व तप प्रायश्चित्त आता है, एक वर्ष की पदवी नहीं जाती]

१६. (क) [१] भिक्खु य गणं अणित्तिवित्ता मेहुणधम्म पडि-सेव्वेज्जा, जावग्जीवाए तस्स तपत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा, उवग्भायत्तं वा, पवत्तित्तं वा, धेरत्तं वा, गणित्तं वा, गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।१३।

जो साधक गण को छोड़े विना (वेष में रहते हुए) मैथुन सेवन करे तो उसे आयु-पर्यन्त आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावच्छेदक की पदवी देना और उसे इस रूप में मानना साधकों को नहीं कल्पता ॥

[II] भिक्त्वा गणात्रो अक्कम्म मेहुणधम्मं पडिसेवेजा तिरिण संवच्छराणि तस्स तप्पत्तिं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारित्तए वा । तिहिं संवच्छरेहिं वीइक्कंतेहिं चउत्थंगंसि पट्टियंसि, अत्रट्टियंसि, ठियस्स, उवसंतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निव्विकारस्स एवं से कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।१४॥

जो साधक गण (वेष) को छोड़ कर (साधुपने से पृथक् हो कर) मैथुन सेवन करे और इसके पश्चात् पुनः दीक्षा धारण करे तो उसमें योग्यता होने पर भी उसे तीन वर्ष तक आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावच्छेदक कोई पद देना और उसे उस रूप में मानना साधकों को नहीं कल्पता । हां—तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर चौथा वर्ष आरम्भ हो जाए और कुछ काल भी व्यतीत हो गया हो, उस समय यदि वह अपनी वृत्ति में स्थिर हो जाए, उसका मन उपशान्त हो गया हो, चञ्चलता रहित हो गया हो, मन समाधि में आजाए और किसी प्रकार का प्रकटरूप में विकार न रहे तो उसे आचार्य आदि का कोई भी पद देना और उसे उस रूप में मानना साधक लोगों को कल्पता है ॥

[III] गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्तं अनिक्खित्ति मेहुणधम्मं पडिसेवेजा, जावजावाए तस्स तप्पत्तिं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।१५॥

कोई गणावच्छेदक, गणावच्छेदक पद से त्याग-पत्र दिये विना वेप को छोड़ जाए, साधुपन से पृथक् हो कर मैथुन सेवन करे, पुनः दीक्षा धारण करले तो उसमें योग्यता होने पर भी, उसे गणावच्छेदक का पद अथवा आचार्य आदि का कोई भी पद प्रायु भर देना और उसे इस रूप में मानना साधकों को नहीं कल्पता ॥

[IV] गणावच्छेदक गणावच्छेद्यत्तं निव्वित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेजा, तिण्णिण संवच्छराणि... (जहा ३।१४) ... धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।१६॥

कोई गणावच्छेदक २ पद से त्याग-पत्र दे कर और साधुका वेप छोड़ कर, साधुपने से पृथक् होकर मैथुन सेवन करे और इसके पश्चात् पुनः दीक्षा धारण करले तो उस में योग्यता होने पर भी उसे तीन वर्ष तक गणावच्छेदक अथवा आचार्य आदि कोई भी पद देना और उसे इस रूप में मानना साधकों को नहीं कल्पता । हा—तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर और चतुर्थ आरम्भ होने पर यदि वह समय में स्थिर है, मन उसका उपशान्त है और चञ्चलता रहित है, उसकी वृत्ति समाधि वाली हो गयी है और उसमें बाह्य विकार का कोई चिह्न दिखाई नहीं देता तो गणावच्छेदक एव योग्यता होने पर आचार्य आदि कोई भी पद देना और उसे इस रूप में मानना साधक लोगो को कल्पता है ॥

[V] श्रायस्सिय-उवज्जाए श्रायस्सिय-उवज्जायत्तं अनिव्वित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेजा, जावज्जावाए तस्स... (जहा ३।१३) ... धारित्तए वा ॥

[VI] श्रायस्सिय-उवज्जाए श्रायस्सिय-उवज्जायत्तं निव्वित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेजा, तिण्णिण संवच्छराणि तस्स... (जहा ३।१४) ... धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।१७, १८॥

इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय अपना पद छोड़े बिना साधु-वेष का त्याग कर मैथुन सेवन करें और पुनः दीक्षा धारण करें तो उन में चाहे कितनी योग्यता हो और इस वार उनका मन कितना ही शान्त और समाधियुक्त क्यों न हो, किन्तु उसे आयुपर्यन्त आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावच्छेदक का कोई पद देना और उसे इस रूप में मानना साधकों को नहीं कल्पता ॥

यदि वे आचार्य उपाध्याय अपने आचार्य उपाध्याय पद को छोड़ कर, साधुवेष का त्याग करके, साधुपने से पृथक् होकर मैथुन सेवन करे और पुनः दीक्षा धारण करे, तब भी तीन वर्ष तक उसे कोई पद देना नहीं कल्पता । तीन वर्ष के पश्चात् चतुर्थ वर्ष में यदि उसका मन पूर्णतया स्थित, उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत, और निर्विकार अवस्था वाला हो जाय तो उस समय उसकी योग्यता के अनुसार उसे आचार्य आदि कोई भी पद दिया जा सकता है, ऐसा करना साधक लोगों को कल्पता है ॥

(ख) [I] भिक्खू य गणाओ अवकम्म ओहायइ, तिप्पिण संवच्छराणि
 ... (जहा ३।१४) ... धारित्तए वा ॥ —व्यवहार सूत्र ३।१६॥

कोई साधक संयम एवं वेष को छोड़ जाए परन्तु पुनः दीक्षा धारण करे, उस में आचार्य आदि बनने की क्षमता होने पर भी उसे तीन वर्ष तक कोई पद देना नहीं कल्पता । चतुर्थ वर्ष में यदि उस का मन संयम में स्थिर हो जाए, संयम में आनन्द माने, असंयम के कार्यों को सर्वथा छोड़ने के लिये तत्पर रहे, संयम-वाह्य क्रियाओं से घोर-घृणा करे और संयम में रंग जाए, ओतप्रोत हो जाए, सराबोर हो जाए तो उसे योग्यता होने पर आचार्य आदि पद दिया जा सकता है ॥

[II] गणावच्छेदय, गणावच्छेदयत्तं अनिक्खित्ता ओहाएज्जा, जाव-
ज्जीवाए तस्स.....(जहा ३।१३).....धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।२०॥

कोई गणावच्छेदक, गणावच्छेदक के पद से त्याग-पत्र दिये
विना साधुपने को छोड़ जाए और पुनः दीक्षा धारण करे तो
उस में योग्यता होने पर भी उसे आयु-पर्यन्त आचार्य, उपा-
ध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावच्छेदक बनाना और
उसे इस रूप में मानना साधको को नहीं कल्पता ॥

[III] गणावच्छेदए गणावच्छेदयत्तं निक्खित्ता ओहाएज्जा, तिण्णि
सवच्छराणि तस्स....(जहा ३।१४).....धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।२१॥

कोई गणावच्छेदक अपने गणावच्छेदक पद का त्याग-पत्र
अपने प्रवर्तक को देकर साधुपना छोड़ जाए परन्तु पुनः दीक्षा
धारण कर ले, फिर भी तीन वर्ष तक उसे कोई पद नहीं देना
चाहिये, चतुर्थ वर्ष में यदि उस का मन समय में भली प्रकार
रग जाए तो गणावच्छेदक पद अथवा योग्यता होने पर आचार्य
आदि कोई भी पद दिया जा सकता है ॥

[IV] आयरिय, आयरियत्तं अनिक्खित्ता ओहाएज्जा, जावज्जीवाए
तस्स.....(जहा ३।१३).....धारित्तए वा ॥ —व्यवहार सूत्र ३।२२॥

आचार्य पद से त्याग-पत्र दिये विना यदि कोई आचार्य
समय को छोड़ जाए तो पुनः दीक्षित होने पर भी आयुपर्यन्त
उसे कोई पद नहीं देना ॥

[V] आयरिय, आयरियत्तं निक्खित्ता ओहाएज्जा, तिण्णि संवच्छ-
राणि तस्स.....(जहा ३।१४).....धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।२३॥

यदि आचार्य, अपने आचार्य पद का संघ के समक्ष त्याग-पत्र देकर संयम को छोड़ जाए और पुनः दीक्षा अङ्गीकार करे तो योग्य होने पर तीन वर्ष तक तो उसे कोई पद देना नहीं कल्पता, हां—चतुर्थ वर्ष लग जाने के पर्याप्त समय पश्चात् यदि वह संयम में पूर्वोक्तानुसार ठीक हो तो योग्यतानुसार आचार्य आदि कोई भी पद दिया जा सकता है ॥

[VI] उवज्जाय, उवज्जायत्तं अनिक्खिवित्ता ओहाएज्जा, जावजीवाए तस्स... (जहा ३।१३) ... धारित्ते वा ॥ —व्यवहार सूत्र ३।२४॥

[VII] उवज्जाय, उवज्जायत्तं निक्खिवित्ता ओहाएज्जा, तिण्णि संवच्छ-राणि तस्स... (जहा ३।१४) ... धारित्ते वा ॥ —व्यवहार सूत्र ३।२५॥

अर्थ पूर्वोक्तानुसार समझ लेना चाहिए ॥

(ग) [I] भिक्खू य बहुस्सुए बन्नागमे, बहुसो बहु-आगाढागाढेसु कारणेसु माई, मुसावाई, असुई, पावजीवी जावजीवाए तस्स... (जहा ३।१३) ... धारित्ते वा ॥ —व्यवहार सूत्र ३।२६॥

कोई साधक बहुश्रुत (आवश्यक और आचाराङ्ग सूत्र के उपरान्त जघन्य निशीथ, मध्यम व्यवहार-वृहत्कल्प और उत्कृष्ट ९ व १० पूर्व और आज-कल भगवती सूत्र का मर्म जानने वाला) हो, बहुत आगम और प्रायश्चित्तादि विधि का ज्ञाता हो, बहुत ही बड़े गाढावगाढ [जिसके बिना काम न चले] कारणों-प्रयोजनों के होने पर जो कपटाचरण करे, कपटसहित भूठ बोले (सत्य प्रतीत होने वाला भूठ बोले) । असुई = उत्सूत्र प्ररूपे, जानता हुआ भी सूत्रार्थ विपरीत करे, इस प्रकार ढोंग से अपना जीवन चलाए—ऐसे पापजीवी साधक को आयुपर्यन्त आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावच्छेदक

पदो मे से कोई भी पद देना और उसे इस रूप में मानना साधकों को नहीं कल्पता ॥

[II] गणावच्छेदेषु बहुस्सुए, वच्चागमे, बहुसो बहु-आगाढागाढेसु कारणेषु माई, मुमावाई, असुई, पावजीवी जावजीवाए तस्स... (जहा ३।१३) ...धारित्तए वा ॥ —व्यवहार सूत्र ३।२७॥

उपरोक्तानुसार कोई बहुश्रुत गणावच्छेदक, गाढावाढ प्रसङ्ग पर भी कपटाचरण करके, माया सहित मृपावाद बोल कर, सूत्रों का अर्थ विपरीत करके अपना स्वार्थ साधता हुआ जीवन व्यतीत करे तो उसे आयु भर कोई पद नहीं आता ॥

[III] आयरिय बहुस्सुए वच्चागमे बहुसो बहु-आगाढागाढेसु कारणेषु माई, मुमावाई, असुई, पावजीवी जावजीवाए तस्स... (जहा ३।१३) ...धारित्तए वा ॥ —व्यवहार सूत्र ३।२८॥

[IV] उवज्जाण बहुस्सुए वच्चागमे बहुसो बहु-आगाढागाढेसु कारणेषु माई, मुमावाई, असुई, पावजीवी जावजीवाए तस्स... (जहा ३।१३) ...धारित्तए वा ॥ —व्यवहार सूत्र ३।२९॥

[V] बहवे भिक्खुणो बहुस्सुया वच्चागमा बहुसो बहु-आगाढागाढेसु कारणेषु माइणो, मुमावाइणो, असुइणो, पावजीविणो जावजीवाए तेसिं... (जहा ३।१३) ...धारित्तए वा ॥ —व्यवहार सूत्र ३।३०॥

बहुत से बहुश्रुत साधक, बहुमत में होते हुए भी यदि वे उपर्युक्त दुर्गुणों से युक्त हो जाएं तब भी उनमें से किसी को भी आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावच्छेदक पदों में से कोई भी पद उन्हें सम्पूर्ण आयु में कभी भी देना, नहीं कल्पता ॥

[VI] बहवे गणावच्छेदिया बहुस्सुया, वच्चागमा बहुसो बहु-

आगाढागाढेसु कारणेसु माङ्गो, मुसावाङ्गो, असुङ्गो, पावजीविणो जावजीवाए तेसिं.....(जहा ३।१३).....धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।३१॥

वहुत से गणावच्छेदक ऊपर अनुसार हो जाएँ फिर भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिये, उन सब में से किसी को भी, कभी भी, कोई भी पद देना, साधकों को नहीं कल्पता ॥

VII. बहवे आयरिया बहुस्सुया, व्भागमा बहुसो बहु-आगाढागाढेसु कारणेसु माङ्गो, मुसावाङ्गो, असुङ्गो, पावजीविणो जावजीवाए तेसिं.....(जहा ३।१३).....उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥

व्यवहार सूत्र ३।३२॥

उपर्युक्त दुर्गुणों से युक्त बहुत से आचार्य भी क्यों न हो जाएँ, उन में से किसी को भी कभी भी आचार्य आदि बनाना और उसे उस रूप में मानना साधकों को नहीं कल्पता ॥

VIII. बहवे उवज्झाया बहुस्सुया, व्भागमा बहुसो बहु-आगाढागाढेसु कारणेसु माङ्गो, मुसावाङ्गो, असुङ्गो, पावजीविणो जावजीवाए तेसिं.....(जहा ३।१३).....उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥

—व्यवहार-सूत्र ३।३३॥

इसी प्रकार बहुत से उपाध्याय हो जाएँ तो उनमें से किसी को भी और कभी भी, किसी भी पद पर आरूढ करना और उसे वैसा मानना साधकों को नहीं कल्पता ॥

IX. बहवे भिक्खुणो, बहवे गणावच्छेइया, बहवे आयरिया, बहवे उवज्झाया बहुस्सुया व्भागमा बहुसो बहु-आगाढागाढेसु कारणेसु माङ्गो, मुसावाङ्गो, असुङ्गो, पावजीविणो जावजीवाए तेसिं तप्पत्तिथं नो कप्पइ आयरियत्तं वा, उवज्झायत्तं वा, पवत्तित्तं वा, थेरत्तं वा, गणित्तं वा, गणावच्छेइयत्तं वा उदिसित्तए वा धारित्तए वा ॥

—व्यवहार सूत्र ३।३४॥

उपर्युक्त दुर्गुणों से युक्त बहुत से साधु, बहुत से गणावच्छेदक बहुत से आचार्य और बहुत से उपाध्याय भले ही हो जाएं, उन सब में से किसी को भी, कभी भी, आचार्य आदि कोई भी पद देना और उसे उस रूप में धारण करना सर्वज्ञ-कथित मार्ग के साधको और आराधको को नहीं कल्पता ॥

[उपरोक्त सभी प्रकरणों में जो साधक विधान से विपरीत जितने दिन किसी को आचार्य आदि पद के रूप में अङ्गीकार और स्वीकार करे, उन्हे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त समझना चाहिए, यदि वे अपनी आत्म-शुद्धि के इच्छुक हो तो] ॥

८. मूल—

आकुट्ट्या पञ्चेन्द्रियवधे, दर्पेण मैथुने, उत्सन्नविहार इत्यादौ मूलं प्रायश्चित्तं, पुनर्व्रतारोपणमिति भावः ॥

(क) जान-बूझ कर द्वेष-भाव से और मार देने के इरादे से पञ्चेन्द्रिय जीव का वध कर देने पर ।

(ख) दर्प पूर्वक मैथुन सेवन करने से ।

(ग) और उत्सन्न-विहारी होने इत्यादि (उत्कृष्ट रूप से झूठ बोलने, चोरी करने, परिग्रह रखने आदि) अवस्थाओं में साधक को 'मूल' प्रायश्चित्त आता है अर्थात् द्वितीय-वार महाव्रत धारण करने होते हैं और उसकी नई दीक्षा मानी जाती है । जैसे कि—

१. भिरसू य गणाग्रो अक्कम्म ओहावेग्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गयं उवसपज्जित्तायं विहरित्थं, नत्थि यं तस्स वेइ छेए वा परिहारे वा, नत्तथ पगाए सेहोवट्ठावणियाए ॥
—व्यवहार सूत्र १।३३॥

कोई साधक गण को छोड़ कर असंयमी वृत्ति कर ले अथवा असंयमी वृत्ति न भी करे परन्तु आवेश में आकर साधु-वेष को छोड़ दे और गृहस्थ-वेष व अन्यतीर्थी के वेष को धारण कर ले परन्तु तत्काल सलिङ्ग में आकर पुनः उसी गण में सम्मिलित होना चाहे तो उसे कोई छेद व तप प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता अपितु आठवां 'मूल' प्रायश्चित्त आता है, उसे द्वितीय-वार महाव्रत आरोपण करवा कर संयम में उपस्थापन किया जाता है ॥

[चारित्र एवं लिङ्ग के अतिरिक्त जो सम्यग्दर्शन से सर्वथा पतित हो जाए उसे भी आठवां 'मूल' प्रायश्चित्त आता है ।]

२. संयम से भाव उतर जाने के कारण मेघ मुनि जी महाराज ने, श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से द्वितीय-वार महाव्रतों को धारण किया १ ॥

१. तएणं से मेहे अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं संभारिय-पुव्व-जाइसरणे दुगुणाहिय-संवेगे आणंद-पुएण-मुहे हरिस-वसेणं धाराहय-कयंवगं पिव समूसिय-रोमकूवे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, नमंसइत्ता एवं वयासी—.....इच्छामि णं भंते ! इयाणि सयमेव दोच्चंपि पव्वावियं सयमेव मुंडाविय जाव सयमेव आयार-गोयरं जाया-माया-वत्तियं धम्ममाइक्खंतु ।

तए णं समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारं सयमेव पव्वावेइ जाव जायामाया-वत्तियं धम्ममाइक्खइ—'एवं देवाणुप्पिया ! गंतव्वं एवं चिद्धि-यव्वं, एवं णिसीयव्वं एवं तुयट्ठियव्वं, एवं भुंजियव्वं, एवं भासियव्वं, उट्ठाय उट्ठाय पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमियव्वं ।'

तए णं से मेहे समणस्स भगवओ महावीरस्स अयमेयारूवं घम्मियं

३. पुत्रोत्पत्ति का उपाय, गर्भस्तम्भन अथवा गर्भपात की विधि बता कर आहार लेने वाला साधक, उत्पादन के १६ वें मूतकर्म-दोष का सेवी है और उसे आठवा 'मूल' प्रायश्चित्त आता है ॥*

९. अनवस्थाप्य—

स्वपक्षे परपक्षे वा अर्थादाने (स्तेने) निरपेक्षप्रहारिणि करादि-घातके वा इत्यादीं अनवस्थाप्याहं प्रायश्चित्तम् ॥

नवमे अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त में उसे गृहस्थ-वेष पहिना कर फिर नई दीक्षा दी जाती है। विना गृहस्थ बनाए जो समय में स्थाप्य नहीं है उसे अनवस्थाप्य कहा जाता है। † यथा—

अणवदुष्पं भिन्नं अग्नि-भूय नो कल्पइ तस्स गणावच्छेदयस्स उवट्ठावित्तण् ॥

उवएस सम्म पडिच्छइ पडिच्छइत्ता तइ गच्छइ चिट्ठइ जाव सज्जेणं सज्जेइ । तए णं से मेहे अणगारे जाए इरियाससिए जाव गुत्तयभयारी ॥

—जाता सूत्र १।१७।१॥

प्रत्युत्पन्नानगतयो

● दुविह निमित्ते लोभे, गुस्सा मायाए मासिय गुदयं ।

वचनसस्तद

मूलकर्मणि मूलम्

सुहुमे वयणे लट्ठुओ, संसे लट्ठुगा य मूलं च ॥

—बृहत्कल्प-भाष्य ५३६॥

† जिससे इतना तप कराया जाए कि उसमें स्वस्थान से उठने की भी शक्ति न रहे, दूसरे से कहे कि मुझे उठने के लिए सहारा दो, इस प्रकार कड़ी तपस्या करा कर जिसे नई दीक्षा दी जाती है उसे 'अनवस्थाप्य' प्रायश्चित्त कहते हैं ।—बृहत्परम्परा ॥

अणवद्वृषं भिक्षुं गिहि-भूयं कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स उवट्ठावित्तए ॥

—व्यवहार सूत्र २।१८, १६॥

अर्थात् अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त वाले को विना गृहस्थ बनाए संयम में उपस्थापन करना गणावच्छेदक जी को नहीं कल्पता, गणावच्छेदक को उसे गृहस्थी बना कर फिर नई दीक्षा देनी चाहिये ॥

नवमें प्रायश्चित्त के अधिकारी—

तत्रो अणवद्वृषा परणत्ता तं जहा—साहम्मियाणं तेन्नं करेमाणे १,
अन्न-धम्मियाणं तेन्नं करेमाणे २, हत्थत्तालं दलयमाणे ३॥

—ठाणांग सूत्र ३।४।१२॥, —वृहत्कल्प सूत्र ४।३॥

१. स्वधर्मी=स्वपक्ष के साधु साध्वी के भंडोपकरण ग्रन्थ पात्र, वस्त्र पात्र, शास्त्र तथा शिष्य की चोरी करने वाले—विना पूछे लेने वाले साधक को 'अनवस्थाप्य' नामक नवम प्रायश्चित्त आता है ।

२. परधर्मी=परपक्ष अर्थात् अन्यतीर्थी साधु, अथवा स्वमत तथा परमत दोनों प्रकार के गृहस्थों^१ के भण्डोपकरण की चोरी करने वाले साधक को 'अनवस्थाप्य' प्रायश्चित्त आता है ।

३. परस्पर में मारामारी और लड़ाई करने वाले [अथवा अष्टांग निमित्त की प्ररूपणा करने वाले^२] साधक को नवम 'अनवस्थाप्य' प्रायश्चित्त आता है । (वताया हुआ ज्योतिष,

१. साधु-धर्म की अपेक्षा सब गृहस्थ पर-धर्म व पर-पक्ष में आते हैं ।

२. वृहत्कल्प सूत्र पृष्ठ ४७॥ में पूज्य अमोलक ऋषि जो महाराज ॥

गणित आदि में त्रुटि रह जाने पर पूरा न उतरे तो साधुओं की और जिन-शासन को निन्दा होती है)

आठवे 'मूल' प्रायश्चित्त में दोष प्रकट नहीं होता और इस नवम अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त में दोष प्रकट रूप में (openly, in public) होता है इस लिए उसे लोगों के समक्ष गृहस्थ का वेष पहिना कर फिर नई दीक्षा दी जाती है। 'आदि' शब्द से प्रकट रूप में झूठ बोलने वाले, कुशील सेवन करने वाले आदि प्रायश्चित्तियों को भी यह 'अनवस्थाप्य' नवम प्रायश्चित्त दिया जाता है ॥

१०. पाराञ्चिक—

तीर्थकरादीनां बहुश आशातनाकारिणि, नृपघातके, नृपाग्रमहिषीप्रतिसेवके, स्वपरपक्ष-कपाय-विषय-प्रदुष्टे, स्त्या-निर्द्धे निद्रावति पाराञ्चिकप्रायश्चित्तम् । स स्वव्यक्तलिङ्गधारी जिनकल्पिवत् क्षेत्राद्बहिः स्थाप्यते द्वादशवर्षाणि, यदि प्रभा-धनां करोति तदा शीघ्रमेव प्रवेश्यते गच्छे शुद्धत्वात् ॥

नई दीक्षा एव गृहस्थ-वेष के अतिरिक्त जो दीर्घ समय (बारह मास उत्कृष्ट बारह वर्ष) तक विधि रूप से रहकर जो प्रायश्चित्त का पार पाता है उसे पाराञ्चिक नामक दसवां प्रायश्चित्त कहते हैं ।

जो दोष, जितना प्रकट-रूप में होता है उसका प्रायश्चित्त भी उतना ही प्रकट-रूप में दिया जाता है । यदि ऐसा न किया जाए तो अपने तथा बाहिर के लोगों में यह अपवाद फैल जाए कि 'इन में तो ऐसे ऐसे कुकर्म करने वाले भी छिपे बैठे हैं ।'

इस प्रकार इस वेप की एवं जिन-शासन की निन्दा होती है। अतः जो दोष जितने अंश में प्रकट-रूप हो, उसका प्रायश्चित्त भी उतने ही प्रकटरूप में होना चाहिए। इसलिए दसवें प्रायश्चित्त का अधिकारी साधुवेप छोड़ देता है और गृहस्थ का कोई विशिष्ट वेप बनाकर (मस्तक पर चार अंगुल प्रमाण का वस्त्र बांध कर) वारह मास और उत्कृष्ट वारह वर्ष पर्यन्त साधु के सब नियमों का यथाविधि पालन करता हुआ और ग्रामानुग्राम विचरण करता हुआ लोगों के द्वारा अनादर अपमान को समभाव-पूर्वक सहन करता हुआ उतने समय का पार पाता है, उस अवधि में यदि वह जिन-शासन की प्रभावना करे तो समय घटा भी दिया जाता है, इस प्रकार समय पूरा करके वह नई दीक्षा धारण करता है ॥

दसवें प्रायश्चित्त के अधिकारी—

तत्रो पारंचिया पण्यन्ता तंजहा—दुष्टे पारंचिण् १, पमत्ते पारंचिण् २, अरण्यमरणं करेमाणे पारंचिण् ३॥

—ठाण्णांग सूत्र ३।४।१२॥, —बृहत्कल्प सूत्र ४।२॥

१. दुष्ट दो प्रकार के होते हैं, कषायदुष्ट और विषय-दुष्ट। कषायदुष्ट के दो भेद—स्वपक्ष-कषायदुष्ट और परपक्ष-कषायदुष्ट। स्वपक्ष-कषायदुष्ट के भी पाञ्च भेद प्रतिपादन किये गए हैं—

पंचहिं ठाणेहिं समणे निगंगंये साहम्मियं पारंचियं करेमाणे णाइकमइ तंजहा—कुले वसइ कुलस्स भेयाए अब्भुट्टेत्ता भवइ, गणस्स भेयाए अब्भुट्टेत्ता भवइ, हिंसप्पेही, छिइप्पेही, अभिक्खणं अभिक्खणं पसिणाए तेणाइ पउत्ता भवइ ॥

—ठाण्णांग सूत्र ५।१।१४॥

(क) जिस कुल में रह रहा है, उसी में फूट डलवा कर

गणित आदि में त्रुटि रह जाने पर पूरा न उतरे तो साधुओं की और जिन-शासन को निन्दा होती है)

आठवें 'मूल' प्रायश्चित्त में दोष प्रकट नहीं होता और इस नवम अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त में दोष प्रकट रूप में (openly, in public) होता है इस लिए उसे लोगों के समक्ष गृहस्थ का वेष पहिना कर फिर नई दीक्षा दी जाती है। 'आदि' शब्द से प्रकट रूप में झूठ बोलने वाले, कुशील सेवन करने वाले आदि प्रायश्चित्तियों को भी यह 'अनवस्थाप्य' नवम प्रायश्चित्त दिया जाता है ॥

१०. पाराश्रिक—

तीर्थकरादीनां बहुश आशातनाकारिणि, नृपघातके, नृपाग्रमहिषीप्रतिसेवके, स्वपरपक्ष-कषाय-विषय-प्रदुष्टे, स्त्या-नर्द्धि निद्रावति पाराश्रिकप्रायश्चित्तम् । स त्वव्यक्तलिङ्गधारी जिनकरिपवत् क्षेत्राद्बहिः स्थाप्यते द्वादशवर्षाणि, यदि प्रभा-चनां करोति तदा शीघ्रमेव प्रवेश्यते गच्छे शुद्धत्वात् ॥

नई दीक्षा एव गृहस्थ-वेष के अतिरिक्त जो दीर्घ समय (बारह मास उत्कृष्ट बारह वर्ष) तक विधि रूप से रहकर जो प्रायश्चित्त का पार पाता है उसे पाराश्रिक नामक दसवां प्रायश्चित्त कहते हैं ।

जो दोष, जितना प्रकट-रूप में होता है उसका प्रायश्चित्त भी उतना ही प्रकट-रूप में दिया जाता है । यदि ऐसा न किया जाए तो अपने तथा बाहिर के लोगों में यह अपवाद फैल जाए कि 'इन में तो ऐसे ऐसे कुकर्म करने वाले भी छिपे बैठे हैं ।'

इस प्रकार इस वेप की एवं जिन-शासन की निन्दा होती है । अतः जो दोष जितने अंश में प्रकट-रूप हो, उसका प्रायश्चित्त भी उतने ही प्रकटरूप में होना चाहिए । इसलिए दसवें प्रायश्चित्त का अधिकारी साधुवेप छोड़ देता है और गृहस्थ का कोई विशिष्ट वेप बनाकर (मस्तक पर चार अंगुल प्रमाण का वस्त्र बांध कर) वारह मास और उत्कृष्ट वारह वर्ष पर्यन्त साधु के सब नियमों का यथाविविध पालन करता हुआ और ग्रामानुग्राम विचरण करता हुआ लोगों के द्वारा अनादर अपमान को समभाव-पूर्वक सहन करता हुआ उतने समय का पार पाता है, उस अवधि में यदि वह जिन-शासन की प्रभावना करे तो समय घटा भी दिया जाता है, इस प्रकार समय पूरा करके वह नई दीक्षा धारण करता है ॥

दसवें प्रायश्चित्त के अधिकारी—

तत्रो पारंश्रिया पण्यत्ता तंजहा—दुष्टे पारंश्रिण् १, पमत्ते पारंश्रिण् २, अण्यमण्यं करेमाणे पारंश्रिण् ३॥

—ठाणांग सूत्र ३।४।१२॥, —बृहत्कल्प सूत्र ४।२॥

१. दुष्ट दो प्रकार के होते हैं, कपायदुष्ट और विपय-दुष्ट । कपायदुष्ट के दो भेद—स्वपक्ष-कपायदुष्ट और परपक्ष-कपायदुष्ट । स्वपक्ष-कपायदुष्ट के भी पाञ्च भेद प्रतिपादन किये गए हैं—

पंचहिं ठाणेहिं समणे निरगंये साहम्मियं पारंश्रियं करेमाणे णाङ्कमइ तंजहा—कुले वसइ कुलस्स भेयाए अन्मुट्ठेत्ता भवइ, गणस्स भेयाए अन्मुट्ठेत्ता भवइ, हिंसप्येही, छिइप्येही, अभिक्खणं अभिक्खणं पस्सिणाए तेणाइ पउत्ता भवइ ॥

—ठाणांग सूत्र ५।१।१४॥

(क) जिस कुल में रह रहा है, उसी में फूट डलवा कर

और उन को परस्पर लडा कर स्वयं तमाशा देखे और अपना उल्लू सीधा करे, वलेश उत्पन्न कर कुछ साधकों को अपनी ओर मिला कर स्वयं सघाटक-पति आदि बने ।

(ख) जिस गण में रह रहा है, उसी में फूट डाल कर उन्हें परस्पर लडा कर तमाशा देखे और अपना स्वार्थ सिद्ध करता हुआ आचार्य गणावच्छेदक आदि पद का अपहरण करे । गण में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की वृद्धि करना तो एक और रहा अपितु गण को लडाता और उसमें फूट डालता हुआ पद का उपभोग करे ।

(ग) जो गुरु और स्वधर्मी की घात करे तथा मरे हुए के दान्त आदि अङ्ग का क्रोध के वश होकर नाश करे ।

(घ) जो कुल और गण के भेद के अवसरों की ताक में रहे और जिस साधु से उसका द्वेष हो उसके छिद्र देखता रहे, उसका अपयश करता रहे और उसकी निन्दा फैलाता रहे ।

(ङ) गुरु को झूठा प्रमाणित करने के लिये उनसे वारम्बार प्रश्न करता रहे ॥

इस प्रकार यह स्वपक्ष-कषायदुष्टता है । परपक्ष-कषायदुष्टता, जो राजा आदि की घात करे ॥

विषयदुष्ट के भी दो भेद होते हैं—स्वपक्ष-विषयदुष्ट, जो साधु का शील भङ्ग करे । परपक्ष-विषयदुष्ट, जो राजा की रानी आदि से कुशील सेवन करे—ये सब दुष्टता के भेद हैं ॥

२. प्रमाद के दो भेद होते हैं—मदिरादि पदार्थ का सेवन कर परवश हो जाए । स्वयान्द्वि निद्रा के वशीभूत हो दिन में चिन्तन किया हुआ कार्य रात्रि में कर डाले ॥

३. साधु साधु के साथ और साध्वी साध्वी के साथ परस्पर विषय सेवन करे ।

इन सब को दसवां 'पाराश्विक' प्रायश्चित्त लेना होता है ॥

तीर्थकर देव की, केवलि-प्ररूपित शास्त्र एवं जिन-शासन की बहुत वार आशातना करने वाला भी इस दसवें पाराश्विक प्रायश्चित्त का अनुष्ठान कर अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकता है ॥

कुछ गीतार्थों की धारणा है कि नवम प्रायश्चित्त उपाध्याय को तथा दशम पाराश्विक प्रायश्चित्त आचार्य को दिया जाता है ।

किसी का कहना है कि ये दोनों प्रायश्चित्त, चौदहपूर्व का ज्ञान और प्रथम संहनन न होने से तप की अपेक्षा व्यवच्छेद हो चुके हैं, और कोई कहता है कि यह दसवां पाराश्विक प्रायश्चित्त पूर्णतया विच्छेद है ।

किन्तु पृष्ठ ५७ में व्यवहार सूत्र २।२२, २३ के अनुसार अपवाद रूप में नवमें तथा दशमें प्रायश्चित्ती को आठवां मूल प्रायश्चित्त भी दे दिया जाता है ॥



एवं सदयं दिज्जति जेणं सो संजमे थिरो होति ।

न य सव्वहा न दिज्जति अणवत्थपसंगदोसातो ॥



तालिका

सामान्य प्रमाद की कोटियाँ

- (१) अतिक्रम का प्रायश्चित्त 'आलोचना' ।
- (२) व्यतिक्रम का प्रायश्चित्त 'प्रतिक्रमण' (मिथ्या-दुष्कृत देना) ।
- (३) अतिचार व सामान्य प्रमाद के अनाचार का प्रायश्चित्त 'तदुभय' ।
- (४) उपयोग भङ्ग के अनाचार का प्रायश्चित्त 'विवेक' ।
- (५) केवल काया, केवल वचन व केवल मन के अनाचारों का प्रायश्चित्त 'व्युत्सर्ग' ।

विशिष्ट प्रमाद की कोटियाँ

- (६) विशिष्ट प्रमाद से उद्भूत अतिचार व अनाचारों का प्रायश्चित्त 'तप' ।
- (७) कुछ जान-बूझ कर सेवित अनाचार का प्रायश्चित्त 'छेद' ।
- (८) सर्वथा जान-बूझ कर आसेवित अनाचार का प्रायश्चित्त 'मूल' ।
- (९) प्रकट रूप से जान-बूझ कर सेवित अनाचार का प्रायश्चित्त 'अनवस्थाप्य' ।
- (१०) महान् अनर्थोत्पादक जान-बूझ कर सेवित अनाचार का प्रायश्चित्त 'पाराञ्चिक' ॥

ये प्रायश्चित्त जिन २ में हो सकते हैं वे इस प्रकार हैं—

पुलाक निर्ग्रन्थ में छः प्रायश्चित्त—आलोचना १, प्रतिक्रमण २, तदुभय ३, विवेक ४, व्युत्सर्ग ५, और तप ६ हो सकते हैं ।

वकुश और प्रतिसेवना-कुशील में दस ही प्रायश्चित्त हो सकते हैं। परन्तु जो जिन-कल्पी हैं उनमें आदि के आठ ही हो सकते हैं।

निर्ग्रन्थ में दो प्रायश्चित्त हो सकते हैं, आलोचना और विवेक।


स्नातक में केवल एक विवेक प्रायश्चित्त होता है ॥

सामायिक-चारित्री में छेद और मूल को छोड़ कर शेष आठ प्रायश्चित्त हो सकते हैं। किन्तु जो सामायिक-चारित्री जिन-कल्पी हैं उनमें आदिम छः प्रायश्चित्त ही हो सकते हैं।

छेदोपस्थापनीय-चारित्री में दस ही प्रायश्चित्त हो सकते हैं किन्तु जो छेदोपस्थापनीय जिनकल्पी हैं उनमें आदि के आठ प्रायश्चित्त ही हो सकते हैं।

परिहारविशुद्धि-चारित्री में आदि के आठ और जो परिहारविशुद्धि-चारित्री जिन-कल्पी है उसे छेद और मूल को छोड़ कर आदि के छः प्रायश्चित्त हो सकते हैं।

सूक्ष्मसम्पराय-चारित्री और यथाख्यात-चारित्री में दो प्रायश्चित्त हो सकते हैं—आलोचना और विवेक ॥



पायच्छित्ते असंतमि,

चरित्तपि ण वट्टती ।



चूलिका

प्रायश्चित्त दो प्रकार के होते हैं—कप्पिय और दप्पिय ।
आलोचना प्रायश्चित्त कप्पिय प्रायश्चित्त है^१, शेष नव
प्रकार के प्रायश्चित्त सब-के-सब दप्पिय प्रायश्चित्त है^२,

१ कल्पनीय, आचरण करने योग्य कार्यों का आलोचना-
प्रायश्चित्त, अतिक्रम की सभारना की अपेक्षा से है ।

२. त पुण होञ्जा सेट्रिय दप्पेण अहव होञ्ज कप्पेण ।

दप्पेण दसविहं तू इणमो बुच्छ समासेण ॥

दप्प व अकण्ण निरालव विदत्ते अपसत्थ धीसत्थो ।

अपरिच्छ अकडजोगी अणाणुयावी य सिस्संको ॥

—व्यवहार सूत्र उद्देश १० भाष्यगाथा ६३३, ६३४ ॥

—दणों निष्कारणं धावन-वल्गान-वीरयुद्धादिकरण १ । अकल्पोऽ-
परिणत-पृथ्वीकायादिग्रहणमगीतार्थानीतोपधि-शय्याहाराद्युपभोगश्च २ ।
निरालम्बो ज्ञानाद्यालम्बनरहितप्रतिसेवनाको ३ । विद्यतेति पदैकदेशे
पदसमुदायोपचारात्त्यक्तकृत्य. सस्तरन्नपि सन्नकृत्यं प्रतिसेव्य त्यक्तचारित्र
इत्यर्थः ४ । अप्रशस्तो बलवर्णादिनिमित्तं प्रतिसेनी । ५ विश्वस्तः
स्वपक्षतः परपक्षतो वा निर्भय प्राज्ञातिपातादिसेवी ६ । अपरीक्षी
युक्तयुक्तपरीक्षाविकलः ७ । अकृतयोगो अगीतार्थः । त्रीन् वारान कल्प-
भेगणीयं चापरिभाष्य प्रथमवेलायामपि यतस्ततोऽल्पानेपखीश्रमपि
भाही ८ । अतनुनापी अवाद्दरदेन कायानामुपद्रवेऽपि कृते पश्चात् अनु-
त्तापरहितः ९ । निःशङ्को निर्दयः इदपरलोकशङ्कारहित इत्यर्थः १० ॥

एयं दप्पेण भवे इणमन्नं कप्पिय मुरोयत्वं ।

चउवीसई विहाणं तमह बुच्छं समासेण ॥

त्रिषयक होते हैं।^१ वियत्त-किञ्च=व्यक्तकृत्य^२ अर्थात् कृतयोगी गीतार्थ द्वारा किये जाने वाले कार्य का प्रायश्चित्त, कप्पिय प्रायश्चित्त होता है। इस प्रकार कप्पिय और दप्पिय प्रायश्चित्तों में दसों प्रकार के प्रायश्चित्त समाविष्ट हैं।

जिस साधक के तप-रूप दप्पिय प्रायश्चित्त वाले कई प्रति-सेवना दोष एकत्र हो जाए तो सामूहिक रूप से सब दोषों के प्रायश्चित्तों को मिलाकर जो एक प्रायश्चित्त कर दिया जाता है, उसे सजोयणा-प्रायश्चित्त कहते हैं।

किसी प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करते हुए साधक नया दोष लगा बैठे तो उस दोष का प्रायश्चित्त पहले प्रायश्चित्त में बढ़ा दिया जाता है, इसको आरोपणा-प्रायश्चित्त कहा जाता है।

आलोचना करते समय यदि कपट का आचरण किया जाए तो इस कपट-आचरण का पृथग् रूप में प्रायश्चित्त दिया जाता है जिसे कि पलिकुञ्चन-प्रायश्चित्त कहते हैं।^३

शस्तेषु शुभेषु प्रयोजनेषु कर्तव्येषु समर्थो भवति । तत एषा कल्पिका प्रतिसेवना ॥

१. त्रिविधे पायच्छित्ते परणत्ते तं जहा—ण्ण-पायच्छित्ते, दंसण-पायच्छित्ते, चरित्त-पायच्छित्ते ॥ —ठाणाग सूत्र ३।४।१२ ॥

२. चउव्विधे पायच्छित्ते परणत्ते तं जहा—ण्ण-पायच्छित्ते, दंसण-पायच्छित्ते, चरित्त-पायच्छित्ते, वियत्तकिञ्चे-पायच्छित्ते ॥

—ठाणाग सूत्र ४।१।३३ ॥

३. चउव्विधे पायच्छित्ते परणत्ते तेजहा—पडिसेवणा-पायच्छित्ते १, सजोयणा-पायच्छित्ते २, आरोपणा-पायच्छित्ते ३, पलिउचणा-पायच्छित्ते ॥—ठाणाग सूत्र ४।१।२३ ॥

आरोपणा पंचविहा परणत्ता तेजहा—पडाविया (प्रस्थापिता

जो साधक इन प्रायश्चित्तों को अंगीकार एवं स्वीकार नहीं करता अपितु अपने दोषों को बढ़ाता ही चला जाता है, तो उस से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया जाता है जैसे कि —

पंचहिं ठाणेहिं समणे निग्गन्थे साहम्मियं संभोइयं, विसंभोइयं करे-
माणे णाइक्कमइ तं जहा—सकिरिय-ट्ठाणं पडिसेवित्ता भवइ, पडिसेवित्ता णो
आलोएइ, आलोएत्ता णो पट्टिवेई, पट्टिवेत्ता णो णिव्विसइ, जाइं इमाइं थेराणं
ट्टिइ-प्पकःपाइं भवंति ताइं अइयंचिय अइयंचिय पडिसेवेइ से 'हन्द !' हं
पडिसेवामि किं मे थेरा करिस्संति' ।

—ठाणांग सूत्र ५।१।१४॥

अर्थात् जो दोष का सेवन करता है, सेवन करके उसकी आलोचना नहीं करता, आलोचना करने पर गुरुजन जो प्रायश्चित्त देवें वह अङ्गीकार नहीं करता, अंगीकार करके भी उसे उतारता नहीं और स्थविर मगवन्तों ने जो मर्यादाएं बांधी हैं उन्हें वारम्बार तोड़ता है और कहता है कि 'हां ! मैं तो ऐसे ही करूंगा, देखूंगा स्थविर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे' । ऐसे व्यक्ति के सम्भोग काट दिए जाते हैं ।

इस प्रकार के जो प्रत्यनीक व्यक्ति हैं, उनके साथ सम्भोग नहीं रखे जाते जैसे कि—

अर्थात् शीघ्र तप करवाना), ठविया (स्थापिता अर्थात् स्थापन कर रखना), कसिणा (कृत्स्ना अर्थात् क्रोध-रहित तप करना वह पूर्णतप है), अकसिणा (अकृत्स्ना अर्थात् क्रोध सहित तप करना वह अपूर्ण तप है), हाडहडा (द्वतद्वता अर्थात् अवस्था एवं शक्ति देखकर दिया गया तप ॥

—ठाणांग सूत्र ५।२।१४॥

१. हन्द च गृहाणार्थे ॥८।२।१८१॥ —हेम-व्याकरण ॥

नवर्हिं शोणेहिं समणे निगये संभोइयं विमंभोइयं करेमाणे नाइवकमइ
तं जहा—आपरिय-पडिणीयं, उवज्जाय-पडिणीयं, धेरपडिणीयं, कुल-गण-
संघपडिणीयं, नाण-दंमण-चरित्तपडिणीयं ॥ —ठाणाग सूत्र १११॥

अर्थात् आचार्य द्वारा किये जाने वाले ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की वृद्धि के कार्यों का विरोध करने वाले इसी प्रकार उपाध्याय, स्थविर के कार्यों का विरोध करने वाले, कुल गण और संघ द्वारा रत्नत्रय की वृद्धि के कार्यों का विरोध करने वाले, केवल-प्ररूपित ज्ञान का विरोध करने वाले, दर्शन का विरोध करने वाले एवं सर्वज्ञ-कथित मर्यादाओं का विरोध करने वाले—इन नव प्रकार के प्रत्यनीक साधकों के सम्भोग काट दिये जाते हैं ॥

आचार्य, उपाध्याय एवं स्थविर के प्रत्यनीक को गुरु-प्रत्यनीक कहा जाता है^१, कुल गण एवं संघ के प्रत्यनीक को समूह प्रत्यनीक कहा जाता है तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के प्रत्यनीक को भाव-प्रत्यनीक कहा जाता है। ज्ञान = श्रुतप्रत्य-

१. गुरुं पडुच्च तत्रो पडिणीया पणत्ता तं जहा—आपरिय-पडिणीए, उवज्जाय-पडिणीए, धेर-पडिणीए। गइ पडुच्च तत्रो पडिणीया पणत्ता तं जहा—इइलोय-पडिणीए, परलोय-पडिणीए, दुइलोय-पडिणीए। समूह पडुच्च तत्रो पडिणीया पणत्ता तं जहा—कुल-पडिणीए, गण-पडिणीए, संघ-पडिणीए। अणुक्कपं पडुच्च तत्रो पडिणीया पणत्ता तं जहा—तवस्वी-पडिणीए, गिलाण-पडिणीए, सेइ-पडिणीए। भाव पडुच्च तत्रो पडिणीया पणत्ता तं जहा—नाण-पडिणीए, दंसण-पडिणीए, चरित्त-पडिणीए। सुय पडुच्च तत्रो पडिणीया पणत्ता तं जहा—सुत्त-पडिणीए, अत्थ-पडिणीए, तटुभय-पडिणीए ॥

नीक में सूत्र, अर्थ और तदुभय तीनों प्रकार के प्रत्यनीक माने जाते हैं ।

तपस्वी, रोगी और शैक्ष का अनुकम्पा-प्रत्यनीक तथा इहलोक, परलोक एवं तदुभयलोक का गति-प्रत्यनीक—ये छः प्रकार के प्रत्यनीक तो अपनी हानि तक सीमित रहते हैं परन्तु उपरोक्त नव प्रकार के प्रत्यनीक तो अपनी हानि करते हुए गच्छ की भी हानि करते हैं अतः उनके साथ गच्छ के सम्भोग काट दिये जाते हैं ॥

उपरोक्त प्रसङ्गों में तो, प्रायश्चित्त न होने तक १२ प्रकार के सम्भोगों में से कुछ सम्भोग काट दिये जाते हैं किन्तु जो प्रायश्चित्ती आगमानुसार प्रायश्चित्त को अङ्गीकार ही न करे, उसे तो गच्छ-वाहिर ही किया जाता है अर्थात् उसके साथ गच्छ का कोई सम्भोग नहीं रहता जैसे कि कहा है—

भिक्षू य अहिगरणं कट्टु तं अहिगरणं अविओसवेत्ता—नो से कप्पइ गाहा-
वइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, नो से कप्पइ
वहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, नो से
कप्पइ गामाणुगामं दूइज्जित्तए वा, गणाओ गणं संकमित्तए, वासावासं वा
वत्थए । जत्थेव अप्पणो आयरिय-उवज्जायं पासेज्जा बहुस्सुयं ववभागमं,
कप्पइ से तस्सन्तिए आलोएत्तए, पडिक्कमित्तए, निंदित्तए, गरहित्तए,
विउट्ठित्तए, विसोहित्तए, अम्भुट्ठित्तए, अहारिहं पायच्छित्तं तवोकममं पडि-
वज्जित्तए । से य सुएणं पट्टविए, आइयव्वे सिया; से य सुएणं नो पट्टविए
नो आइयव्वे सिया । से य सुएणं पट्टविज्जमाणे नो आइयइ, से निज्जू-
हियव्वे सिया ॥

—बृहत्कल्पसूत्र ४।२५॥

कोई साधक किसी से क्लेश कर बैठे, जब तक वह क्लेश को शान्त करके क्षमा-याचना न कर ले, तब तक गोचरी को

जाना, पञ्चमी को जाना, स्वाध्याय करना, विहार करना, दूसरे साधुओं को अङ्गीकार करना और चातुर्मास-काल भी व्यतीत करना उसे नहीं कल्पता (जितने दिन व्यतीत करे उतने दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप) अपितु जहाँ उसके आचार्य, उपाध्याय, बहुश्रुत और प्रायश्चित्त-विधि के ज्ञाता हों, वहाँ जा कर आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दना, गर्हा, विउदृण और आत्म-विशोधन करे, आगे के लिये ऐसा न करने का मन में दृढ सङ्कल्प करे और किये हुए का यथायोग्य निर्जरारूप सूत्रानुसार प्रायश्चित्त अङ्गीकार करे । यदि प्रायश्चित्त पक्षपात के कारण, आगमानुसार न दिया जाए तो प्रायश्चित्त अङ्गीकार न करे, और जो साधक सूत्रानुसार दिये गए प्रायश्चित्त को अङ्गीकार न करे तो उसे विसम्भोगी घोषित करके गच्छ-वाहिर कर दिया जाना चाहिये ॥

जो तृतीयवार कपट का आचरण कर सभा में प्रायश्चित्त पा चुका हो और चतुर्थवार पुनः कपटाचरण करे तो उसे भी विसंभोगी गच्छ-वाहिर कर दिया जाता है —

तिहिं ठाण्हिं समणे निगान्थे साहम्मिये सम्भोइयं, विसंभोइयं करे-
माणे नाइक्कमइ तं जहा—सइं वा दट्ठं, सड्ढियस्स वा निसम्म तच्चं
मोमं आउट्ठइ, चउत्थं नो आउट्ठइ ॥ —ठाणांग सूत्र ३।३।६॥

किसी ने दोष-स्थान सेवन किया, उसकी शुद्धि करने के हेतु उससे स्वीकार करवा कर प्रायश्चित्त देने के लिए उससे पूछा गया, उसने साफ इन्कार कर दिया, यदि प्रायश्चित्त देने वाले ने अपनी आँखों से उसका दोष-सेवन देखा है, तो उसे पूरा प्रमाण देकर प्रायश्चित्त देवे एव शुद्ध करे । दोष-सेवन का प्रायश्चित्त और कपट कर भूठ बोलने का प्रायश्चित्त

पृथक् पृथक् देकर और फिर दोनों को मिलाकर संजयोणा-प्रायश्चित्त दिया जाए। यदि उसे दोष सेवन करते हुए को स्वयं न देखा हो तो जिस विश्वास-पात्र ने अपनी आँखों देखा हो, उससे सुन कर उस दोषी को प्रायश्चित्त दिया जाए।

एक वार तो ऐसा कर दिया गया परन्तु उसने दूसरी वार फिर दोष का सेवन किया और पूछने पर भी फिर कपटाचरण कर भूठ बोला, तब भी उपरोक्त प्रकार से उसे प्रायश्चित्त दिया जाए।

यदि वह तीसरी वार भी ऐसा करे तो उपरोक्तानुसार उसे सभा के बीच संजोयणा-प्रायश्चित्त मिले।

यदि वह ढीठ चतुर्थ वार पुनः दोष-सेवन करे और पूछे जाने पर माया करके भूठ बोले तो पूरा प्रमाण मिल जाने पर उसे कोई प्रायश्चित्त देने की आवश्यकता नहीं अपितु उसे विसंभोगी कर गच्छ से वाहिर कर दिया जाता है।

कौन साधक अपने कपटाचरण को छिपाता है और कौन उसकी सम्यक् प्रकार आलोचना करता है इस विषय में सूत्रकार प्रतिपादन करते हैं—

तिहिं ठाणेहिं मायी, मायं कट्टु णो आलोएज्जा, णो पडिक्कमेज्जा,
णो सिंदेज्जा, णो गरहेज्जा, णो विउट्टेज्जा, णो विसोहेज्जा, णो अकरणयाए
अभुट्ठेज्जा, णो अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जेज्जा तं जहा—
अकरिंसु वाहं, करेमि वाहं, करिस्सामि वाहं ॥

—ठाणांग सूत्र ३।३।१॥

मायावी, कपटाचरण कर तीन कारणों से गुरु-साक्षी में आलोचना नहीं करे, मिथ्यादुष्कृत न दे, उसे बुरा न समझे

उससे धृणा न करे, आगे के लिए न करने का संकल्प न करे, और अतिचारो की शुद्धि कर यथायोग्य तप-प्रायश्चित्त ग्रहण न करे। जैसे कि—

(१) मैंने स्वयं यह कार्य किया, अब मैं इसकी कैसे निन्दा करूँ।

(२) यह कार्य मैं अब भी कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे बुरा कहूँ।

(३) यह कार्य मैंने अब भी करना है, इसलिए इसका कैसे प्रायश्चित्त लूँ।

तिहिं ठाणेहिं मायो, माय कट्टु णो आलोएजा णो पडिक्कमेजा जाव णो पडिक्कजेजा तं जहा—अकिंती वा मे सिया, अवन्ने वा मे सिया, अविणय वा मे सिया।

(१) यदि मैं अपने पाप को प्रकट करूँगा तो मेरी अकीर्ति होगी। (२) मेरा अवर्णवाद होगा और (३) लोग मेरी पहिंने जैसी विनय-भक्ति न करेंगे।

तिहिं ठाणेहिं मायो, माय कट्टु णो आलोएजा जाव णो पडिक्कजेजा तं कित्ती वा मे परिहाइस्सइ, जसो वा मे परिहाइस्सइ, पूयासक्कारे वा मे परिहाइस्सइ।

(१) मेरी बढ़ती हुई कीर्ति रुक जाएगी। (२) मेरे यश में कमी हो जाएगी। (३) मेरी पूजा और सत्कार में अन्तर आ जाएगा।

तिहिं ठाणेहिं मायो, माय कट्टु आलोएजा पडिक्कमेजा निद्वेजा जाव पडिक्कजेजा तं जहा—मायिस्स णं अरिस्सं लोणे गरहिण भवइ, उववाणं गरहिण भवइ, आयाईं गरहिया भवइ।

उत्तम जीव तीन कारणों से अपने कपटाचरण की गुरु की

साक्षी से आलोचना करते हैं, मिथ्यादुष्कृत देते हैं, उसे बुरा समझते हैं, उस कपटाचरण से घृणा करते हैं, आगे को न करने का दृढ सङ्कल्प मन में धारण करते हैं और लगे हुए अतिचारों की शुद्धि कर उस का यथा-योग्य प्रायश्चित्त ग्रहण करते हैं—

(१) यदि मैं अपना पाप गुप्त रखूंगा तो वह कभी गुप्त न रह सकेगा फिर लोगों में अधिक निन्दा का पात्र बनूंगा ।

(२) माया-शल्य से मृत्यु पाकर दुर्गति में जाना पड़ेगा ।

(३) वहाँ आयु समाप्त करके फिर मनुष्य लोक में अश्रेष्ठ कुलों में जन्म धारण करना पड़ेगा ।

तिहिं ठारोहिं मायी, मायं कट्टु आलोएज्जा जाव पडिवज्जेजा तं जहा—
अमायिस्स गं अस्सि लोगे पसत्थे भवइ, उववाए पसत्थे भवइ, आयाई पसत्थे भवइ ।

(१) अपनी भूल मानने से और उसका पश्चात्ताप करने से इस लोक में प्रशंसा होती है कि 'धन्य है जो अपना जन्म सुधार रहा है ।'

(२) आलोचना करने से जिनाज्ञा का आराधक होता है और मृत्यु के पश्चात् इन्द्र के सामानिक देव आदि की पदवी पाता है ।

(३) वहाँ से आयु पूर्ण कर फिर श्रेष्ठ कुलों में जन्म धारण करके अपना कल्याण करता है ।

तिहिं ठारोहिं मायी, मायं कट्टु आलोएज्जा जाव पडिवज्जेजा तं जहा—
याणद्वयाए, दंसणद्वयाए, चरित्तद्वयाए ॥ — ठाणांग सूत्र ३।३।१॥

उत्तम जीव अपने ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की वृद्धि के लिये अपने कपटाचरण की आलोचना करके उसका प्रायश्चित्त अंगीकार करते हैं ॥

परिशिष्ट

(१) पाञ्च व्यवहार ।

पंचविहे व्यवहारे पत्न्यन्ते तं जहा— आगमे, सुए, आणा, धारणा, जीए । जहा से तत्थ आगमे सिया, आगमेणं व्यवहारे पट्टवेजा; णो से तत्थ आगमे सिया, जहा से तत्थ सुए सिया, सुत्तेणं व्यवहारे पट्टवेजा; णो से तत्थ सुए निया, एवं जाव जहा से तत्थ जीए सिया, जीएणं व्यवहारे पट्टवेजा । इच्चेण्हिं पंचहिं व्यवहारं पट्टवेजा, आगमेणं जाव जीएणं । जहा जहा से तत्थ आगमे जाव जीए, तथा तथा व्यवहारं पट्टवेजा । से किमाह भन्ते ? आगमवत्तिया समणा निग्गंथा, इच्चेय पंचविहं व्यवहारं जंयां जया जहिं जहिं, तथा तथा तहिं तहिं अणिसिम्मओवस्सियं सम्मं व्यवहारेणणे समणे निग्गंथे आणाए आराहए भवइ ॥ —ठाणांग सूत्र ५।२।७॥

(१) केवल-ज्ञानी, मन पर्यंत-ज्ञानी और चौदहपूर्वधारी से दसपूर्वधारी तक की आज्ञा के अनुसार किया गया व्यवहार आगम-व्यवहार कहलाता है जैसे कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ प्रभु नैमी नाथ जी तीर्थकर देव की आज्ञा के होने पर श्री गज-सुकुमार जी महाराज ने दीक्षा लेते ही एक-दम भिक्षु की बारहवीं पडिमा का वाहन किया; चौदह पूर्वधारी श्री भद्र-बाहु जी महाराज की आज्ञा से श्री स्थूलभद्र जी महाराज ने वेश्या के घर चातुर्मास किया इत्यादि ।

(२) आगम-व्यवहारी के अभाव में शास्त्रानुसार किया हुआ कार्य श्रुत-व्यवहार कहलाता है ।

(३) आगम-व्यवहार और श्रुत-व्यवहार दोनों के अभाव

में आचार्य उपाध्याय जी महाराज की आज्ञानुसार किया जाने वाला कार्य आज्ञा-व्यवहार कहलाता है ।

(४) जहाँ आज्ञा भी न आ सकती हो, वहाँ अपने पूर्वज आचार्य उपाध्याय आदि की कोई धारणा याद हो तो उसके अनुसार किया गया कार्य धारणा-व्यवहार कहलाता है ।

(५) जिस किसी प्रकरण में श्रुत-व्यवहार का प्रसंग न हो, आज्ञा न पहुंच पाती हो और कोई धारणा भी स्मरण न हो, तो उस समय आगमों से अबाधित, गीतार्थों का सर्वसम्मत अथवा बहुमत निर्णय जो हो और उसके अनुरूप जो कार्य किया गया हो तो उसे जीत-व्यवहार कहते हैं ॥

इन पांचों व्यवहारों में उत्तर से पूर्व पूर्व का व्यवहार बलवान है । आगम-व्यवहार सब व्यवहारों से बलिष्ठ है । आगम-व्यवहारी के समक्ष श्रुत नहीं देखा जाता, धारणा की आवश्यकता नहीं और बहुमत नहीं लिया जाता, जो आगमव्यवहारी प्रतिपादन करें वही प्रामाणिक है । आगम-व्यवहारी के विद्यमान न होने पर श्रुतव्यवहार बलवान है । आगम में आए हुए पाठ के विरुद्ध किसी आचार्य उपाध्याय की आज्ञा मान्य नहीं होती, वहां किसी की धारणा नहीं सुनी जाती और न किसी संगठन के बहुमत अथवा सर्वमत का भी कोई मूल्य होता है ।

श्रुत में प्रसंग न होने पर उस विषय में आचार्य उपाध्याय आदि की आज्ञा सर्वोपरि होती है, विद्यमान आचार्य उपाध्याय जी की आज्ञा के सामने किसी पूर्वज आचार्य और उपाध्याय की धारणा का कोई महत्त्व नहीं होता, न ही वहां मत लेने की आवश्यकता है ।

किसी समय यदि विद्यमान आचार्य उपाध्याय की आज्ञा न पहुँच पा रही हो, तो उस समय किसी पूर्वज आचार्य उपाध्याय की धारणा बलवती होती है, यहा भी मत लेने की आवश्यकता नहीं होती; जहा कोई धारण भी स्मरण न हो उस समय जीत-व्यवहार बलवान होता है और तब सर्व-सम्मत अथवा बहुमत से कार्य किया जाता है।

इस प्रकार 'अनिस्सोवस्सिय' = अनिश्चितोपश्रित अर्थात् राग द्वेष को छोड़कर किसी भी पक्षपात में न पड़ते हुए सम्मत् प्रकार से इन व्यवहारों के अनुसार कार्य करता हुआ ही कोई साधक, जिनाज्ञा का आराधक हो सकता है ॥

(२) तीन प्रकार से आत्म-रक्षा ।

तत्रो आयरक्त्वा परणत्ता, त जहा—धम्मियाण् पडिचोयणाए पडिचो-
एत्ता भवइ १, तुखिणीओ वा सिथा २, उट्टिन्ता वा आयाओ
एगंतमवक्कमेज्जा ३ ॥
—ठाणाग सूत्र ११३।४॥

(१) जिनके साथ रहा जा रहा है यदि वे विपरीत आचरण करते हो तो सर्वप्रथम उन्हें प्रेमपूर्वक धार्मिक उपदेश द्वारा समझा कर वर्जित करना चाहिए ।

(२) इस प्रकार समझाने से यदि वे विपरीताचरण करना न छोड़ें तो मौन धारण कर लेना चाहिये, सम्भव है उसके मौन से प्रभावित होकर वे विपरीत आचरण करना छोड़ दें ।

(३) यदि इतना होने पर भी वे विपरीताचरण को न छोड़ें तो उनके विपरीताचरण की अनुमोदना के पाप से अपने आप को बचाने के लिये उनसे पृथक् हो जाना चाहिये ॥

(३) पाञ्च कारण से गण को छोड़ना ।

पंचाहं ठाणोहं आयरिय-उवज्जायस्स गणावक्कमणे परणत्ते तं जहा—

आयिरिय-उवज्झाए गणंसि आणं वा धारणं वा नो सम्मं पडंजित्ता भवइ १,
 आयिरिय-उवज्झाए गणंसि अहारायणियाए किइक्कम्मं वेणइयं नो सम्मं पडं-
 जित्ता भवइ २, आयिरिय-उवज्झाए गणंसि जे सुयपज्जवजाए धारंति ते काले
 नो सम्ममणुपवादेत्ता भवइ ३, आयिरिय-उवज्झाए गणंसि सगणियाए वा
 परगणियाए वा निग्गंथीए (सद्धिं) बहिलेस्से भवइ ४, मित्ते-णाइगणे वा से
 गणाओ अवक्कमेज्जा, तेसिं संगहोवगहट्टयाए गणावक्कमणे परणत्ते ५ ॥
 --ठाणांग सूत्र ५।२।१७॥

(१) जिस गच्छ के आचार्य उपाध्याय अपने गण में आज्ञा=
 स्पर्शना, धारणा=श्रद्धना और प्ररूपणा अथवा आज्ञा=विधिरूप
 आदेश, धारणा=निषेधरूप आदेश सम्यक् प्रकार नहीं देते और गण
 से पालन नहीं करवाते, जिसके मन में जो आए सो कर गुजरे;
 उत्सूत्र प्ररूपणाएं चलती हों और विपरीताचरण किये जाते हों,
 कोई पूछने वाला न हो कोई रोकने वाला न हो, जहां सारणा
 चारणा न हो तो ऐसे गच्छ को छोड़ देना चाहिये ।*

(२) जिस गच्छ के अधिकारिगण अपने गण में छोटों से
 बड़ों का आदर-मान और विनय-भक्ति नहीं करवाते, जिस
 गच्छ में छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं सर्वत्र आपा-धापी
 व्यापी हो तो ऐसे गच्छ को छोड़ देना चाहिये ।

(३) जिस गच्छ के अधिकारिगण साधकों को शास्त्र-
 स्वाध्याय नहीं करवाते तो उस गच्छ को छोड़ देना चाहिये ।

(४) जिस गच्छ के अधिकारिगण साध्वियों से (स्त्रियों
 से) अनुचित सम्पर्क रखते हों तो उस गच्छ को छोड़ देना
 चाहिये ।

* जहिं नत्थि सारणा वारणा य, पडिचोयणा या गच्छंसि ।

सो उ अगच्छो गच्छो, मोत्तव्वो संजमत्थीहिं ॥

(५) किसी साधक का साथी एव सम्बन्धी (गुरुभाई आदि) गच्छ को छोड़ गया हो तो उस को सहायता देने के निमित्त उसे भी गच्छ छोड़ देना चाहिये ॥

(४) सात कारणों से संगठन की सुदृढता ।

आयरिय-उवज्जायस्स खं गणसि सत्त-संगहट्ठाणा पयणत्ता तं जहा—
 आयरिय-उवज्जाए गणमि आणं वा धारणं वा सम्मं पउंजित्ता भवइ १,
 आयरिय-उवज्जाए खं गणंसि अहरायणियाए किइकम्मं वेणइयं सम्मं पउंजित्ता
 भवइ २, आयरिय-उवज्जाए खं गणंसि जे सुयपज्जवजाए धारेइ ते काले
 सम्ममणुपत्राएत्ता भवइ ३, आयरिय-उवज्जाए खं गणंसि गिल्लाण-सेह-वेया-
 वच्चं सम्ममन्नुट्टेत्ता भवइ ४, आयरिय-उवज्जाए खं गणंसि आपुच्छियाचारी
 यावि भवइ, यो अणापुच्छियाचारी ५, आयरिय-उवज्जाए खं गणंसि
 अणुप्पन्नाइं उवक्खणाइं सम्म उप्पाइत्ता भवइ ६, आयरिय-उवज्जाए खं
 गणंसि पुब्बुप्पन्नाइं उवक्खणाइं सम्मं सारक्खित्ता संगोवित्ता भवइ ७॥

—ठायांग सूत्र ७।४॥

(१) जिस गच्छ के आचार्य उपाध्याय जी महाराज, गण में अपनी आज्ञा एव धारणा समुचित विधि से कार्यान्वित कराते हैं तो उस गण में क्लेश नहीं होता और गण में प्रेम एवं उस का संगठन सुदृढ होता है ।

(२) जिस गच्छ के आचार्य उपाध्याय महाराज अपने गच्छ में यथारत्नाधिक व्यवहार करवाते हैं, छोटे बड़े का पूरा लिहाज रखते हैं और सब के गुण एव कार्य के अनुरूप समुचित स्थान एव पद-प्रदान करते रहते हैं तो उस गच्छ में क्लेश नहीं होने पाता अपितु प्रेम की वृद्धि होती है और संगठन सुदृढ होता है ।

(३) जिस गण के आचार्य उपाध्याय अपने गण में आगमों

का पठन-पाठन करवाते रहते हैं तो उस गच्छ में शान्ति रहती है और कोई बात हो भी जाए तो शीघ्र शान्त हो जाती है तथा संगठन सुदृढ बना रहता है ।

(४) जिस गच्छ के आचार्य-उपाध्याय गच्छ के नव-दीक्षित शैक्षकों की पूर्णतया सार-सम्हाल रखते हैं, आवश्यकता वालों की आवश्यकता पूरी करते हैं तथा रोगियों एवं वृद्धों की पूरी सेवा का प्रबन्ध करते हैं । तो गच्छ में कोई बात नहीं उठती और संगठन सुदृढ बना रहता है ।

(५) जो आचार्य उपाध्याय गण में चारों ओर से सम्मति लेकर चलते हैं तो वातावरण शान्त और संगठन सुदृढ होता है ।

(६) जो आचार्य उपाध्याय महाराज, साधकों के काम आने वाले उपकरणों को तय्यार करवाते रहते हैं, जिन से समय पर आवश्यकता वालों की आवश्यकता पूरी होती रहे, तो संगठन सुदृढ रहता है ।

(७) जो उपकरण तैय्यार हो चुके हैं उन की सार-सम्हाल का सुप्रबन्ध जो आचार्य उपाध्याय महाराज करते रहते अथवा करवाते रहते हैं तो वे अपने गण का संगठन सुदृढ बनाते हैं ॥

(५) वारह प्रकार के सम्भोग । सहयोग=मिल-वर्तन ।

उवही^१-सुअ^२-भक्तपाणे^३, अंजलीपगहेत्ति^४ य ।

दायणे^५ य निकाय^६ अ, अब्भुट्ठाणे^७ त्ति आवरे ॥१॥

किअकम्मस्स^८ य करणे, वेयावच्चकरणे^९ इअ ।

समोसरणं^{१०} संनिसिज्जा^{११} य, कहाए अ पवंधणे^{१२} ॥२॥

किसी दुःखी का दुःख निवारण करना हो, धर्म का लाभ होता हो अथवा किसी का जीवन सुधरता हो तो हर किसी से सम्पर्क रखा जा सकता है परन्तु इस शर्त पर कि उसके अपने जीवन को कोई क्षति न पहुँचे । किन्तु यदि उपरोक्त कोई सेवा का प्रसंग ही न हो, तो उन से सम्पर्क रखना चाहिये जिन का आचार व्यवहार एव विचार उससे मिलते हों, तभी उसे लाभ पहुँच सकता है । विभिन्न आचार-विचार वालों के साथ सम्पर्क साधने से अपने समीप-जीवन की हानि, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की कमी होती है और वैमनस्य पल्ले पड़ता है । इस लिये पहले ही देख-भाल कर किसी के साथ उतना ही सम्बन्ध रखना चाहिये, मिल-वर्तन करना चाहिये जहाँ तक उसके ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की वृद्धि होती हो । ये मिल-वर्तन, सम्भोग बारह प्रकार से होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं—

(१) उपधि—वस्त्र, पात्र आदि उपकरण आपस में लेना देना—इसे उपधि-सम्भोग कहते हैं ।

(२) श्रुत—योग्य व्यक्तियों का विधिपूर्वक श्रुत की वाचना पृच्छना आदि करना श्रुत-सम्भोग कहलाता है ।

(३) भक्तपान—परस्पर आहार पानी लेना देना और एक स्थान पर एकत्र हीकर, मिल-बैठ कर भोजन करना भक्तपान-सम्भोग है ।

(४) अञ्जलिप्रग्रहण—एक दूसरे को हाथ जोड़ कर सम्मान देना अञ्जलिप्रग्रहण-सम्भोग है ।

(५) दायण—शिष्यों के आदान-प्रदान करने का नाम दायण-सम्भोग है ।

(६) निकाय—आहार, वस्त्र, पात्र और शय्या आदि की निमन्त्रणा करने को निकाय-सम्भोग कहते हैं ।

(७) अभ्युत्थान—सामने आते हुआ का, आसन त्यागते हुए खड़े होकर सम्मान करना अभ्युत्थान-सम्भोग है ।

(८) कृतिकर्म—वन्दना करना कृतिकर्म-सम्भोग है ।

(९) वैयावृत्य—आहार-पानी, वस्त्र-पात्र, पीठ-फलक आदि लाकर देना, उच्चार-प्रश्रवण परिष्ठापन करना और किसी क्लेश को शान्त करने में सहायता देना इत्यादि सब वैयावृत्य-सम्भोग माना जाता है ।

(१०) समोसरण—एक मकान में ठहरना समोसरण-सम्भोग है ।

(११) निषद्या—एक कमरे में आसन लगाना, निषद्या-सम्भोग है ।

(१२) कथा-प्रबन्ध—एक स्थान बैठ कर परस्पर वार्तालाप, विचार-विनिमय करना, कथा-प्रबन्ध-सम्भोग होता है ।

इन सम्भोगों की दस कोटियां होती हैं—

(१) प्रथम कोटि में सब-के-सब सम्भोग खुले रहते हैं ।

(२) दूसरी कोटि में भक्तिपान्त्र-सम्भोग, शिष्यप्रदान-सम्भोग और वन्दना का सम्भोग—इन्हें तीनों को छोड़ कर शेष नव सम्भोग खुले रहते हैं ।

(३) तीसरी कोटि में उपधि-सम्भोग और वन्द हो जाता है और चार को छोड़ कर शेष आठ खुले रहते हैं ।

(४) चौथी कोटि में अञ्जलिप्रग्रहण सम्भोग और वन्द होकर कुल ५ वन्द होते हैं और सात खुले रहते हैं ।

(५) पाँचवीं कोटि में निकाय वन्द होकर कुल ६ वन्द और ६ खुले रहते हैं ।

(६) छठी कोटि में अभ्युत्थान-सम्भोग बन्द होकर ७ बन्द और ५ खुले ।

(७) सातवी कोटि में, आहार-पानी उपधि और शिष्य-प्रदान से अवशिष्ट जो वैयावृत्य-सम्भोग है वह बन्द हो जाता है कुल ८ बन्द और ४ खुले रहते हैं ।

(८) आठवी कोटि में कथा-प्रबन्ध और बन्द हो जाता है, ९ बन्द और ३ खुले ।

(९) नवमी कोटि में निपद्या और बन्द, १० बन्द और २ खुले ।

(१०) दसवी कोटि में समोसरण तथा श्रुत दो सम्भोग और बन्द होकर सब-के-सब सम्भोग बन्द हो जाते हैं और वह पूर्ण विसम्भोगी होकर गच्छ-वाहिर माना जाता है ॥

इन कोटियों में आए हुए सम्भोगों में से प्रत्येक के साक्षात्-सम्भोग और परम्परा-सम्भोग ये दो दो भेद और होते हैं । किसी प्रकार की त्रुटि न होने पर साक्षात् सम्भोग हुआ करता है और त्रुटि पड़ जाने पर परम्परा-सम्भोग, इस प्रकार कमी होते होते जब वह सम्भोग पूर्णतया दूषित हो जाता है तो परम्परा-सम्भोग भी नहीं रहता और तब वह पूर्ण विसम्भोगी माना जाता है ॥

पात्रों की दृष्टि से छ कोटियाँ होती हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) स्वसम्भोगी—समनोज्ञ-स्वसम्भोगी के साथ १२ ही सम्भोग खुले रहते हैं । और अमनोज्ञ-स्वसम्भोगी के साथ कम-से-कम भक्तपान-सम्भोग, कृतिकर्म-सम्भोग और वैयावृत्य-सम्भोग—ये तीन सम्भोग अवश्य खुले रहते हैं, और

अधिक-से-अधिक कथा-प्रबन्ध-सम्भोग को छोड़कर शेष ११ खुले रहते हैं।

(२) अन्यसम्भोगी—अन्यसम्भोगी के साथ भक्तपान सम्भोग, शिष्य-प्रदान सम्भोग और कृतिकर्म सम्भोग — ये तीन सम्भोग कम-से-कम बन्द रहते हैं।

(३) पास्तथादि पञ्चकुशील—इनसे उपरोक्त तीन तथा उपधि सम्भोग अञ्जलिप्रग्रहण, निकाय और अभ्युत्थान—इनके सामान्य-रूप को छोड़ कर विशिष्ट-रूप से ये चार बन्द होकर कुल ७ बन्द रहते हैं परन्तु यथाच्छन्द और चारित्र-कुशील के अतिरिक्त शेष तीन से श्रुतसम्भोग अपवाद-रूप से होता है किन्तु यथाच्छन्द से श्रुत-सम्भोग, निषद्या-सम्भोग और कथा-प्रबन्ध-सम्भोग—ये तीन और बन्द होकर कुल १० सम्भोग बन्द होते हैं और चारित्र-कुशील से समोसरण-सम्भोग और, कुल ११ सम्भोग बन्द होते हैं केवल अधिकरणोपशमनरूप वैयावृत्य-सम्भोग उचित सीमा तक खुला रहता है और शेष सब-के-सब बन्द होते हैं।

(४) विसम्भोगी—विसम्भोगी दो प्रकार के होते हैं एक प्रायश्चत्ती और दूसरा अप्रायश्चित्ती अर्थात् जो श्रुतानुसार प्रायश्चित्त न लेता हो और वह जो किसी दोष का सेवन करते हुए तीन बार प्रायश्चित्त ले चुका हो और फिर चतुर्थ बार उसी दोष का सेवन करके प्रायश्चित्त योग्य न होकर बाहिर किया गया हो, ऐसे अप्रायश्चित्तियों और प्रायश्चित्तियों, दोनों प्रकार के विसम्भोगियों से कोई सम्भोग नहीं होता। प्रायश्चित्ती, प्रायश्चित्त कर चुकने पर सम्भोग योग्य होता है।

(५) संयतीवर्ग—साध्वियों से, उत्सर्ग और अपवाद

विषयक वार्तालापरूप कथाप्रबन्ध-सम्भोग के अतिरिक्त और कोई सम्भोग नहीं होता ।

(६) गृहस्थ्यवर्ग—गृहस्थियों से, अपवादरूप वाचना को छोड़कर, विधिपूर्वक पृच्छना आदि श्रुतसम्भोग के अतिरिक्त आरम्भ के १० सम्भोग नहीं होते, अर्थात् पृच्छनादि श्रुत-सम्भोग, निषद्या-सम्भोग, और वार्तालापादि कथा-प्रबन्ध-सम्भोग—ये तीन सम्भोग होते हैं । गृहस्थ-स्त्रियों से ये तीन भी नहीं होते । पुरुषों में भी योग्य गृहस्थों से होते हैं । सामान्यतया भगवान् का आदेश है कि 'गिही सथवं न कुञ्जा, कुञ्जा साहृहि सथव'—दशवंकालिक सूत्र ८।५३॥ तथा जिन स्त्री-पुरुषों के ससर्ग से संयमी-जीवन और ज्ञान-ध्यान को क्षति पहुँचती हो उन नर-नारियों का सम्पर्क छोड़ देना चाहिये 'जेण पुण जहाइ जीविय, मोहं वा कसिण नियच्छइ । नर-नारि पजहे सया तयस्सी, न य कोऊहल उवेइ स भिक्खू' ॥-उत्तराध्ययन सूत्र १५।६॥

कल्पानुसार किसी साधक का दुःख निवारण करना हो और ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की वृद्धि होती हो तथा धर्म-विनय का लाभ होता हो तो अपवादरूप से इन उपरोक्त सभी कोटियों के सम्भोगों में हँस-फेर भी हो जाता है ॥



अभिमत

"हम सुशील कैसे बनें ?"

यह सुन्दर कृति साधु-जीवन को उन्नत करने में बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद है। कुछ ही पृष्ठ पढ़ने से हृदय, ऐसी बहुमूल्य कृति के लिये लेखक के श्रम को वार २ सराहने लगा। आज के युग में ऐसे पुस्तक-रत्नों की और भी अधिक आवश्यकता है। नवदीक्षित युवा मुनियों को तो इस से अनगिनत लाभ हो सकते हैं जो कि उन्हें संसार में पूज्य ही नहीं—आदर्श-मुनि भी सहज में ही बना सकते हैं। लेखक के पुनीत अथ च सराहनीय परिश्रम को यदि वे सार्थक करेंगे तो लेखक को ही नहीं, मुझे भी महान् हर्ष हुए विना न रहेगा। ऐसी उत्तम कृति को लिखने में महान् श्रम के लिये लेखक को पुनः पुनः धन्यवाद ॥

—चन्दन मुनि
पट्टी (अमृतसर)

पठनीय पुस्तकें



(१) गच्छायार पङ्क्तयं—

इस में गच्छ के आचार व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है।

(२) सधर्मि-परीक्षा—

इस के द्वारा सक्षेप में सधर्मों की पहचान करवाई गई है।

(३) हम सुशील कैसे बनें ?—

इस में पञ्च-कुशील, पाञ्च अप्रशस्त तथा पाञ्च प्रशस्त भावनाओं का स्वरूप समझाया गया है।

(४) गीतार्थ स्वरूप—

गीतार्थ के लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है।

(५) शान्ति-प्रकाश—

इस में राग-द्वेष को दूर करने वाले और धर्म शान्ति प्रदान करने वाले शत दोहे दिये गए हैं।

मिलने का स्थान :—

वेदप्रकाश विजयकुमार जैन

नवांशहर द्वावा (पंजाब)